भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्यप्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2001

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां	v
	विहंगावलोकन	vii
	अध्याय-1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं	3
1.3	संग्रहण की लागत	4
1.4	बकाया राजस्व	5
1.5	लंबित अपीलें	7
1.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	8
1.7	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉं	8
1.8	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	10
1.9	प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन का प्रत्युत्तर	11
	अध्याय-2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	13
2.2	कर की गलत दर का लागू किया जाना	13
2.3	प्रवेश कर का कम निर्धारण	14
2.4	नवीन उद्योगों को कर की गलत छूट	15
2.5	सकल विक्रय राशि से गलत कटौती	16
2.6	समंजन (सेट आफ) की गलत स्वीकृति	17
2.7	बंद इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना	18
2.8	सकल विक्रय का गलत निर्धारण	18
2.9	वृत्ति कर की वसूली नहीं होना	19
2.10	क्रय कर का अनारोपण	20
2.11	गणनात्मक त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण	20
2.12	विलासिता कर आरोपण से गलत छूट	21
2.13	सकल विक्रय छिपाने से कर का अवनिर्धारण	21

अध्याय-3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	23
3.2	देय राशियों की वसूली न करने से राजस्व हानि	23
3.3	शीरे के कम लेखांकन के कारण हानि	24
3.4	बिना शुल्क भुगतान किये विदेशी मदिरा का निर्यात	24
3.5	नीलाम राशि में गलत कमी के कारण राजस्व हानि	25
3.6	पोस्ता भूसा पर लायसेंस फीस वसूल न किया जाना	26
3.7	पोस्ता भूसा समूहों की पुनः नीलामी से हानि	26
3.8	मान्य न किये जाने योग्य स्प्रिट छीजन	27
3.9	राज्य सरकार की स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना	27
3.10	शीरे के अतिरिक्त अन्य मूलों(वेसेज) से अल्कोहल का कम उत्पादन	28
अध्याय-4 : वाहनों पर कर		
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	29
4.2	कर एवं शास्ति की वसूली न होना	29
4.3	प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	33
4.4	अनुज्ञापत्रों की जमा को गलत स्वीकार करने से वाहन कर की हानि	33
4.5	अनुज्ञापत्र के वगैर या अनुज्ञापत्र की शर्तों के प्रतिकूल प्रचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर की वसूली न होना	34
4.6	अंतर्राज्यीय मार्गों पर प्रचालित लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	35
4.7	वाहन कर एवं शास्ति की कम वसूली	35
4.8	वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	36
अध्याय-5 : भू-राजस्व		
5.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	37
5.2	देय राशियों की भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली	38
5.3	संगठनों,संस्थाओं ,बोर्डों एवं स्थानीय निकायों को आवंटित नजूल भूमि	47
5.4	नजूल भू–खण्डों के पट्टों का नवीनीकरण न किया जाना	49
5.5	व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का अनिर्धारण/ कम निर्धारण	50
5.6	व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण	51
5.7	व्यपवर्तन लगान/ प्रब्याजि की मांग सृजित न करना	51

अध्याय-6 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
6 (क) मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	53
6.2	संपत्तियों का कम मूल्यांकन	53
6.3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना	55
6.4	गलत दर लागू/ गणना करने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कमनिर्धारण	55
6.5	मुद्रांक शुल्क भुगतान से गलत छूट प्रदान किया जाना	56
6.6	सहकारी गृह निर्माण समितियों के द्वारा/ के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व हानि	56
6.7	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	58
6.8	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट/ माफी	58
6 (ख) मनोरंजन शुल्क		
6.9	लेखापरीक्षा के परिणाम	61
6.10	सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रवेश के लिए प्राप्त भुगतान पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	61
6.11	मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	62
अध्याय-7 : वन प्राप्तियाँ		
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	63
7.2	इमारती काष्ठ का विदोहन तथा निर्वर्तन	63
7.3	अवैध कटाई के कारण राजस्व हानि	76
7.4	पुष्पित बॉस भिर्रों का विदोहन न करने के कारण राजस्व हानि	77
7.5	वनोपज में ह्रास के कारण राजस्व हानि	78
7.6	वनोपज में कमी	79
7.7	अनुबंध के निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने से राजस्व हानि	79
7.8	बड़े आकार के बांस प्रदाय के कारण राजस्व हानि	81
7.9	वनोपज का अनुचित उपयोग	81
7.10	आरक्षित माल न उठाने के कारण राजस्व हानि	82

अध्याय-8 : खनन प्राप्तियाँ		
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	83
8.2	मध्यप्रदेश में कोयला खदानों की कार्य पद्धति	83
8.3	राज्यांश की वसूली न / कम करना	86
8.4	राज्यांश के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	87
8.5	अनिवार्य किराए का भुगतान न / कम करना	87
8.6	राज्यांश भुगतान किए बिना खनिज का हटाया जाना	88
8.7	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम भुगतान	89
अध्याय-9 : अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ		
9-(क) लोक निर्माण प्राप्तियाँ		
9.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	91
9.2	हानियों की वसूली में विफलता	91
9.3	निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से लायसेंस फीस की कम वसूली	92
9.4	लायसेंस फीस की वसूली न होना	93
9.5	तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	93
9.6	पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की कम वसूली	94
9-(ख) सिंचाई प्राप्तियाँ		
9.7	लेखापरीक्षा के परिणाम	95
9.8	सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण	95

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर , राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ , खनन प्राप्तियाँ तथा राज्य की अन्य कर भिन्न प्राप्तियों पर राजस्व के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से है जो वर्ष 2000–2001 की अवधि के मध्य नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परंतु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज शास्ति आदि के अनिर्धारण/ कम निर्धारण से संबंधित 889.12 करोड़ रूपये से अंतर्निहित, 62 कंडिकायें एवं 2 समीक्षायें सम्मिलित हैं। शासन ने 11.84 करोड़ रूपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं, और जून 2001 तक 12.01 करोड़ रूपये वसूल कर लिये गये हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :

(1) *सामान्य*

(i) वर्ष 2000–2001 के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा 7363.91 करोड़ रूपये का सकल राजस्व वसूल किया गया, जिसमें 5639.58 करोड़ रूपये कर राजस्व और 1724.33 करोड़ रूपये कर भिन्न राजस्व सम्मिलित है। शासन ने भारत सरकार से 5475.39 करोड़ रूपये विभाज्य संघीय करों की शुद्ध प्राप्तियों के अंश (3955.51 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (1519.88 करोड़ रूपये) के रूप में भी प्राप्त किये। इस प्रकार वर्ष के दौरान 12839.30 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियॉं हुई। विक्री व्यापार आदि पर कर (2766.57 करोड़ रूपये) कर राजस्व का मुख्य भाग (49 प्रतिशत) है। अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियॉं (721.04 करोड़ रूपये) कर भिन्न राजस्व की 42 प्रतिशत लेखांकित हुई।

(कंडिका 1.1)

(ii) वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क , वाहन कर, भू–राजस्व एवं अन्य विभागों के अभिलेखों की वर्ष 2000–2001 के दौरान की गई नमूना जांच में 156863 प्रकरणों में 2619.95 करोड़ रूपये राजस्व का कम निर्धारण/ हानियॉं आदि प्रकट हुई। वर्ष 2000–2001 में 111454 प्रकरणों में 347.44 करोड़ रूपये का कम निर्धारण आदि विभागों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें 346.29 करोड़ रूपये राशि के 111403 प्रकरण वर्ष 2000–2001 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे। वर्ष 2000–2001 के दौरान 170 प्रकरणों में 20.20 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई थी।

(कंडिका 1.6)

(iii) जून 2001 के अंत में 6170 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में 4005.92 करोड़ रूपये के राजस्व से अंतर्निहित 21661 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉं, जिसमें पॉंच वर्षों से अधिक के 3582 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवदनों में 965.81 करोड़ रूपये का राजस्व सन्निहित है, संबंधित विभागों से अंतिम उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित थी। जनवरी एवं दिसंबर 2000 के मध्य जारी 507 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.7)

(2) *वाणिज्यिक कर*

1 कर की गलत दर लागू किये जाने के फलस्वरूप 2.21 करोड़ रूपये के कर का कम–आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2)

2.2 7.82 करोड़ रूपये की प्राप्तियॉं/ क्रय छिपाने से शास्ति सहित 3.97 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.13)

(3) *वाहनों पर कर*

1. लोक सेवा वाहनों, अतिरिक्त प्रक्रम वाहनों, माल वाहनों आदि पर 5.67 करोड़ रूपये वाहन कर एवं 11.33 करोड़ रूपये शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.2)

(4) *भू-राजस्व*

1. "देय राशियों की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली" की समीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) जिलाध्यक्ष/ तहसील कार्यालयों में 3.07 करोड़ रूपये की राशि के 880 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन /प्रेषण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.2.6 (क))

(ii) राजस्व न्यायालयों द्वारा 39.71 करोड़ रूपये के 4498 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन नहीं किया गया ।

(कंडिका 5.2.6 (ख))

(iii) जिलाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा भेजे गये 9.20 करोड़ रूपये के 225 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलों में नहीं पाये गये।

(कंडिका 5.2.7)

(iv) 1.66 करोड़ रूपये की प्रक्रिया व्यय की राशियॉं बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंकों से वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 5.2.16)

2. 37 शासकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, कंपनियों आदि को पट्टे पर दी गई 3479.96 एकड़ भूमि पर 29.37 करोड़ रूपये की प्रब्याजि एवं भू–भाटक का कमनिर्धारिण किया गया, परिणामस्वरूप 4.09 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई।

(कंडिका 5.3.(i))

58 प्रकरणों में 2.59 करोड़ रूपये के व्यपवर्तन लगान एवं 2.24 लाख रूपये प्रब्याजि का अनिर्धारण/ कम निर्धारण हुआ।

(कंडिका 5.5 (क))

(5) *अन्य कर प्राप्तियाँ*

(क)-मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

संपत्तियों के बाजार मूल्य का विनिश्चयन न करने के फलस्वरूप 5.30 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 6.2.(iii))

(6) *वन प्राप्तियाँ*

1. इमारती काष्ठ का विदोहन एवं निर्वर्तन की समीक्षा में प्रकट हुआ कि:

(i) कार्य योजना के अनुसार कार्य योग्य इमारती काष्ठ कूपों को चिन्हित न करने/ कार्य न करने और चिन्हित वृक्षों का पातन न करने के परिणामस्वरूप 513.40 करोड़ रूपये के राजस्व में कमी आयी ।

(कंडिका 7.2.6 (क)(ख))

(ii) 10.01 करोड़ रूपये मूल्य के इमारती काष्ठ के उत्पादन में कमी की विभाग द्वारा जॉच नहीं की गई।

(कंडिका 7.2.6 (घ))

(iii) इमारती काष्ठ के निर्वर्तन में विलम्ब/ अनिर्वर्तन के कारण 92.97 करोड़ रूपये के सारभूत राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.2.8)

(iv) तत्कालीन राज्यों के वनों के सर्वेक्षण एवं सीमांकन में विलंब के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 145 करोड़ रूपये की आवर्ती हानि हुई।

(कंडिका 7.2.9)

2. अवैध कटाई पर रोक में विफलता के कारण 4.36 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 7.3)

3. आरक्षित खैर वृक्षों को उद्योगों द्वारा न उठाये जाने के फलस्वरूप 1 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 7.10)

(7) *खनन प्राप्तियाँ*

1. कोयला हटाये जाने पर 1.14 करोड़ रूपये के राज्यांश की वसूली कम/ नहीं की गई।

(कंडिका 8.2(i))

2. खनिजों के हटाये जाने पर 10.84 करोड़ रूपये के राज्यांश की वसूली कम/ नहीं की गई।

(कंडिका 8.3)

(8) *अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ*

सिंचाई प्राप्तियाँ

1. 6.10 करोड़ रूपये के समुन्नति अंशदान का आरोपण नहीं किया गया ।

(कंडिका 9.8. (i))

2. जल प्रभारों की दाण्डिक दर/ सही दर लागू न करने के परिणामस्वरूप 90.91 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 9.8.(ii))

अध्याय-1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2000–2001 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	5108.48	5795.21	5639.58
	(ख) कर भिन्न राजस्व	1781.99	2468.97	1724.33
	योग-1	**6890.47**	**8264.18**	**7363.91**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	2932.13	3261.64	3955.51 [1]
	(ख) सहायक अनुदान	1523.25	1677.85	1519.88
	योग-2	**4455.38**	**4939.49**	**5475.39**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1+ 2)**	**11345.85**	**13203.67**	**12839.30**
4.	प्रतिशत 3 से 1 का	61	63	57

1 विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्यप्रदेश शासन के 2000–2001 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक कमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें। शीर्ष '0021 आयकर निगम कर से भिन्न कर राज्यों को समुनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश' के आंकड़े , जो वित्त लेखै में कर राजस्व के अंतर्गत लेखांकित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है।

(i) 1998–1999 से 2000–2001 के दौरान तीन वर्षों में वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	1999-2000 की तुलना में 2000-2001 में वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2297.48	2555.08	2766.57	(+) 8.28
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	965.40	1073.38	974.94	(–)9.17
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	488.81	611.48	447.91	(–) 26.75
4.	माल और यात्रियों पर कर	413.01	428.36	333.85	(–) 22.06
5.	वाहनों पर कर	382.25	402.01	405.90	(+) 0.97
6.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	400.21	470.12	477.08	(+) 1.48
7.	भू–राजस्व	26.97	43.26	38.47	(–) 11.07
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	24.80	26.94	22.95	(–) 14.81
9.	आय और व्यय पर अन्य कर	104.74	179.58	167.50	(–) 6.73
10.	होटल प्राप्ति कर	4.81	5.00	4.41	(–) 11.80
	योग	**5108.48**	**5795.21**	**5639.58**	**(-)2.68**

(ii) वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 के दौरान प्राप्त मुख्य कर –भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	1999-2000 की तुलना में 2000-2001 में वृद्धि(+)/कमी (-) का प्रतिशत
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	507.60	315.28	372.56	(+)18.17
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	806.43	867.84	721.04	(–) 16.92

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	ब्याज प्राप्तियां	147.48	257.07	184.56	(–) 28.21
4.	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	42.63	66.85	47.17	(–) 29.44
5.	जलपूर्ति एवं सफाई	8.81	10.11	11.15	(+) 10.29
6.	अन्य	269.04	951.82	387.85	(–) 59.25
	योग	**1781.99**	**2468.97**	**1724.33**	**(-) 30.16**

विद्युत पर कर एवं शुल्क में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण नवीन राज्य छत्तीसगढ़ का गठन था।

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण नवीन राज्य छत्तीसगढ़ का गठन था।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें

राजस्व के प्रमुख शीर्ष में 2000–2001 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं नीचे दर्शाये अनुसार हैं :

राजस्व शीर्ष	***बजट अनुमान***	***वास्तविक प्राप्तियॉं***	***भिन्नताएं वृद्धि (+)/ कमी (-)***	***भिन्नता का प्रतिशत***
1.	2.	3.	4.	5.
(क) कर राजस्व	***(करोड़ रूपये में)***			
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3000.00	2766.57	(–) 233.43	(–) 7.78
2. राज्य उत्पाद शुल्क	1220.00	974.94	(–) 245.06	(–) 20.08
3. विद्युत पर कर एवं शुल्क	578.34	447.91	(–) 130.43	(–) 22.55
4. माल एवं यात्रियों पर कर	470.00	333.85	(–) 136.15	(–) 28.97
5. वाहनों पर कर	484.00	405.90	(–) 78.10	(–) 16.13
6. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	530.00	477.08	(–) 52.92	(–) 9.98
7. भू–राजस्व	34.76	38.47	(+) 3.71	(+) 10.67
8. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	30.00	22.95	(–) 7.05	(–) 23.50
9. आय एवं व्यय पर अन्य कर	121.00	167.50	(+) 46.50	(+) 38.43
10. होटल प्राप्ति कर	5.80	4.41	(–) 1.39	(–) 23.96
योग	**6473.90**	**5639.58**	**(+)834.32**	**(-)12.88**

1.	2.	3.	4.	5.
(ख) कर भिन्न राजस्व				
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	522.00	372.56	(–) 149.44	(–) 28.63
2. अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	920.00	721.04	(–) 198.96	(–) 21.62
3. ब्याज प्राप्तियाँ	293.40	184.56	(–) 108.84	(–) 37.09
4. वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	125.50	47.17	(–) 78.33	(–) 62.41
5. जलपूर्ति एवं सफाई	3.99	11.15	(+) 7.16	(+) 179.44
6. अन्य	275.81	387.85	(+) 112.04	(+) 40.62
योग	**2140.70**	**1724.33**	**(-) 416.37**	**(-)19.45**

बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नताओं के, दो विभागों द्वारा प्रतिवेदित, कारण नीचे दर्शाये अनुसार थे :

विद्युत पर कर एवं शुल्क	नवीन राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के कारण
वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	नवीन राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के कारण

अन्य शीर्षों में सारभूत भिन्नताओं के कारण यद्यपि मंगाए गए थे, पर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2001)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि में प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 1999–2000 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ आगे दर्शाया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	
		(करोड़ रुपये में)		मध्यप्रदेश	राष्ट्रीय औसत (1999-2000)
बिक्री व्यापार आदि पर कर	1998–1999	2297.48	45.34	1.97	1.56
	1999–2000	2555.08	46.12	1.81	
	2000–2001	2766.57	46.38	1.68	
राज्य उत्पाद शुल्क	1998–1999	965.40	90.71	9.40	3.31
	1999–2000	1073.38	104.11	9.70	
	2000–2001	974.94	98.47 [2]	10.10	
वाहनों पर कर	1998–1999	795.26	20.34 [4]	2.56	3.56
	1999–2000	402.01 [3]	16.86 [4]	4.19	
	2000–2001	405.90 [3]	11.87	2.92	
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1998–1999	400.21	52.07 [5]	13.01	4.62
	1999–2000	470.12	19.63	4.18	
	2000–2001	477.08	56.04 [5]	11.75	

1.4 बकाया राजस्व

संबंधित विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2001 को बकाया राजस्व आगे दर्शाए अनुसार था :

2 मदिरा एवं स्प्रिट के क्रय पर लागत को छोड़कर संग्रहण की निवल लागत 60.43 करोड़ रूपये हैं। इस सूत्र पर आधारित 1998–1999 एवं 1999–2000 के वर्षों की संग्रहण की लागत क्रमशः 53.81 तथा 61.63 करोड़ रूपये आती है। इस प्रकार संग्रहण लागत पर व्यय का प्रतिशत कमशः 5.57, 5.74 एवं 6.20 होगा।

3 इसमें "माल और यात्रियों पर कर" के अधीन प्राप्तियॉ सम्मिलित नहीं है, क्योंकि संग्रहण की लागत परिवहन विभाग द्वारा वहन नहीं की जाती है।

4 इसमें सड़क संरक्षा निधि के लिए वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में अंतरित क्रमशः 9.10 करोड़ रूपये एवं 5.00 करोड़ रूपये शामिल है।

5 नान जुडिशियल स्टाम्पस के तहत संचित निधि को अंतरित राशि को छोड़कर वर्ष 1998–99 एवं 2000–2001 के लिए संग्रहण की निवल लागत क्रमशः 18.08 करोड़ रूपये एवं 20.91 करोड़ रूपये आती है। इस तरह संग्रहण लागत पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः 4.51 एवं 4.38 होगा।

राजस्व शीर्ष	राशि		टिप्पणी
	31 मार्च 2001 को बकाया	31 मार्च 2001 को पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित	
	(करोड़ रुपये में)		
1.	2.	3.	4.
वाणिज्यिक कर/ प्रवेश कर	225.79	112.65	192.72 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई, 22.16 करोड़ रूपये की राशि न्यायिक प्राधिकारियों /शासन द्वारा स्थगित की गई तथा 10.91 करोड़ रूपये की राशि के अपलेखित किए जाने की संभावना है।
राज्य उत्पाद् शुल्क	37.17	29.51	1.09 करोड़ रूपये की राशि न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित की गई तथा 11.19 करोड़ रूपये की राशि अपलेखित किए जानेकी संभावना है। 24.89 करोड़ रूपये के शेष बकाया के संबंध में स्थिति सूचित नहीं की गई है (अक्टूबर 2001)
वाहनों पर कर	11.09	अप्राप्त	बकाया किस अवधि से संबंधित है तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्यवाही विभाग द्वारा सूचित नहीं की गई (अक्टूबर 2001)।
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस [6]	11.37	2.83	9.33 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई, 1.65 करोड़ रूपये की राशि न्यायिक प्राधिकारियों/ शासन द्वारा स्थगित की है तथा 0.39 करोड़ रूपये के शेष बकाया के संबंध में स्थिति सूचित नहीं की गई है।
विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.18	6.68	2.43 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई है। 5.37 करोड़ रूपये की वसूली न्यायिक प्राधिकारियों / शासन द्वारा स्थगित की गई। 4.31 करोड़ रूपये की वसूली बीमार कपड़ा मिलों के विरूद्ध बकाया पड़ी है। 4.07 करोड़ रूपये के शेष बकाया के संबंध में स्थिति सूचित नहीं की गई है।

6 इन आंकड़ों में बालाघाट एवं पन्ना जिलों से संबंधित आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

1.	2.	3.	4.
अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	37.81	अप्राप्त	18.17 करोड़ रूपये की राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई तथा 19.64 करोड़ रूपये की वसूली न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई।
सहकारिता	7.78	2.05	1.19 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई। 6.59 करोड़ रूपये के शेष बकाया के संबंध में स्थिति सूचित नहीं की गई।

यद्यपि ऐसी ही जानकारी अन्य विभागों से मंगाई गई थी, परंतु प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2001)।

1.5 लंबित अपीलें

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994/ मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 एवं इनके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के अंत में विगत तीन वर्षों के दौरान दायर की गई अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित प्रकरणों की संख्या, विभाग द्वारा यथासूचित, नीचे दी गई है :

वर्ष	अपीलों की संख्या					निराकृत अपीलों का योग से प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में लंबित	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	योग	वर्ष के दौरान निराकरण	वर्ष के अंत में बकाया	
1998–1999	6699	7174	13873	6433	7440	46.37
1999–2000	7440	7385	14825	6231	8594	42.03
2000–2001	6219[7]	5701	11920	4404	7516	36.95

निराकरण हेतु लंबित अपीलों में समाविष्ट राजस्व राशि विभाग द्वारा सूचित नही की गई थी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि अपीलीय उपायुक्तों की कमी के कारण अपीलों का निराकरण अभिवृद्धि से पिछड़ रहा था।

[7] इसमें नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के 2375 प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 में वाणिज्यिक कर , राज्य आबकारी, वाहनों पर कर , भू–राजस्व तथा अन्य विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में 156863 प्रकरणों में 2619.95 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण, हानि इत्यादि प्रकट हुई, वर्ष (2000–2001) के दौरान विभागों ने 111454 प्रकरणों में 347.44 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किए, इनमें से 346.29 करोड़ रूपये की राशि के 111403 प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2000–2001 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे। वर्ष 2000–2001 में 170 प्रकरणों में 20.20 करोड़ रूपये की वसूली हुई थी।

इस प्रतिवेदन में 889.12 करोड़ रूपये के राजस्व से अंतर्निहित 62 कंडिकायें एवं 2 समीक्षाएं समाविष्ट हैं। संबंधित विभागों ने 11.84 करोड़ रूपये की अभ्युक्तियाँ स्वीकार की। 12.01 करोड़ रूपये ब्याज सहित जून 2001 तक वसूल किये जा चुके है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.7 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(i) गलत निर्धारण, कर, फीस, शुल्क आदि के कम निर्धारण तथा प्रारंभिक लेखाओं के अनुरक्षण में कमियाँ आदि पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं होता, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित की जाती हैं। अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं विभागाध्यक्षों और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से, दो माह की अवधि में, भेजने होते हैं।

(ii) 31 दिसंबर 2000 तक जारी किए गए राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अभ्युक्तियों की संख्या, जो 30 जून 2001 को विभागों द्वारा निराकरण हेतु लंबित थी, पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित नीचे दर्शाये अनुसार है :

	जून के अंत में		
	1999	2000	2001
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6171	6155	6170
लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	23056	22296	21661
अंतर्निहित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	2781.34	3005.27	4005.92

(iii) 30 जून 2001 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	प्राप्तियों का स्वरूप / विभाग का नाम	लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	समाविष्ट राशि (करोड़ रुपये में)	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	
				योग	जनवरी एवं दिसंबर 2000 के मध्य जारी एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	वाणिज्यिक कर	5339 (640)	330.51 (31.46)	717 (276)	95
2.	भू– राजस्व	3836 (1647)	949.91 (411.58)	1545 (809)	140
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	2185 (1163)	676.87 (133.98)	706 (424)	39
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	971 (346)	355.43 (54.69)	268 (147)	–
5.	मनोरंजन कर	177 (126)	4.10 (2.63)	125 (83)	–
6.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2632 (1593)	61.26 (25.61)	1206 (763)	111
7.	जल संसाधन	1275 (877)	172.85 (57.38)	288 (198)	32
8.	लोक निर्माण	1068 (678)	38.48 (16.63)	267 (185)	26
9.	खनन	674 (135)	454.50 (79.30)	201 (83)	34
10.	मोटर वाहन कर	1326 (798)	390.16 (38.39)	191 (129)	–
11.	विद्युत शुल्क	179 (105)	436.39 (39.37)	57 (40)	–
12.	अन्य	1999 (1578)	135.46 (74.79)	599 (445)	30
	योग	**21661** **(9686)**[8]	**4005.92** **(965.81)** [8]	**6170** **(3582)** [8]	**507**

[8] कोष्ठक में दर्शाये गए आंकड़े पाँच वर्ष से अधिक को प्रदर्शित करते हैं।

स्थिति को राज्य शासन के ध्यान में लाया गया था, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा उठाये गए कदमों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2001)।

उत्त्वाधिकार प्राप्त समिति, जिनमें शासन के प्रतिनिधियों , विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ उप महालेखाकार शामिल हैं, की तीन बैठकें हुई (जून, जुलाई एवं अक्टूबर 2000) एवं वन, पंजीयन तथा राज्य आबकारी विभागों की 221 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ निराकृत की गई।

इसके अतिरिक्त स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान 3606 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ निराकृत की गई और महालेखाकार कार्यालय में समीक्षा के पश्चात 38 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ निराकृत की गईं।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) मार्च 2001 में विधान सभा के पटल पर रखा गया था। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी) द्वारा चयन के आधार पर वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है। वर्ष 1985–86 तक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की पूर्ण तथा वर्ष 1986–87 से 1989–90 के प्रतिवेदनों पर आंशिक अनुशंसायें प्राप्त हो चुकी हैं (अगस्त 2001)। वर्ष 1978–79 से आगे (वर्ष 1983–84 के अलावा) के वर्षों के प्रतिवेदनों की इन अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन प्रतिवेदन/ टिप्पणी शासन के संबंधित विभागों से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2001)। वर्ष 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1984–85, 1985–86, 1986–87, तथा 1987–88 से संबंधित प्रतिवेदनों पर क्रियान्वयन टिप्पणी क्रमशः सात, नौ, छः,आठ, छः, पॉंच, दो, दो, तथा तीन विभागों से प्राप्त हुई थी। वर्ष 1991–92 एवं 1993–94 से 1998–99 तक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 545 कंडिकाओं में 114 कंडिकाओं का लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य हेतु चयन किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य शासन के प्रत्युत्तर की समीक्षा हेतु नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा (मार्च 1993) के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने दिनांक 12 जुलाई 1994 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रतिवेदनों की विभिन्न कंडिकाओं पर शासन की स्पष्टीकरण संबंधी टीपें, विधान सभा में इन्हें पटल पर रखे जाने के तीन माह के अंदर, शासन द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि शासन द्वारा अनुपालनात्मक कार्यवाही नहीं की गई और प्रतिवेदनों पर स्पष्टीकरण संबंधी टीपों में अत्यधिक विलंब हो रहा है। वर्ष 1991–92 एवं 1993–94 से 1998–99 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 545 कंडिकाओं (समीक्षाओं सहित) में से 129 कंडिकाओं के संबंध में शासन से स्पष्टीकरण संबंधी टीपें प्राप्त नहीं हुई हैं (अगस्त 2001)।

1.9 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अंदर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट 84 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/ सचिवों को उनके नाम से (दिसंबर 1999 एवं अप्रैल 2001 के मध्य) भेजा गया था। विभागों के प्रमुख सचिवों/ सचिवों ने, स्मरण पत्र जारी किये जाने के बावजूद भी, प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर नहीं भेजे हैं (अक्टूबर 2001)। इन कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/ सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 की अवधि में वाणिज्यिक कर (विक्रय कर) से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 2353 प्रकरणों में सन्निहित 276.70 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, शास्ति/ कर का अनारोपण/ कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनको मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	कर की गलत दरों का लागू किया जाना	454	82.82
(ii)	छूट/कटौती गलत स्वीकृत करना	648	59.80
(iii)	कर योग्य विक्रय का गलत निर्धारण किया जाना	250	22.01
(iv)	कर का अनारोपण/कम आरोपण	243	19.49
(v)	अन्य	758	92.58
	योग	**2353**	**276.70**

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग ने वर्ष 2000–2001 में इंगित किये गये 821 प्रकरणों में 81.39 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया।

कतिपय उदाहरणात्मक प्रकरण, जिनमें 14.11 करोड़ रूपयों का राजस्व सन्निहित है, आगे कंडिकाओं में दिये गये हैं :

2.2 कर की गलत दर का लागू किया जाना

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 एवं वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची II में विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले विक्रय कर/वाणिज्यिक कर की दरों का उल्लेख हैं।

अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 1997 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 11 क्षेत्रीय कार्यालयों [9] एवं 11 वृत्त कार्यालयों [10] के 34 व्यवसायियों के अप्रैल 1991 से मार्च 1998 की अवधि के

9 मध्यप्रदेश–भोपाल (2) ग्वालियर (2), इन्दौर (3), जबलपुर एवं सतना
छत्तीसगढ़– बिलासपुर एवं दुर्ग

10 मध्यप्रदेश– भोपाल, धार, इन्दौर (2), जबलपुर (2) जावरा एवं सीहोर
छत्तीसगढ़– रायपुर (2) एवं रायगढ़

लिये निर्धारित/पुनर्निर्धारित (जून 1996 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य) 43 प्रकरणों में (छत्तीसगढ़ के 12 प्रकरण) 88.62 करोड़ रूपये (छत्तीसगढ़ के 5.22 करोड़ रूपये सम्मिलित) की कीमत की वस्तुओं के विक्रय पर गलत दर से कर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 2.21 करोड़ रूपये (छत्तीसगढ़ के 14.99 लाख रूपये सम्मिलित) का अवनिर्धारण हुआ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं :

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में एक व्यवसायी [11] के 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि हेतु नवम्बर 1997 एवं नवम्बर 1998 में निर्धारित दो प्रकरणों में 68.69 करोड़ रूपये की कीमत के ट्रांसमिशन टावर के पुर्जों का विक्रय किया गया था, जिस पर लोहा एवं इस्पात से बनी बस्तुओं पर लागू 6 प्रतिशत की दर से आरोपणीय कर के स्थान पर लोहा एवं इस्पात पर आरोपणीय 4 प्रतिशत से कर आरोपण किया गया। परिणामस्वरूप 1.38 करोड़ रूपये का कम करारोपण हुआ।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में एक व्यवसायी के 1995–96 अवधि हेतु दिसम्बर 1998 में निर्धारित एक प्रकरण में 4.11 करोड़ रूपये मूल्य के हीट एक्सचेंजर एवं हीट ट्यूब्स (एअर कंडीशनिंग प्लांट के कल पुर्जे) की बिक्री पर 15 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। परिणामस्वरूप 20.56 लाख रूपये का कम कर आरोपण हुआ।

(iii) वृत्त कार्यालय, धार में एक व्यवसायी के 1995–96 एवं 1996–97 अवधि हेतु अप्रैल एवं दिसम्बर 1999 में निर्धारित दो प्रकरणों में , 1.03 करोड़ रूपये मूल्य की सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर की बिक्री पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत से कर लगाया गया। परिणामस्वरूप 6.20 लाख रूपये का कम कर आरोपण हुआ।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में एक व्यवसायी के 1995–96 एवं 1996–97 अवधि हेतु क्रमशः जून एवं दिसम्बर 1998 में निर्धारित दो प्रकरणों में, 2.79 करोड़ रूपये मूल्य के 10 अश्व शक्ति और उससे अधिक क्षमता के पम्पसेटों की बिक्री पर 6 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत से कर लगाया गया। परिणामस्वरूप 5.59 लाख रूपये का कम कर आरोपण हुआ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.3 प्रवेश कर का कम निर्धारण

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में विक्रय, उपभोग, कच्चे माल या आनुषांगिक माल या संवेष्ठन सामग्री के रूप में अथवा ठेके के कार्यों के निष्पादन में उपयोग के लिये माल के प्रवेश पर अधिनियम की सूची में वर्णित दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

11 मै. आर.पी.जी. ट्रांसमिशन लि. जबलपुर (पूर्व में एस.ए.ई. (इंडिया) लि. जबलपुर)

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ में वर्ष 1996–97 अवधि हेतु निर्धारित (दिसम्बर 1999) दो व्यवसायियों के दो प्रकरणों की नमूना जांच (नवम्बर 2000) में प्रकट हुआ कि 18.97 करोड़ रूपये की कीमत के प्लांट एवं मशीनरी के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपणीय था। तथापि कर नहीं लगाया गया, क्योंकि प्लांट एवं मशीनरी की कीमत को कर योग्य क्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 18.97 लाख रूपये के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

(ii) 9 क्षेत्रीय कार्यालयों [12] एवं वृत्त कार्यालय रायपुर में 1993–94 से 1996–97 तक की अवधि हेतु निर्धारित (मई 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य) 16 व्यवसायियों के 18 अन्य प्रकरणों में देखा गया कि 196.44 करोड़ रूपये कीमत के (छत्तीसगढ़ राज्य के 5 व्यवसायियों के 6 प्रकरणों के 17.18 करोड़ रूपये सम्मिलित) बिटूमिन, पैकिंग मटेरियल, राइस ब्रान और लोहा एवं इस्पात पर प्रवेश कर आरोपणीय था , किंतु आरोपित नहीं किया गया, इसके फलस्वरूप 1.63 करोड़ रूपये के (छत्तीसगढ़ राज्य के 9.47 लाख रूपये सम्मिलित) प्रवेश कर का अनारोषण हुआ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.4 नवीन उद्योगों को कर की गलत छूट

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958/मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं इनके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों की अनुशंसा पर उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र धारक नवीन औद्योगिक इकाई को उनके द्वारा निर्मित माल के विक्रय पर, उत्पादन प्रारंभ होने से 3 से 11 वर्ष तक के लिए, कर के भुगतान से मुक्ति दी जाती है।

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर में एक व्यवसायी के 1993–94 की अवधि हेतु, जनवरी 2000 में निर्धारित, एक प्रकरण की नमूना जांच (अक्टूबर 2000) में प्रकट हुआ कि 1.76 करोड़ रूपये मूल्य के स्टेनलेस स्टील रोल्ड उत्पादों के विक्रय पर कर की गलत छूट प्रदान की गई, क्योंकि उत्पाद् व्यवसायी के पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित नहीं था। जिसके फलस्वरूप 8 प्रतिशत की दर से 14.10 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ।

कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2000) कि पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वस्तुओं का निर्माण व्यवसायी द्वारा किया गया है, अतः कर आरोपण से मुक्ति सही प्रदान की गई है। उत्तर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि पात्रता प्रमाण पत्र में स्टील रोल्ड प्रोडक्ट समाविष्ट है न कि स्टेनलैस स्टील रोल्ड प्रोडक्ट।

12 **मध्यप्रदेश**– भोपाल (2), ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना एवं उज्जैन (एक प्रत्येक)
छत्तीसगढ़– रायपुर (3)

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन में एक व्यवसायी के 1994–95 की अवधि हेतु जुलाई 1997 में निर्धारित एक प्रकरण की नमूना जांच (जनवरी 2000) में प्रकट हुआ कि एक साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट को कर मुक्ति प्रदान की गई, यद्यपि कर मुक्ति योजना के अंतर्गत 11 अक्टूबर 1990 से साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट को अपात्र उद्योग घोषित किया जा चुका था। जिसके फलस्वरूप 17.20 करोड़ रूपये की राज्य एवं अंतर्राज्यीय बिक्री पर 35.30 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ।

कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जनवरी 2000) कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी पर यह बंधनकारी है। उत्तर से यह इंगित नहीं होता कि क्या उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को पुनर्विचार हेतु भेजा था।

(iii) 3 क्षेत्रीय कार्यालयों [13] एवं 4 वृत्त कार्यालयों [14] में, 11 मार्च 1988 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि हेतु निर्धारित (जून 1996 एवं मार्च 2000 के मध्य) 7 व्यवसायियों के 10 प्रकरणों की नमूना जांच (मई 1998 एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 10.67 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर 1.17 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति प्रदान की गई, क्योंकि ये वस्तुयें या तो नवीन औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित नहीं थीं अथवा निर्मित वस्तुओं का उल्लेख व्यवसाइयों के पात्रता प्रमाण पत्र में नहीं था । जिसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रूपये राशि की कर मुक्ति गलत प्रदान की गई।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 1998 एवं फरवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.5 सकल विक्रय राशि से गलत कटौती

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 एवं मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत सकल विक्रय राशि से कटौती का प्रावधान है ।

(क) तीन क्षेत्रीय कार्यालयों [15] एवं सात वृत्त कार्यालयों [16] में अप्रैल 1993 से मार्च 1998 तक की अवधि हेतु निर्धारित (जनवरी 1997 से दिसम्बर 1999 के मध्य) 11 व्यवसायियों के 14 प्रकरणों की नमूना जांच (अक्टूबर 1998 और अगस्त 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 3.27 करोड़ रूपये की कर योग्य वस्तुओं को कर मुक्त मानकर सकल विक्रय राशि से गलत कटौती प्रदान की गई । जिसके परिणामस्वरूप 25.66 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ।

13 क्षेत्रीय कार्यालय – भोपाल, इन्दौर (2)

14 वृत्त कार्यालय – झाबुआ, मण्डला, राजगढ़, विदिशा

15 भोपाल (2), इन्दौर

16 भोपाल, ग्वालियर (2) इन्दौर, रीवा एवं सतना (2)

(ख) इसी प्रकार रायपुर के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं रायपुर एवं रायगढ़ के वृत्त कार्यालयों में अप्रैल 1993 से मार्च 1997 तक की अवधि के लिए निर्धारित (मई 1997 एवं मार्च 1999 के मध्य) 5 व्यवसाइयों के 7 प्रकरणों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि सकल बिक्रय राशि से 5.59 करोड़ रूपये की गलत कटौती प्रदान की गई। जिसके परिणामस्वरूप 52.66 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ।
प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1999 और नवम्बर 2000 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.6 समंजन (सेट आफ) की गलत स्वीकृति

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958/मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी, कर चुका कच्चा माल (तेंदु पत्ता एवं खड़ी दालों को छोड़कर) अथवा आनुषांगिक माल का प्रयोग अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में करता है, तो पूर्ण दर और रियायती दर के अन्तर के बराबर राशि के लिए समंजन का दावा कर सकता है। मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यवसाइयों एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा निर्माताओं को प्रदाय किये गये माल पर समंजन देय नहीं है। उन वस्तुओं पर भी समंजन देय नही है, जिन पर कर की दर 4 प्रतिशत तक है।
(क) क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1999 एवं मई 2000 के मध्य) में एक व्यवसायी [17] के वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि हेतु क्रमशः नवम्बर 1997 एवं नवम्बर 1998 में निर्धारित दो प्रकरणों में प्रकट हुआ कि ट्रांसमिशन टावर के पुर्जों [18] के निर्माण में उपयोग किये गये कच्चे माल आयरन व स्टील पर 1.22 करोड़ रूपये का समंजन स्वीकृत किया गया। क्योंकि आयरन व स्टील 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य था, अतः समंजन देय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रूपये का समंजन त्रुटिपूर्ण स्वीकृत हुआ।
(ख) 7 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 3 वृत्त कार्यालयों [19] में अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में व्यवसायियों के 1993–94 से 1997–98 तक की अवधि हेतु , मई 1997 एवं मई 1999 के मध्य निर्धारित 11 प्रकरणों में प्रकट हुआ कि 30.59 लाख रूपये (5.79 लाख रूपये राशि छत्तीसगढ़ राज्य की सम्मिलित) का त्रुटिपूर्ण समंजन स्वीकृत किया गया।

17 मै. आर.पी.जी. ट्रांसमिशन लि. जबलपुर (पूर्व में मै. एस.ए.ई. (इंडिया) लि. जबलपुर)

18 सेंट्रल एक्साइज टैरिफ अधिनियम 1985 में ट्रांसमिशन टावर के पार्ट्स मुख्य शीर्ष 73:08:90 में आर्टिकल्स आफ आयरन एण्ड स्टील के रूप में वर्गीकृत हैं

19 मध्यप्रदेश– क्षेत्रीय कार्यालय– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं मुरैना
वृत्त कार्यालय – गुना एवं रीवा
छत्तीसगढ़ – क्षेत्रीय कार्यालय – दुर्ग एवं रायपुर (2)
वृत्त कार्यालय– दुर्ग –II

प्रकरण आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (मई 1999 एवं मार्च 2001), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.7 बन्द इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 एवं उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कर मुक्ति योजना 1986 के अधीन छूट प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्ति अवधि एवं कर मुक्ति की सीमा समाप्त होने के 5 वर्षों तक इकाईयों को चालू रखना होगा । अधिसूचना की शर्तों के उल्लंघन पर पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने योग्य होगा। परिणामस्वस्वरूप संबंधित इकाई से प्राप्त की गई कर मुक्ति की राशि वसूल की जावेगी।

(i) वृत्त कार्यालय, रायगढ़ में एक औद्योगिक इकाई को, जिसे उपरोक्त योजना के अंतर्गत 16 नवम्बर 1986 से 15 नवम्बर 1995 तक के लिये, कर मुक्ति प्रदान की गई थी, अधिसूचना की शर्तों के विरूद्ध जुलाई 1994 में बंद कर दिया गया। अतः प्राप्त की गई 64.31 लाख रूपये की कर मुक्ति की राशि वसूली योग्य थी, किन्तु वसूल नहीं की गई।

(ii) वृत्त कार्यालय, सतना एवं क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में निर्धारित (सितम्बर 1997 से फरवरी 2000 के मध्य) दो प्रकरणों में दो नवीन औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न अवधियों (10 जून 1992 से 9 जून 1999 के मध्य) के लिये, कर मुक्ति योजना 1986 के अंतर्गत कर भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई थी। इनमें से एक व्यवसायी ने अपनी इकाई कर मुक्ति अवधि के मध्य (मार्च 1997) बंद कर दी एवं दूसरी कर मुक्ति अवधि समाप्ति के बाद की 5 वर्ष की अवधि के अंदर बन्द कर दी गई। अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करने से प्रदत्त कर मुक्ति की कुल राशि 21.51 लाख रूपये वसूली योग्य थी, जिसकी वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 21.51 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई। उपरोक्त प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000 से फरवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.8 सकल विक्रय का गलत निर्धारण

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 एवं मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक कर दायी व्यवसायी को अपने क्रयों, विक्रयों एवं स्कंधों के लेखा का रख रखाव करना होता है। विक्रय मूल्य में व्यवसायी को माल के विक्रय करने के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में देय प्रत्येक राशि का समावेश होता है।

(i) 4 क्षेत्रीय कार्यालयों [20] एवं वृत्त कार्यालयों में 1994–95 से 1996–97 तक की अवधि के लिये निर्धारित/ पुनर्निधारित (अप्रैल 1998 एवं जनवरी 2000 के मध्य) 7 व्यवसाईयों के 8 प्रकरणों की नमूना

20 मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय– ग्वालियर , इन्दौर (2), खण्डवा

जांच (नवंबर 1999 से अक्टूबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि व्यापारियों द्वारा लेखे में क्रय/विक्रय को गलत दर्शाने के कारण 306.62 लाख रूपये का सकल/कर योग्य विक्रय कम निर्धारित किया गया। जिसके परिणमस्वरूप 26.05 लाख रूपये के कर का आरोपण कम/नहीं हुआ । इसके अलावा शास्ति भी आरोपणीय थी।

(ii) इसी तरह दुर्ग के 2 वृत्त कार्यालयों में 7 व्यवसायियों के, 1991–92 और 1994–95 अवधि के निर्धारित 7 प्रकरणों (सितम्बर एवं दिसम्बर 1997 के मध्य) की नमूना जांच (नवंबर 1999 से जनवरी 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 260.45 लाख रूपये का परिवहन प्रभार (गंतव्य बिंदु तक) विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत की दर से 26.05 लाख रूपये का कम कसारोपण हुआ।

प्रकरण आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.9 वृत्ति कर की वसूली नहीं होना

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश में पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजित हो, को अनुसूची के अनुसार वृत्ति कर अदा करना होगा। राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रकरणों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कर्मचारियों के वेतन देयकों में से देय वृत्ति कर की बारह मासिक किश्तों में कटौती करेगा एवं उसे सरकारी लेखाओं में जमा कराएगा। वृत्ति कर निर्धारणअधिकारी किसी भी अवधि के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारियों से वेतन भुगतान विवरण पत्रक मांग सकते हैं।

कमांडेन्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बड़वाह एवं देवास के कार्यालयों की जून 1995 से अगस्त 2000 की अवधि की नमूना जांच (जून एवं सितम्बर 2000) में प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम 1995 के तहत इन कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन से 32.44 लाख रूपये के वृत्ति कर की कटौती की जानी थी, लेकिन यह राशि न तो काटी गई एवं न ही सरकारी लेखाओं में जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप 32.44 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (मार्च अप्रैल 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.10 क्रय कर का अनारोपण

कर मुक्ति योजना, 1981 के अनुसार नवीन औद्योगिक इकाईयों को पांच वर्ष की अवधि के लिये विक्रय कर एवं क्रय कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। यदि कर मुक्ति पात्रता की अवधि पुनः दो वर्ष के लिये बढ़ाई जाती है, तो राज्य शासन के परिपत्र [21] (31 जुलाई 1986) के अनुसार बढ़ी हुई अवधि में कच्चे माल की खरीद पर क्रय कर देय होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के एक व्यवसायी के अप्रैल 1996 से मार्च 1997 की अवधि हेतु जनवरी 2000 में निर्धारित प्रकरण की नमूना जांच (दिसम्बर 2000) में प्रकट हुआ कि व्यवसायी ने दो वर्ष की बढ़ी हुई अवधि में 4.49 करोड़ रूपये की कीमत के कच्चे माल का प्लास्टिक सामान के विनिर्माण हेतु घोषणा पत्रों पर बिना कर भुगतान किये क्रय किया। इस कच्चे माल पर क्रय कर देय था, जो कि आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 4 प्रतिशत की दर से 17.96 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 2001), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.11 गणनात्मक त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

वृत्त कार्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के दो व्यवसायियों के 1993–94 एवं 1995–96 की अवधि हेतु क्रमशः दिसम्बर 1996 एवं अप्रैल 1999 में निर्धारित दो प्रकरणों की नमूना जांच (मार्च 1999 एवं सितम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि एक प्रकरण में 3.09 लाख रूपये के बजाय 2.10 लाख रूपये एवं दूसरे प्रकरण में 23.14 लाख रूपये के बजाय 9.21 लाख रूपये की कर गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप कुल 14.92 लाख रूपये का कम करारोपण हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1999) वृत्त कार्यालय, भोपाल के कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश संशोधित करके 0.99 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग जारी की (अक्टूबर 1999)। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 1999 एवं दिसम्बर 2000); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

21 परिपत्र कमांक एफ/16/2/84/11/बी– भोपाल दिनांक 31 जुलाई 1986

2.12 विलासिता कर आरोपण से गलत छूट

मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के तहत राज्य/केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वर्गीकृत स्टार होटल कर भुगतान से मुक्त है।

वृत्त कार्यालय, जबलपुर के एक होटल के 25 अक्टूबर 1993 से 6 सितम्बर 1996 तक की अवधि हेतु निधारित प्रकरण (जून 1997) में प्रकट हुआ (जनवरी 2000) कि होटल की कुल सकल प्राप्ति 1.13 करोड़ रूपये पर आरोपणीय विलासिता कर, उसे स्टार होटल मान्य कर आरोपित नहीं किया गया। तथापि अभिलेखों के अनुसार होटल के संस्थापक (प्रमोटर) ने न तो होटल को स्टार होटल के वर्गीकरण हेतु आवेदन किया और न ही होटल के कार्य प्रांरभ करने के बाद इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत की दर से कुल 11.32 लाख रूपये के विलासिता कर के आरोपण से गलत छूट दी गई।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को को प्रतिवेदित किया गया(मई 2000) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.13 सकल विक्रय छिपाने से कर का अवनिर्धारण

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 (एक्ट)/ मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के तहत प्रत्येक व्यवसायी/निर्माता को माल की मात्रा एवं मूल्य को दर्शाते हुए खरीद स्कंध, स्थानान्तरण पर प्राप्त माल तथा विक्रय के लेखाओं का संधारण करना होता है। यदि क्रय/प्राप्तियां छिपाई जाती हैं, तो एक्ट के अधीन कर राशि के बराबर एवं अधिनियम के अधीन कर के पांच गुने के बराबर शास्ति आरोपणीय है।

6 क्षेत्रीय कार्यालयों [22] में अन्य प्रदेशों से घोषणा पत्र सी. फार्म पर क्रय की गई वस्तुओं एवं अन्य प्रदेशों से घोषणा–पत्र एफ–फार्मों पर प्राप्त वस्तुओं के व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के साथ प्रति परीक्षणों (जुलाई और सितम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि व्यवसायियों ने क्रय और प्राप्तियों के 55.15 करोड़ रूपये के वास्तविक मूल्य के बजाय केवल 47.33 करोड़ रूपये मूल्य का सामान ही अपने खातों में 1995–96 से 1999–2000 के दौरान प्राप्त होना दर्शाया। 7.82 करोड़ रूपये मूल्य की क्रय/ प्राप्तियां छिपाने के परिणामस्वरूप 3.97 करोड़ रूपये (0.72 करोड़ रूपये का कर तथा 3.25 करोड़ रूपये की शास्ति) का अवनिर्धारण हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर (जुलाई एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारी सत्यापन पश्चात कार्यवाही करने हेतु सहमत हुए।

22 विलासपुर, दुर्ग, इन्दौर, जबलपुर, रायगढ़ और रायपुर

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 2000) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

अध्याय 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान आबकारी अभिलेखों की नमूना जांच में 4612 प्रकरणों में 100.74 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, अब निर्धारण, राजस्व हानियां एवं शास्तियों का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	मध्यप्रदेश में विदेशी मदिरा व्यापार में हानि	3029	29.41
(ii)	कम उतारी के कारण राजस्व हानि	40	22.48
(iii)	लायसेंस फीस/ नीलामी राशि की बकाया का संचयन	735	21.92
(iv)	लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर शास्ति का अनारोपण	109	3.36
(v)	अधिक छीजन पर शुल्क का अनारोपण/ वसूली न होना	509	1.57
(vi)	अन्य	190	22.00
	योग	**4612**	**100.74**

वर्ष 2000–2001 में, विभाग ने 379 प्रकरणों में 30.59 करोड़ रूपये राशि के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया, इनमें 30.20 करोड़ रूपये राशि के 371 प्रकरण वर्ष 2000–2001 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। इनमें से 89 प्रकरणों में 1.21 करोड़ रूपये वसूल हो चुके हैं। 7 करोड़ रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं, इनमें से 9.96 लाख रूपये लेखापरीक्षा की पहल पर वसूल किये जा चुके हैं।

3.2 देय राशियों की वसूली न करने से राजस्व हानि

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में आबकारी राजस्व की वसूली इसके भुगतान हेतु दायी व्यक्ति से या उसके प्रतिभू (यदि कोई हो तो) से , उसकी सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा या बकाया भू–राजस्व की वसूली की अन्य प्रक्रिया द्वारा, करने का प्रावधान है।

जिला आबकारी कार्यालयों ग्वालियर एवं रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2000 और जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि पते की अनुपलब्धता (4 प्रकरण सन्निहित राशि 124.33 लाख रूपये) सम्पत्ति के विवरण उपलब्ध न होने एवं दोषी का पता लगाने के लिए उपयुक्त और समुचित खोजबीन

न करने (88 प्रकरण, सन्निहित राशि 311.30 लाख रूपये) और शासन को देय राशियां भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण वर्ष 1991–1992 से 1999–2000 तकके 92 प्रकरणों में 1 से 10 वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत भी चूककर्ताओं से 4.36 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व की वसूली नहीं हो सकी थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मई 2000 और जनवरी 2001 के मध्य) सहायक आयुक्त, आबकारी, ग्वालियर और रीवा ने बताया (मई 2000/ जनवरी 2001) कि सभी प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रगति पर थी।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च और अप्रैल 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.3 शीरे के कम लेखांकन के कारण हानि

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में परिवहन, भण्डारण अथवा अन्य प्रकार से हुई शीरे की हानियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2000) में प्रकट हुआ कि विभिन्न शक्कर कारखानों से 24598 टन शीरा रतलाम स्थित आसवनी को भेजा गया (दिसम्बर 1998 और जून 2000 के मध्य), जिसके विरूद्ध आसवक द्वारा केवल 24187 टन लेखांकित किया गया, परिणामस्वरूप 411 टन शीरा कम लेखांकित हुआ। इसके बाद आसवक द्वारा नियमों के प्रतिकूल 704.901 टन शीरा स्कन्ध में से तदर्थ रूप से घटा दिया गया। इस प्रकार 1116 टन शीरे की अमान्य (अदेय) कमी, जिससे 3.75 लाख प्रूफ लीटर स्प्रिट उत्पादन अपेक्षित था, में 89.97 लाख रूपये की संभाव्य राजस्व हानि अंतर्निहित थी।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2000) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.4 बिना शुल्क भुगतान किये विदेशी मदिरा का निर्यात

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में बोतल भराई अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर परन्तु भारत में विदेशी मदिरा का निर्यात, शुल्क भुगतान करने पर, या अंतर्निहित शुल्क की राशि के बराबर बैंक गारण्टी देने पर या फिर पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बाण्ड निष्पादन करने पर, किये जाने का प्रावधान है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि आयातकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो आरोपणीय शुल्क वसूल करना है।

भिण्ड एवं धार के जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून एवं नवम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अप्रैल से सितम्बर 2000 के दौरान 13 परमिटों पर 60696 प्रूफ लीटर विदेशी

मदिरा के निर्यात पर 3 अनुज्ञप्तिधारियों [23] से 36.42 लाख रूपये का आबकारी शुल्क वसूल नहीं किया गया, यद्यपि सत्यापन प्रतिवेदन, परमिटों की वैधता अवधि की समाप्ति से 5 माह पश्चात भी, प्राप्त नहीं हुए थे। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से 36.42 लाख रूपये का आबकारी शुल्क वसूल नहीं हुआ। प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी एवं मार्च 2001 के मध्य) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.5 नीलाम राशि में गलत कमी के कारण राजस्व हानि

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्ति का निर्वर्तन एक वित्तीय वर्ष के लिए नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 2000) के अनुसार बोली, नीलाम तिथि से 10 दिवस अनधिक की तिथि से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए होगी। दुकानों का प्रभार इन 10 दिवसों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सहित सफल बोलीदार को सौंपा जावेगा।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों [24] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि दिनांक 9 एवं 13 अप्रैल 2000 को नीलाम हुए चार समूहों की उच्चतम बोलियां कुल 25.88 करोड़ रूपये की थी। अनुज्ञप्तिधारियों को दुकानों का प्रभार 14 एवं 22 अप्रैल 2000 को सौंपा गया एवं अनुज्ञप्तियां क्रमशः 14 तथा 23 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक के लिये जारी की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित नीलाम राशि में से नीलाम तिथि से दुकानों का प्रभार सौंपे जाने की तिथि तक की अवधि के लिये 30.58 लाख रूपये की राशि गलत रूप से कम कर दी गयी थी (मार्च 2001)। परिणामस्वरूप 30.58 लाख रूपये राजस्व की हानि हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) सहायक आयुक्त, रीवा द्वारा 6.41 लाख रूपये वसूल कर लिये गये (फरवरी 2001)। तथापि जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड ने बताया (अप्रैल 2001) कि नीलाम राशि में कमी शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी (मार्च 2001)। उत्तर मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि मूल स्वीकृति में नीलाम राशि को कम करने का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2001), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

23 मै.ग्वालियर डिस्टलरी भिण्ड, ओएसिस डिस्टलरी बोरोली (धार) और सिल्वर ओक प्रा.लि. पीथमपुर (धार)

24 भिण्ड, रीवा एवं सतना

3.6 पोस्ता भूसा पर लायसेंस फीस वसूल न किया जाना

स्वापक औषधियॉं एवं मनोत्तेजक पदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 तथा पोस्ता भूसा के थोक एवं फुटकर अनुज्ञप्तियों के लिये नीलाम/निविदा की शर्तों में प्रावधान है कि ये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों के तहत कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। इसमें चूक होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी, नियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य कार्यवाही करने के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति निलम्बित / निरस्त कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी की जोखिम पर समूह का पुनः विक्रय कर सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी, रतलाम के अभिलेखों की नमूना जॉंच (अगस्त 2000) में प्रकट हुआ कि 7.09 लाख रूपये की प्रतिभूति लिये बिना पोस्ता भूसा के एक समूह की थोक एवं फुटकर दुकानों की वर्ष 1999–2000 के लिए 85.11 लाख रूपये की अनुज्ञप्ति की गलत स्वीकृति दी गई। दूसरी बात अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति फीस की मासिक किस्त का पूर्ण भुगतान माह अप्रैल 1999 से नहीं किया गया और अनुज्ञप्ति फीस की देय राशि 85.11 लाख रूपये के विरूद्ध केवल 55.82 लाख रूपये का ही भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 29.29 लाख रूपये लायसेंस फीस की वसूली नहीं हुई। विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही, जैसा कि नियमों में प्रावधान है, प्रारंभ नहीं की गई।

प्रकरण आवकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2001)। आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2001) कि 3.55 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है और 25.74 लाख रूपये की वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में थी। शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.7 पोस्ता भूसा समूहों की पुनः नीलामी से हानि

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना (मार्च 1999) के अनुसार यदि उच्चतम बोलीदार अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता या बोली वापस लेता है, तो पुनः नीलाम करने में जो हानि होगी वह धरोहर राशि राजसात किये जाने के अतिरिक्त, उससे भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति कलेक्टर द्वारा वसूल की जायेगी।

जिला आबकारी कार्यालय रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2000) से प्रकट हुआ कि वर्ष 2000–2001 के लिये पोस्ता भूसा के दो समूह (रतलाम और जावरा) 8 जून 2000 को 96.01 लाख रूपयेमें नीलाम किये गये थे। चूंकि बोलीदार अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहा, यह समूह 22 जून 2000 को 40 लाख रूपये में पुनः नीलाम किये गये। पुनः नीलामी के परिणामस्वरूप 56.01 लाख रूपये की हानि हुई। विभाग द्वारा प्रतिभूति की राशि 10.50 लाख रूपये राजसात की गई है तथा शेष 45.51 लाख रूपये वसूल नहीं किये गये।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2001)। आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2001) कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं (जून 2001)। वसूली के संबंध में आगे का प्रतिवेदन तथा शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.8 मान्य न किये जाने योग्य स्पिरिट छीजन

मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में स्पिरिट के राज्य के बाहर टेंकर में परिवहन किये जाने पर रिसन या वाष्पीकरण से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है। विहित अनुमत्य सीमा से अधिक हानियों के लिये अनुज्ञप्ति धारी शास्ति हेतु दायी है।

दो आसवनियों [25] के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2000) में प्रकट हुआ कि दिसंबर 1998 से फरवरी 2000 के दौरान 178 परिमिटों पर 41.55 लाख प्रूफ लीटर स्प्रिट अन्य राज्यों को टेंकरों में निर्यात की गई। छीजन मान्य सीमा से 29576 प्रूफ लीटर अधिक हुई। जिस पर 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से 8.87 लाख रूपये की शास्ति आरोपणीय थी, जिसका आरोपण नहीं किया गया।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया(सितम्बर 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.9 राज्य सरकार की स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना

मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 में प्रावधान है कि आसवनी द्वारा उपार्जित राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक राज्य सरकार की स्थापनापर हुआ व्यय, आसवक से वसूल किया जावेगा।

पांच आसवनियों [26] के अभिलेखों की नमूना जांच (मई एवं नवम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान राज्य सरकार की स्थापना पर प्राप्त राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक हुई व्यय राशि 14.98 लाख रूपये आसवकों से वसूल नहीं की गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मई एवं नवम्बर 2000 के मध्य) जिला आबकारी अधिकारी, धार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर बैंच के मई 2000 निर्णय के प्रकाश में वसूली नहीं की जा सकी।

25 ग्वालियर आसवनी , ग्वालियर और रायरू आसवनी, ग्वालियर

26 मैसर्स केडिया लिकर आसवनी, ऐकलदूना धार
मैसर्स ओएसिस आसवनी, धार
मैसर्स सोम आसवनी, सेहत गंज, रायसेन
मैसर्स ग्वालियर आसवनी, ग्वालियर और
मैसर्स रायरू आसवनी, ग्वालियर

उक्त उत्तर मान्य नहीं है , क्योंकि उच्च न्यायालय, के निर्णय का दायरा दो आसवनियों केडिया ग्रेट गेलियन लिमिटेड, धार एवं लीला संन्स ब्रेवरीज लिमिटेड, भोपाल तक ही सीमित था। अतः अधिक व्यय की राशि अन्य आसवनियों से वसूली योग्य है।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.10 शीरे के अतिरिक्त अन्य मूलों (बेसेज) से अल्कोहल का कम उत्पादन

राज्य सरकार ने शीरे के अतिरिक्त अन्य मूलों (बेसेस) से अल्कोहल उत्पादन हेतु मानकों का निर्धारण नहीं किया है तथापि टैक्नीकल एक्साइज मैन्युअल [27] में मानक प्रावधान हैं, जिनके अनुसार महुआ एवं चावल के प्रत्येक क्विंटल से क्रमशः 48.5 एवं 56.06 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये।

दो आसवनियों [28] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मई एवं सितम्बर 1999 के मध्य) कि 5399 क्विंटल महुआ एवं चावल से मैन्युअल के अनुसार 2.97 लाख प्रूफ लीटर अपेक्षित अल्कोहल उत्पादन के विरूद्ध केवल 2.62 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का ही उत्पादन हुआ। 0.35 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन में 8.40 लाख रूपये की शुल्क की संभाव्य हानि सन्निहित थी।

जिला आबकारी अधिकारी, कोक्स आसवनी नौगांव (छतरपुर) एवं जिला आबकारी अधिकारी, ग्वालियर आसवनी ने बताया (अप्रैल एवं जून 2000 के मध्य) कि आसवनी नियमों में, अल्कोहल उत्पादन पर उपयुक्त नियंत्रण हेतु महुआ एवं चावल से अल्कोहल उत्पादन के संबंध में मानकों का प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर दर्शाता है कि आबकारी आयुक्त द्वारा जून 1997 में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन की इसी तरह की कंडिका के उत्तर के संदर्भ में, किये गये वायदे के अनुसार शीरे के अतिरिक्त अन्य मूलों से अल्कोहल उत्पादन हेतु नियम बनाने की कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च एवं अप्रैल 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

[27] टेक्निकल एक्साइज मैन्युअल' विभागीय प्रशिक्षण के दौरान संदर्भ पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

[28] नौगांव (छतरपुर) एवं ग्वालियर

अध्याय-4 : वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 5711 प्रकरणों में 669.61 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण/ अव निर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वाहन कर भुगतान न करना	3	595.21
(ii)	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर शास्ति एवं समझौता शुल्क का अनारोपण	406	18.56
(iii)	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर की वसूली न करना/ कम करना	3195	8.29
(iv)	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	2094	6.89
(v)	अन्य	13	40.66
	योग	**5711**	**669.61**

विभाग ने 336 प्रकरणों में 2.37 करोड़ रूपये के कम निर्धारण/हानि आदि को स्वीकार किया, जो वर्ष 2000–2001 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे। 50 प्रकरणों में 22.88 लाख रूपये की वसूली हुई थी।

18.27 करोड़ रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। इनमें से 5.86 लाख रूपये लेखापरीक्षा की पहल पर वसूल किये जा चुके हैं।

4.2 कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 (अधिनियम 1991) एवं उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश कराधान नियम, 1991 (नियम 1991) के अनुसार राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक वाहन पर वाहन कर आरोपणीय है। यदि किसी मोटरयान पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त भुगतान न की गई कर की राशि के एक

तिहाई की दर से, किंतु कर भुगतान न की गई राशि के दुगुने से अनधिक, शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। जहॉ वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कराधान प्राधिकारी द्वारा मांग सूचनापत्र जारी किया जाना और देय कर की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली की जाना अपेक्षित है।

(क) *आरक्षित या अतिरिक्त प्रक्रम वाहन*

7 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों [29] एवं 11 उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों [30] के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1997 एवं मार्च 2001 के मध्य की अवधि के 780 अतिरिक्त प्रकम वाहनों का 1.82 करोड़ रूपये राशि के वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। 3.64 करोड़ रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 5.46 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (फरवरी 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छतरपुर ने बताया (जून 2001) कि 3.12 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है, अन्य इकाइयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(अक्टूबर 2001)।

(ख) *मालवाहन*

10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [31] एवं 12 उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [32] के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की विभिन्न अवधियों में वाहन स्वामियों द्वारा 1507 माल वाहनों पर 1.68 करोड़ रूपये के वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। यहां तक कि विभाग द्वारा मांग सूचना पत्र भी जारी नहीं किए गए। मांग एवं संग्रहण पंजी की समीक्षा तथा चूककर्ताओं की सूची तैयार करने में कराधान प्राधिकारियों की विफलता के कारण 1.68 करोड़ रूपये के वाहन कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त 3.36 करोड़ रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2000 तथा फरवरी 2001 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कटनी के द्वारा उत्तर दिया गया कि 16 प्रकरणों में मांग सूचनापत्र जारी किए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

29 ग्वालियर, होशंगाबाद, मुरैना, रायपुर, रीवा, सागर तथा उज्जैन

30 अंबिकापुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दुर्ग, गुना, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, राजनांदगांव, सतना एवं सिवनी

31 बिलासपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रायपुर , रीवा, सागर एवं उज्जैन

32 अंबिकापुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दुर्ग, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर,, राजनांदगांव, सतना एवं सिवनी

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ग)(i)लोक सेवा वाहन

8 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [33] एवं 11 उप–क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [34] के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2000 तथा फरवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि हेतु 235 लोक सेवायानों का 1.26 करोड़ रूपये वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। विभाग द्वारा मांग सूचना पत्र जारी किए जाना नहीं पाए गए। 2.52 करोड़ रूपये राशि की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (मप्रासपनि) के स्वामित्व वाले वाहन

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , रायपुर के अभिलेखों की नमूनाजांच (नवम्बर एवं दिसम्बर 1999 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अंतर्राज्यीय अनुज्ञापत्रों पर संचालित 4 लोक सेवा वाहनों का अप्रैल 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य की अवधि का वाहन कर मप्रासप निगम द्वारा भुगतान नहीं किया गया। विभाग ने 6.18 लाख रूपये के कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त 12.36 लाख रूपये राशि की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2001)।

(घ) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट

ग्वालियर, इंदौर एवं रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं गुना खरगोन और सिवनी के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 25 वाहनों पर अप्रैल 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि हेतु 39.66 लाख रूपये राशि के वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया और कराधान प्राधिकारियों के द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। 79.32 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी। वसूली के संबंध में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

33 ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, मुरैना, रायपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन

34 अंबिकापुर, छतरपुर, दुर्ग, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, राजनांदगांव, सतना एवं सिवनी

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2000 एवं फरवरी 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ड़) *ओमनी बस*

9 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [35] एवं 10 उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [36] के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि जुलाई 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि हेतु 723 ओमनी बसों के वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया। यद्यपि चूककर्ता प्रचालकों की सूची सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकरियों द्वारा वसूली हेतु प्रवर्तन स्टाफ को दी गई थी, परंतु बकाया की वसूली हेतु उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 30.84 लाख रूपये का वाहन कर एवं 61.67 लाख रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरैना एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, राजनांदगांव ने बताया (अगस्त एवं नवंबर 2000 के मध्य) कि चूक कर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी किए जावेंगे । अन्य क्षेत्रीय एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा बताया गया (जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि प्रकरणों की जांच के उपरांत वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी। वसूली हेतु की गई आगामी कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(च) *निजी सेवा वाहन*

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [37] एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधियों के लिए 28 निजी सेवा वाहनों के वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही विभाग के द्वारा इसकी मांग की गई। यद्यपि वसूली हेतु चूककर्ता प्रचालकों की सूची प्रवर्तन स्टाफ को दी गई थी, परंतु उनके द्वारा देय राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 14.05 लाख रूपये के वाहन कर की वसूली तथा 28.10 लाख रूपये की शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

35 बिलासपुर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रायपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन

36 अंबिकापुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दुर्ग, गुना, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, राजनांदगांव एवं सतना

37 बिलासपुर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन

4.3 प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम, 1991 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य राज्यों के माल वाहनों पर,जो उन राज्यों द्वारा जारी तथा मध्यप्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित है, अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची में दर्शित दर के 85 प्रतिशत के दर से तिमाही, छमाही या वार्षिक, जो भी प्रचालकों द्वारा चुना जाय, कर देय है। यदि निर्धारित समय में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी कर के अतिरिक्त शास्ति भुगतान हेतु दायी होगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीवा एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सतना के अभिलखों की नमूना जांच में (सितंबर एवं दिसंबर 2000 के मध्य) प्रकट हुआ कि मार्च 2000 तक के वैध अनुज्ञापत्रों वाले अन्य राज्यों के 48 मालवाहनों का अप्रैल 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि हेतु 4.75 लाख रूपये राशि के वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। 9.50 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

4.4 अनुज्ञापत्रों की जमा को गलत स्वीकार करने से वाहन कर की हानि

(क) नियम, 1991 में दर्शित किसी भी कारण से यथा यांत्रिक व्यवधान या उसकी मरम्मत, मार्ग का मोटर चलाए जाने योग्य न होना, न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के आदेश के कारण प्रचालन न होना, धारक द्वारा अनुज्ञा पत्र कराधान अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश मोटरवाहन नियम, 1994 परिवहन अधिकारी को वाहन की मरम्मत कराने या स्थानापन्न वाहन की व्यवस्था करने हेतु अनुज्ञापत्र धारक को निर्देश देने का अधिकार देता है। यदि अनुज्ञापत्र धारक इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञापत्र को निलंबित या निरस्त किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर एवं उज्जैन और उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अंबिकापुर तथा गुना के जुलाई 1998 से मार्च 2000 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में (अक्टूबर 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) प्रकट हुआ कि 24 नियमित प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र 1 से 21 माह तक की अवधि तक यांत्रिकीय व्यवधान के कारण जमा रहे। तथापि, नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापत्र धारक को वाहन की मरम्मत या वाहन की स्थानापन्न व्यवस्था करने हेतु नहीं कहा गया। इससे शासन न केवल 20.15 लाख रूपये (मध्यप्रदेश : 18.76 लाख रूपये एवं छत्तीसगढ़ : 1.39 लाख रूपये) के राजस्व से वंचित रहा बल्कि इसके फलस्वरूप जनता भी वाहन सुविधाओं से वंचित रही।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001 से मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ख) नियम, 1991 के अनुसार यदि अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र के जमा रखने की अवधि को बढ़ाना चाहता है, तब वह नवीनरूप से आवेदन करेगा तथा उस आवेदन पत्र पर कराधान प्राधिकारी द्वारा नए आवेदन पत्र की भांति विचार किया जावेगा। अनुज्ञापत्र धारी, जिसने समय वृद्धि हेतु आवेदन नहीं किया है, उस अवधि के लिए जो उपयोग न किये जाने के लिए अभिस्वीकृत आवेदन पत्र की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात प्रारंभ होगी, कर भुगतान हेतु दायी होगा, जिसके असफल रहने पर वह शास्ति के भुगतान हेतु भी दायी होगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सिवनी के अप्रैल 1998 से मार्च 2000 तक के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 2 प्रकरणों में नियमित प्रक्रम वाहनों के अनुज्ञापत्र फरवरी 1998 एवं दिसंबर 1999 में कराधान प्राधिकारी के पास जमा किए गए थे। ये अनुज्ञापत्र न तो अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा उठाये गए और न ही निर्धारित प्रपत्र पर अवधि वृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। अतः प्रचालक मार्च 1998 से मार्च 1999 तथा जनवरी से मार्च 2000 की अवधि हेतु 2.10 लाख रूपये के वाहन कर एवं 4.20 लाख रूपये की शास्ति का भुगतान करने हेतु दायी थे, जिसका आरोपण नहीं किया गया।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

4.5 अनुज्ञापत्र के बगैर या अनुज्ञापत्र की शर्तों के प्रतिकूल प्रचालित लोक सेवावाहनों पर वाहन कर की वसूली न होना

अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक वाहन पर निर्धारित दर पर वाहन कर आरोपणीय है। शासन ने अधिसूचित (19 अक्टूबर 1992) किया कि अनुज्ञापत्र/फिटनेस प्रमाण पत्र/बीमा/चालक और परिचालक के लायसेंस के बिना वाहन का प्रचालन अधिनियम के तहत संयोजनीय अपराध है। बिना अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तों के प्रतिकूल वाहनों के प्रचालन पर वाहन कर उच्च दरसे आरोपणीय है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों रीवा, सागर एवं उज्जैन तथा उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों खरगोन, मंदसौर एवं राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि विभाग ने बिना अनुज्ञापत्र/फिटनेस प्रमाण–पत्र/ बीमा/ चालक एवं परिचालक लायसेंस के प्रचालित 36 लोक सेवा वाहन एवं 4 माल वाहन (सितंबर 1996 एवं मार्च 2000 के मध्य) पकड़े। तथापि विभाग के द्वारा देय कर की वसूली नहीं की गई। इस तरह 11.23 लाख रूपये राशि का वाहन कर अप्राप्त रहा।

इस ओर इंगित किए जाने पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजनांदगांव ने बताया (नवंबर 2000) कि चूक कर्ताओं को वसूली हेतु मांग पत्र भेजे गये थे।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2000 एवं मई 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

4.6 अंतर्राज्यीय मार्गों पर प्रचालित लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम, 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य राज्यों के मोटरयानों को पारस्परिक करार के तहत प्रथम अनूसूची में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान करने पर राज्य में प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है। यदि निर्धारित समय में कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो शास्ति भी आरोपणीय है।

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [38] एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मंदसौर के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च एवं नवंबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि (अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि हेतु) पारस्परिक करार के तहत प्रचालित अन्य राज्यों के 52 लोक सेवा वाहनों पर 13.81 लाख रूपये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों के द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरक्त 27.62 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मार्च एवं नवंबर 2000 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों में जांच उपरांत वसूली की जावेगी, जबकि अतिरक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर ने बताया (अप्रैल 2001) कि वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र जारी किये गये हैं (मार्च 2001)।

प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

4.7 वाहन कर एवं शास्ति की कम वसूली

अधिनियम, 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गये अथवा उपयोग हेतु रखे जाने वाले प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर कर देय होगा। यदि किसी वाहन के कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त अधिनियम, 1991 में विनिर्दिष्ट शास्ति के भुगतान हेतु दायी होगा।

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [39] एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों , छतरपुर एवं खरगोन के 33 लोक सेवा वाहनों के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अगस्त 1996 एवं मार्च 2000 के मध्य कर की निचली दर लागू करने, मार्ग की अल्प दूरी अंगीकार कर त्रुटिपूर्ण गणना करने एवं कर की पूर्व संशोधित दर से वसूली करने के कारण 9.04 लाख रूपये राशि का वाहन कर कम आरोपित हुआ। 18.09 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, परंतु आरोपित नहीं की गई।

38 बिलासपुर, ग्वालियर, मुरैना एवं सागर

39 ग्वालियर, होशंगाबाद, रायपुर एवं उज्जैन

इस ओर इंगित किये जाने पर (फरवरी 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छतरपुर ने बताया (जून 2001) कि 2.74 लाख रूपये वसूल किये जा चुके हैं तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, होशंगाबाद, ग्वालियर, रायपुर एवंउज्जैन और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खरगोन ने बताया (मार्च 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि प्रकरणों की जॉच के उपरांत कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही पर आगामी प्रगति सूचित नहीं की गई है (अक्टूबर 2001)।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

4.8 *वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण*

अधिनियम, 1991 के अधीन यदि किसी मोटर वाहन पर देय कर का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरक्त प्रत्येक माह या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से, किंतु कर की भुगतान न की गई राशि के दुगने से अनधिक, शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [40] एवं उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों, खंडवा एवं राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में यह प्रकट हुआ कि यद्यपि 25 माल वाहनों एवं 45 लोक सेवा वाहनों पर अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य देय कर का भुगतान 1 से 27 माह विलंब से किया गया था, किंतु विलंबित भुगतान पर शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7.80 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

40 ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर एवं रायपुर

अध्याय 5 : भू राजस्व

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 में भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 127214 प्रकरणों में 268.11 करोड़ रूपये के राजस्व का अनिर्धारण/अव निर्धारण एवं मांग जारी न करने के प्रकरण प्रकाश में आये, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों द्वारा राजस्व के संग्रहण में विलंब	44275	89.75
(ii)	संगठनों , संस्थाओं, बोर्डों एवं स्थानीय निकायों को आवंटित नजूल भूमि	1	54.73
(iii)	नजूल भूमि पर प्रब्याजि तथा भू–भाटक का अनिर्धारण/ अव निर्धारण	5497	32.66
(iv)	व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का अनिर्धारण/ अव निर्धारण एवं पुनरीक्षण न किया जाना	3668	29.72
(v)	भू–राजस्व की बकाया की भांति देय राशियों की वसूली	1	22.52
(vi)	पंचायत उपकर का अनारोपण, अर्थ दंड एवं शास्तियों की वसूली न होना	64529	8.46
(vii)	अन्य	9243	30.27
	योग	**127214**	**268.11**

वर्ष 2000–2001 में विभाग द्वारा 108770 प्रकरणों में 177.88 करोड़ रूपये के राजस्व का अव निर्धारण आदि स्वीकार किया गया।

"देय राशियों की भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूली" की समीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण, जिनमें 83.09 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित है, आगे की कंडिकाओं में दिये गये है :

5.2 देय राशियों की भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली

5.2.1 *प्रस्तावना*

राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) एक दस्तावेज है, जिसके द्वारा अन्यथा वसूल न होने वाली शासकीय देयताओं को चूककर्ताओं से वसूल किया जाता है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 (एम.पी.एल.आर.कोड, 1959) की धारा 145 से 156 में प्रक्रिया दी गई है, जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा वसूली की जाना अपेक्षित है।

विभिन्न योजनाओं यथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों, जो राज्य सरकार/ बैंकिंग कंपनियों को चुकाये जाने हैं, की त्वरित वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (लोक धन अधिनियम, 1987) लागू किया है एवं इसके अधीन मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988 (एम.पी. एल. नियम, 1988) बनाये हैं।

लोक धन अधिनियम, 1987 में इस प्रयोजन के लिए उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं एवं उस जिले के जिलाधीश को संबोधित होते हैं, जहां चूककर्ता निवास करता है। वह इसे संबंधित तहसील कार्यालय (वासिल बाकी नवीस अनुभाग) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करता है, जहां चूककर्ता को मांग सूचना पत्र जारी करने के पूर्व मांग को आर.आर.सी रजिस्टर (प्रपत्र vii) में अंकित किया जाता है।

5.2.2 *संगठनात्मक संरचना*

मध्यप्रदेश राज्य (नये राज्य छत्तीसगढ़ को शामिल कर, जो 1 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आया) में 61 जिले हैं और 353 तहसील कार्यालय हैं। सभी 61 जिले, 12 राजस्व संभागों के समूह में रखे गये हैं। प्रत्येक राजस्व संभाग का प्रमुख राजस्व आयुक्त होता है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिलाध्यक्षों तथा तहसीलदारों के माध्यम से करता है। प्रत्येक तहसील को राजस्व वृतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वृत्त में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक राजस्व न्यायालय होता है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले चूककर्ताओं के विरूद्ध जारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु उत्तर दायी हैं।

5.2.3 *लेखापरीक्षा का क्षेत्र*

"देय राशियों की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली" की समीक्षा 61 जिलों तथा 353 तहसीलों में से 19 जिला कार्यालयों तथा 28 तहसीलों में, वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के लिए, अप्रैल 2000 से फरवरी 2001 के मध्य की गई। प्रकाश में आई अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है :

5.2.4 विशेषताएं

(i) जिलाध्यक्ष/ तहसील कार्यालयों में 3.07 करोड़ रूपये की राशि के 880 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन/प्रेषण नहीं हुआ था।

(कंडिका 5.2.6 (क))

(ii) राजस्व न्यायालयों द्वारा 39.71 करोड़ रूपये के 4498 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.2.6 (ख))

(iii) जिला कार्यालयों द्वारा भेजे गये 9.20 करोड़ रूपये के 255 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलों में नहीं पाये गये।

(कंडिका 5.2.7)

(iv) 1.23 करोड़ रूपये के 474 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के पास गलत वापस कर दिये गये।

(कंडिका 5.2.8)

(v) 2.10 करोड़ रूपये की वसूली के 173 प्रकरण गलत समाप्त कर दिये गये।

(कंडिका 5.2.10)

(vi) राजस्व न्यायालयों द्वारा 851 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों में, जिनमें 2.63 करोड़ रूपये की वसूली सन्निहित थी, चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी/तामील नहीं किये गये।

(कंडिका 5.2.12)

(vii) 4.09 करोड़ रूपये के 1226 प्रकरणों में संपत्ति के कुर्की वारंट जारी नहीं किये गये।

(कंडिका 5.2.13 (i))

(viii) 80.10 लाख रूपये के 2044 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों में प्रक्रिया व्यय वसूली की मांग सृजित नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.15)

(ix) 1.66 करोड़ की प्रक्रिया व्यय की राशि ब्रिस्क योजना के अंतर्गत बैंकों से वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.16)

(x) 1756 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र, जिनमें 14.69 करोड़ रूपये की राशि शामिल थी, को तहसील कार्यालयों द्वारा गलत रोके रखा गया।

(कंडिका 5.2.17)

5.2.5 (क) *वसूली प्रक्रिया*

मध्यप्रदेश लोकधन नियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रारंभ में जिलाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त किये जाते हैं तथा संबंधित तहसीलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने से पूर्व वसूली पंजी में दर्ज किये जाते हैं। तहसील में वासिल बाकी नवीस अनुभाग में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र पंजी में पुनः दर्ज किये जाने के बाद मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 145 से 156 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध करने तथा प्रारंभिक वसूली प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु संबंधित राजस्व न्यायालयों को भेजे जाते हैं। प्रत्येक वसूली अधिकारी (जिलाध्यक्ष/तहसीलदार) द्वारा प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए प्रत्येक बैंकिंग कंपनी/निगम/विभाग के लिए निर्धारित फार्म vii में अलग अलग पंजियॉं संधारित की जाना अपेक्षित है।

प्रतिमाह 20 तारीख को तहसील कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र ix) में एक मासिक विवरण पत्र माह में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या, राशि वसूल किये गये प्रकरणों की संख्या, राशि वसूल किये जाने योग्य बकाया प्रकरणों की संख्या तथा समाप्त प्रकरणों की संख्या आदि दर्शाते हुये जिलाध्यक्ष कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जो पूरे जिले के लिए प्रपत्र x में एक समेकित प्रतिवेदन माह के अंतिम दिन संस्थागत वित्त संचालनालय को भेजेगा। जून 2000 को समाप्त तिमाही से यह समेकित प्रतिवेदन मासिक के स्थान पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी तथा अप्रैल की 25 तारीख को तिमाही भेजा जाना है।

(ख) *पद्धति संबंधी कमियां*

(i) *प्रारंभिक अभिलेखों का असंधारण/अनुचित संधारण*

(i) 19 जिलाध्यक्ष तथा 28 तहसील कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि न तो राजस्व वसूली प्रमाण पत्र पंजियां निर्धारित प्रपत्र में संधारित की गई और न ही प्रत्येक विभाग/बैंकिंग कंपनी आदि के लिए अलग–अलग पंजी रखी गई। इनमें से 8 जिलाध्यक्ष तथा 15 तहसील कार्यालयों में केवल एक पंजी संधारित की गई थी, जिसमें सभी राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की प्रविष्टियां की गई थी। बिलासपुर तथा कवर्धा जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं विलासपुर तथा विदिशा तहसील में, यह एक पंजी भी, संधारित नहीं की गई थी।

(ii) प्राप्त हुए राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त वसूली योग्य राशि को दर्शाते हुये मासिक विवरण प्रत्येक माह की 20 तारीख को जिलाध्यक्ष को भेजना होता है, जो किसी भी तहसीलदार द्वारा नहीं भेजा गया।

5.2.6 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का अपंजीयन/पंजीयन में विलंब/संप्रेषण न करना

(क) जिलाध्यक्ष कार्यालय में

जनवरी 1999 से नवंबर 2000 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये और जिलाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त किये गये, राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या, जिन्हें न तो पंजीबद्ध किया गया और न ही आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित तहसीलदारों को भेजा गया, नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	जिलाध्यक्ष कार्यालय का नाम	प्राप्ति का दिनांक	आर.आर.सी. की संख्या	आर.आर.सी. जारी करने वाले प्राधिकारी	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	2	3.	4.	5.	6.
1.	इंदौर	जनवरी 2000 से मार्च 2000	105	बैंक	0.41
			1	म.प्र.वित्त निगम, इंदौर	0.88
			1	जिलाध्यक्ष, आगरा	0.05
			1	गन्ना कलेक्टर, भोपाल	0.09
2.	मुरैना	दिसंबर 1999 से मार्च 2000	126	बैंक	0.19
			25	जल संसाधन विभाग मुरैना	0.03
3.	कटनी	जनवरी 1999	36	बैंक	0.02
4.	खंडवा	जनवरी 2000 से मार्च 2000	248	बैंक	0.61
5.	भिण्ड	नवंबर 2000	65	बैंक	0.63
6.	जांजगीर–चांपा	सितंबर 1999	272	बैंक	0.16
	योग		**880**		**3.07**

इसके परिणामस्वरूप वसूली प्रक्रिया में 2 से 18 माह का विलंब हुआ तथा इनमें वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय का 9.21 लाख रूपये का राजस्व भी अप्राप्त रहा।

(ख) *राजस्व न्यायालयों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का अपंजीयन*

20 तहसीलों [41] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में प्राप्त हुये 39.71 करोड़ रूपये के 4498 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र अपंजीकृत पड़े हुए थे। इसके परिणामस्वरूप देय बकाया राशियाँ 6 से 84 माह तक वसूल नहीं हुई (अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के मध्य); 1.19 करोड़ रूपये का शासकीय राजस्व भी अप्राप्त रहा।

5.2.7 *जिलाध्यक्ष कार्यालयों से संप्रेषित किये गये राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों का तहसीलों में न पाया जाना*

चार जिलाध्यक्ष कार्यालयों [42] के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों के प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट हुआ कि 255 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरण, जिनमें 9.20 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, संबंधित तहसील कार्यालयों को जुलाई 1998 से सितंबर 2000 के मध्य संप्रेषित किये गये थे, तहसील कार्यालयों में उपलब्ध नहीं पाये गये। परिणामतः 2 से 32 माह की अवधि व्यतीत (जुलाई 1998 और फरवरी 2001 के मध्य) होने के बाद भी कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप प्रक्रिया व्यय की 27.60 लाख रूपये की राशि वसूल नहीं हो सकी।

5.2.8 *बिना वसूली के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों का गलत लौटाया जाना*

लोकधन अधिनियम, 1987 तथा एम.पी.एल. नियम, 1988 के अंतर्गत वसूली अधिकारी को प्रकरणों को लौटाने/बंद करने की बजाय, प्रकरणों को बंद करने से पूर्व चूककर्ता/ जमानतदार की संपत्ति का विवरण एवं अन्य जानकारी प्रपत्र vi में मँगाना चाहिए।

बीना, कटनी एवं सागर तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1988–1989 से 1999–2000 की अवधि में प्राप्त हुये 474 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरण, जिनमें 1.23 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, वसूली अधिकारी द्वारा 1999–2000 की अवधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना लौटा दिये गये। इसके परिणामस्वरूप 3.69 लाख रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

5.2.9 *पुराने लंबित प्रकरणों का नया पंजीयन क्रमांक देकर गलत निराकरण*

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 तथा एम.पी.एल नियम, 1988 के अंतर्गत वसूली अधिकारी को प्रकरण के पंजीबद्ध होने के तुरंत बाद वसूली की प्रक्रिया आंरभ करनी होती है तथा वसूली प्रक्रिया बिना किसी उचित कारण के लंबित नहीं रखी जा सकती। पुराने लंबित प्रकरण को नया क्रमांक देकर नये प्रकरण के रूप में पुनः पंजीयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

41 बालाघाट, बरेली, भिंड, बैतूल, दमोह, दतिया, डबरा, ग्वालियर, जबलपुर, जांजगीर, कटनी, कवर्धा, खंडवा, मुरैना, मुंगावली , रायसेन, रायपुर, सागर, शाजापुर तथा विदिशा।

42 कवर्धा, राजनांदगांव, सागर तथा सतना

विदिशा तहसील के अभिलखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1986–1987 की अवधि के 84 पुराने लंबित प्रकरणों, जिनमें 9.16 लाख रूपये की राशि सन्निहित थी, को वर्ष 1999–2000 में पुनः नया पंजीयन क्रमांक देकर पंजीबद्ध किया गया तथा इन पुरानें लंबित प्रकरणों को निराकृत दर्शाया गया जो, एम.पी.एल. नियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन तुल्य था तथा यह पुराने प्रकरणों की वास्तविक लम्बित स्थिति का संगोपन भी था।

5.2.10 *राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों का गलत समाप्त किया जाना*

लोक धन अधिनियम, 1987 तथा एम.पी.एल. नियम, 1988 में किसी चूक कर्ता से बिना वसूली किये प्रकरण को समाप्त करने का प्रावधान नहीं है, सिवाय उस प्रकरण के जहां नियमों में वर्णित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात वसूली संभव न हो।

(i) *उचित जांच/ सत्यापन के बिना*

तहसील बैतूल के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि कस्टम विभाग नई दिल्ली द्वारा आई.ए.टी.टी. [43] के 1.46 करोड़ रूपये और इस पर 1 अप्रैल 1997 से 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज हेतु एक राजस्व वसूली प्रमाण पत्र चेयरमैन मैसर्स कोन्टीनेन्टल ऐवीएशन (प्रा.) लिमिटेड, बैतूल के विरूद्ध (अगस्त 1997) जारी किया गया था। 31 मार्च 2000 को बकाया राशि 1.97 करोड़ रूपये (ब्याज एवं प्रक्रिया व्यय सहित) संगणित की गई। तथापि वसूली अधिकारी द्वारा बैतूल बाजार में भूमि न होने के आधार पर वसूली प्रक्रिया समाप्त (15 नवंबर 1998) कर दी गई। वास्तव में बकायादार के स्वामित्व में ग्राम आरूल, पटवारी हल्का 67 में भूमि (8.971 हेक्टेयर) थी तथा उक्त भूमि हेतु कुर्की वारंट 10 जनवरी 1998 को वसूली अधिकारी द्वारा स्वयं जारी किया गया था। इसके फलस्वरूप शासन को देय 1.97 करोड़ रूपये की राशि 3 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी वसूल नहीं हुई।

(ii) *बिना उचित अनुसरण के*

तहसील भिण्ड में 1996–97 की अवधि में प्राप्त 172 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरण, जिनमें 13.14 लाख रूपये की वसूली सन्निहित थी,पीपरी, (भिंड) के राजस्व अधिकारी द्वारा चूक कर्ताओं को बिना कोई मांग सूचना पत्र जारी किये, मई एवं सितंबर 2000 के मध्य नस्तीबद्ध/समाप्त कर दिये गये। प्रकरणों का बिना उचित अनुसरण के समाप्त करना त्रुंटिपूर्ण एवं नियमों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप 13.14 लाख रूपये की देय राशियों की वसूली नहीं हो सकी।

5.2.11 *प्रकरणों के हस्तांतरण के कारण वसूली का निलंबन*

तहसील कटनी में 1995–96 के दौरान प्राप्त हुए 27 राजस्व वसूली प्रमाण प्रत्र, जिनमें 36.10 लाख रूपये की राशि सन्निहित थी, राजस्व न्यायालयों के बीच कार्य के पुनः विभाजन के कारण वसूली की कोई कार्यवाही किये बिना ही 1997–98 की अवधि में नये बने नायब तहसीलदार न्यायालय (बैंक वसूली) को हस्तांतरित कर दिये गये । वसूली की कार्यवाही प्रकरणों के पंजीयन के पश्चात अब (जुलाई 2001) शुरू की गई है। इस प्रकार 37.18 लाख रूपये, जिसमें 1.08 लाख रूपये की प्रक्रिया

43 इनलेन्ड एयर ट्रेवल टेक्स

व्यय की राशि सम्मिलित थी, की वसूली कार्यवाही व्यवहारतः लगभग 5 वर्षो तक लगातार निलंबित रही।

5.2.12 *मांग सूचना पत्रों का जारी न किया जाना*

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 तथा एम.पी.एल. नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के पंजीयन के पश्चात 15 दिन के अंदर राजस्व न्यायालयों द्वारा मांग सूचना पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

14 तहसीलों [44] में राजस्व न्यायालयों द्वारा दिसंबर 1996 एवं मार्च 2000 के मध्य पंजीबद्ध किये गये 2.63 करोड़ रूपये की राशि के 851 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी नहीं किये गये। मांग सूचना पत्रों के जारी न करने के कारण 6 से 50 माह की अवधि (दिसंबर 1996 से फरवरी 2001 के मध्य) समाप्त होने के बावजूद लंबित बकाया की वसूली नहीं हो सकी, परिणामस्वरूप 7.89 लाख रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

5.2.13 *कुर्की वारण्टों का जारी न किया जाना*

यदि चूक कर्ता मांग सूचना पत्र जारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर देय राशि जमा करने में असफल रहता है, तो चूककर्ता की चल/अचल संपत्ति कुर्क करने हेतु वारंट जारी किया जाना होता है।

(i) *वारण्टों को जारी न करना*

18 तहसीलों [45] में अगस्त 1992 से अगस्त 2000 के मध्य यद्यपि 4.09 करोड़ रूपये की राशि के 1226 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र चूक कर्ताओं को तामील किए गये थे, किंतु संपत्ति कुर्क करने के वारण्ट 6 माह से 8 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी जारी नहीं किये गये, परिणामस्वरूप 12.27 लाख रूपये का शासकीय राजस्व वसूल नहीं हुआ।

(ii) *कुर्की वारण्टों का तामील न किया जाना*

ग्वालियर तथा मुरैना तहसीलों में 35.06 लाख राशि के 37 प्रकरणों में 2 से 16 माह की अवधि (फरवरी 1999 और मई 2000 के मध्य) व्यतीत होने के बाद भी चूककर्ताओं को कुर्की वारंट तामील नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप 1.05 लाख रूपये का शासकीय राजस्व वसूल नहीं हुआ।

(iii) *संपत्ति का कुर्क न किया जाना*

चूककर्ता को कुर्की वारंट तामील करने के बाद कुर्क अमीन द्वारा राजस्व अधिकारी को कुर्क की जाने वाली संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

44 बैतूल, बिलासपुर, भिंड, बैकुंठपुर, भोपाल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, जांजगीर, कवर्धा, राजनांदगांव, सागर, शाजापुर तथा विदिशा

45 बैतूल , बरेली, भोपाल बिलासपुर, भिंड, बीना, दमोह, ग्वालियर, जांजगीर, जबलपुर, कटनी, कवर्धा, राजनांदगांव , रायसेन, सतना, शाजापुर, सागर तथा विदिशा

8 तहसीलों [46] में 78.81 लाख रूपये की वसूली के 62 प्रकरणों में मार्च 1996 एवं अगस्त 2000 के मध्य, चूककर्ताओं को कुर्की वारंट तामील किये गये किंतु संपत्ति जब्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 78.81 लाख रूपये की देय राशि वसूल नहीं हो सकी।

5.2.14 कुर्क संपत्ति का निर्वर्तन न करना

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार यदि कुर्की वारंट के तामील होने के बाद भी देय राशि नहीं चुकाई जाती तो चूककर्ता की कुर्क संपत्ति का निर्वर्तन करना अपेक्षित है।

(i) 5 तहसीलों [47] में 26 चूककर्ताओं, जो कि 40.52 लाख रूपये की राशि के शासकीय देयधन का भुगतान करने में असफल रहे थे, की संपत्ति जब्त(नवंबर 1992 एवं अप्रैल 2000 के मध्य) की गई थी। किंतु उसका निर्वर्तन 10 माह से 8 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी आम नीलामी द्वारा नहीं किया गया । परिणामतः प्रक्रिया व्यय सहित 41.74 लाख रूपयों की राशि का शासकीय देय धन बिना वसूली के रहा।

(ii) खण्डवा एवं जबलपुर तहसीलों में 86.36 लाख रूपये की वसूली के 6 प्रकरणों में कुर्क संपत्ति चूक कर्ताओं को ही जनवरी 1999 (4 प्रकरण) एवं जुलाई 1999 (2 प्रकरण) में सौंप दी गई। कुर्क संपत्ति के निर्वर्तन न होने और चूक कर्ताओं को संपत्ति वापस करने के परिणामस्वरूप 88.95 लाख रूपये की बकाया राशि (2.59 लाख रूपये प्रक्रिया व्यय सहित) वसूल नहीं हुई।

5.2.15 प्रक्रिया व्यय की मांग का अनारोपण

लोक धन अधिनियम 1987, के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता से देय धन की मूल राशि में, अन्य प्रभार के अलावा तीन प्रतिशत की दर से, प्रक्रिया व्यय राशि भी मांग सूचना पत्रों में जोड़ी जावेगी।

21 तहसीलों [48] में 2044 प्रकरणों में 2.67 करोड़ रूपये की मूल राशि पर तीन प्रतिशत की दर से वसूली योग्य 80.10 लाख रूपये की प्रक्रिया व्यय की राशि चूककर्ताओं को जारी मांग सूचना पत्रों में शामिल नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 80.10 लाख रूपये का प्रक्रिया व्यय की मांग का आरोपण नहीं हुआ।

5.2.16 बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रक्रिया व्यय की वसूली न करना

लोक धन अनिधनियम, 1987 तथा संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक प्राधिकारी, जो राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हैं, प्रक्रिया व्यय की राशि का भुगतान करने और उसे चालान द्वारा कोषालय में जमा कराने हेतु उत्तरदायी हैं, जो एक वैधानिक आवश्यकता है।

46 बैतूल, भोपाल, बिलासपुर, दमोह, कटनी, रघुराजनगर (सतना) राजनांदगांव तथा सागर

47 भोपाल, बिलासपुर, इन्दौर, रघुराजनगर (सतना) राजनांदगांव

48 बैतूल, बरेली, (रायसेन), भोपाल, भिंड, बिलासपुर, दमोह, डबरा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जांजगीर, कटनी, कवर्धा, मुरैना, मुंगावली(गुना), सयसेन, राजनांदगांव, सागर, शाजापुर, सतना तथा विदिशा

18 तहसीलों [49] के अभिलेखोंएवं अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये वसूली के आंकड़ों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 55.87 करोड़ रूपये की वसूली ब्रिस्क [50] योजना के अंतर्गत की गई थी, किंतु 1.66 करोड़ रूपये प्रक्रिया व्यय बैंकों द्वारा कोषालय में जमा नहीं कराया गया। इसके फलस्वरूप 1.66 करोड़ रूपये प्रक्रिया व्यय राशि वसूल नहीं हुई।

5.2.17 *राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का गलत रोका जाना*

राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से बकाया लंबित राशि की शीघ्र वसूली को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने खनिज, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, विक्रय कर (वाणिज्यिक कर) तथा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधिकरियों को अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियां प्रत्यायोजित की थीं।

7 तहसीलों [51] की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1996 और सितम्बर 2000 के मध्य खनिज, सिंचाई, विक्रय कर (वाणिज्यिक कर) लोक निर्माण विभाग तथा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा जिलाधीशों/ तहसीलदारों को बकाया देयधन की वसूली हेतु 14.69 करोड़ रूपये के 1756 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे, वसूली अधिकारियों (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र, जारी कर्ता विभाग, जिन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई थी, को लौटाने के बजाय अपने राजस्व न्यायालयों में पंजीबद्ध कर लिये गये थे। 1756 प्रकरणों के अनियमित रोके रखने के फलस्वरूप 14.69 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

5.2.18 *परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अनादृत (बाउन्सड) चैकों पर कार्यवाही न करना*

परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशियेबिल इन्ट्रूमेंट एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई चैक अनादृत (बाउन्सड) होता है, तो यह समझा जावेगा कि बकायादार ने अपराध किया है और उसे एक वर्ष तक के कारावास अथवा चैक की राशि से दुगनी राशि तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

तहसील इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि बैंक बकाया राशि (16.59 लाख रूपये) एवं मुद्रांक संग्राहक तथा जिला पंजीयक इंदौर (0.81 लाख रूपये) की बकाया राशि के 17.40 लाख रूपये के 5 चैक तहसीलदार इंदौर के खाते में जमा (जनवरी 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य) किये गये थे, जो बकायादारों के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादृत हो गये। तथापि वसूली अधिकारी द्वारा राशि वसूल होना मानकर प्रकरणों को समाप्त कर अनादृत चैक बिना राशि वसूल किये चूक कर्ताओं को लौटा दिये। वसूली अधिकारी द्वारा 2 से 39 माह की अवधि व्यतीतहोने पर भी चूककर्ताओं के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण आयुक्त बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख ग्वालियर/रायपुर तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 20001), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2001)।

49 बैतूल,भोपाल, भिंड, बिलासपुर, दमोह, इंदौर, जबलपुर, जांजगीर, खण्डवा, कटनी, कवर्धा, मुरैना, राजनांदगांव, रायसेन, रघुराजनगर (सतना), सागर, शाजापुर, तथा विदिशा

50 बैंक रिकवरी इन्सेंटिव स्कीम सेल

51 बरेली, भिंड, बिलासपुर, जांजगीर; कटनी, सागर एवं शाजापुर

5.3 संगठनों, संस्थाओं, बोर्डों एवं स्थानीय निकायों को आवंटित नजूल-भूमि

राजस्व मैन्युअल खंड –दो (राजस्व पुस्तक परिपत्र) के प्रावधानों के अनुसार शासकीय भूमि नजूल के अंतर्गत आती है और इसमें ऐसी भूमियां शामिल होती हैं, जो शासकीय विभागों के कब्जे में होती है और ऐसी भूमियां भी, जो निर्माण प्रयोजनों, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बाजार, मनोरंजन स्थलों के लिए उपयोग में लाई जाती हों।

नजूल भूमि के आवंटन में पाई गई अनियमितताओं के दृष्टांतों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है :

(i) *प्रब्याजि एवं भू-भाटक के कम निर्धारण के कारण राजस्व हानि*

राजस्व पुस्तक परिपत्र में विहित न्यूनतम दरों अथवा गाइडलाइन [52] में दर्शायी गई दरों, जो भी अधिक हो, के आधार पर संगणित प्रब्याजि के भुगतान पर शासकीय भूमि आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा यदि भूमि का आवंटन व्यवसायिक/औद्योगिक उद्देश्यों हेतु किया जाता है, तो प्रीमियम के 7.5 प्रतिशत और आवासीय उद्देश्यों हेतु प्रीमियम के 5 प्रतिशत की दर से सामान्य भू–भाटक भी राजस्व पुस्तक परिपत्र में दी गयी रियायतों, शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रभारणीय है।

6 जिलाध्यक्ष (नजूल) कार्यालयों [53] एवं बीना (सागर) तथा कटघोरा (कोरबा) तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 37 शासकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, कंपनियों एवं संस्थाओं को दिसंबर 1993 से अप्रैल 2000 की अवधि में 3479.96 एकड़ भूमि गलत दरें लागू करके या रियायतें जो देय नहीं थीं, देकर 30.62 करोड़ रूपये के बजाय 8.09 करोड़ रूपये प्रब्याजि एवं 2.14 करोड रूपये प्रतिवर्ष के बजाय 59.03 लाख रूपये भू भाटक पर 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई। जिसके परिणामस्वरूप कुल 29.37 करोड़ रूपये प्रब्याजि एवं भू भाटक का कम निर्धारण हुआ (1978–1979 और 2000–2001 के मध्य की अवधि हेतु प्रब्याजि 22.53 करोड़ रूपये तथा भू भाटक 6.84 करोड़ रूपये)। इसके अलावा शासन को 4.09 करोड़ रूपये की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि भी हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर नजूल अधिकारी, राजगढ़ ने बताया (अक्टूबर 1999) कि प्रब्याजि सही संगणित की गयी है और वह पंजीयन कार्यालय की गाइडलाइन के अनुसार थी। नजूल अधिकारी राजगढ़ का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गाइडलाइन 22500 वर्गफीट तक की कृषि भूमि के लिए थी न कि नगरीय क्षेत्र की नजूल भूमि के लिए, जिसका स्थल मूल्य है न कि कृषि मूल्य।

52 गाइड लाइन पंजीयन कार्यालयों में संपत्ति का मूल्य निर्धारण करने में उपयोग की जाती है।

53 छिन्दवाड़ा, राजगढ़, राजधानी परियोजना भोपाल, रायपुर, उज्जैन एवं विदिशा

(ii) *अग्रिम अधिपत्य दिये गये प्रकरणों के अंतिम निर्धारण में विलंब*

शासन ने निर्देश (फरवरी 1985) दिये थे कि स्थानीय निकायों एवं शासकीय उपक्रमों को भूमि का कब्जा देने के समय अनुमानित प्रब्याजि एवं भू–भाटक अग्रिम वसूल किया जाना चाहिए। कुछ रियायतों के अधीन यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि विहित समय सीमा में प्रब्याजि एवं भू भाटक का भुगतान नहीं किया जाता, तो निर्धारित दरों पर ब्याज भी आरोपणीय होगा।

दुर्ग, रायपुर एवं उज्जैन नजूल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच(फरवरी 2001) में प्रकट हुआ कि 11 प्रकरणों में 5,82,810 वर्ग फीट भूमि का अग्रिम कब्जा (मार्च 1960 और नवंबर 1995 के मध्य) निगमों, मण्डलों, समितियों एवं समाचार पत्रों आदि को दिया गया। 10 प्रकरणों में बिना अनुमानित प्रब्याजि–भू भाटक निर्धारण/ वसूली किये कब्जा दे दिया गया। 7 प्रकरणों में 31 मार्च 2001 तक देय अनुमानित प्रब्याजि एवं भू–भाटक 11.48 लाख रूपये संगणित होता है, जिसकी न तो मांग की गई और न ही हितग्राहियों द्वारा इसका भुगतान किया गया। शेष 4 प्रकरणों में अग्रिम अधिपत्य का दिनांक एवं दरें उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में अनुमानित प्रब्याजि एवं भू–भाटक की राशि संगणित नहीं की जा सकी। इसके अलावा यह भी पाया गया कि 5 प्रकरण, जिनमें अग्रिम कब्जा दिया गया था, शासन को अंतिम स्वीकृति एवं आवंटन हेतु नहीं भेजे गये।

इस ओर इंगित किये जाने पर नजूल आधेकारी उज्जैन ने बताया (फरवरी 2001) कि 4 अग्रिम कब्जावाले प्रकरणों में मामला शासन के साथ उठाया जावेगा तथा एक प्रकरण का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा एवं शासन को भेजा जावेगा।

(iii) *पट्टा-विलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन न कराया जाना*

पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टा–विलेख अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य विलेख है। इन विलेखों पर पंजीयन फीस मुद्रांक शुल्क के 3/4 की दर से प्रभार्य है। यदि पट्टा गृहीता समुचित अवधि में पट्टा विलेख निष्पादन करने में असफल रहता है तो राज्य शासन उसे न्यायालय में निष्पादन के लिए बाध्य कर सकेगा।

5 नजूल कार्यालय [54] एवं तहसील कटघोरा (कोरबा) के अभिलेखों की नमूना–जांच (दिसंबर 2000 एवं अप्रैल 2001) में प्रकट हुआ कि विभिन्न् राज्य/केन्द्र शासन उपक्रमों, बोर्ड, निगमों आदि के पक्ष में स्वीकृत (1991–92 से 1999–2000 के मध्य)किये गये 29 स्थायी पट्टों में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किये गये (अप्रैल 2001) । इसके परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रूपये (मुद्रांक शुल्क 69.83 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 49.89 लाख रूपये) का राजस्व वसूल नहीं हो सका ।

(iv) *शासन को देय राशियों का भुगतान न किया जाना*

प्रब्याजि एवं भू–भाटक का भुगतान पट्टा धारी द्वारा निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। प्रब्याजि एवं भू–भाटक के विलंबित भुगतान पर ब्याज भी आरोपणीय है। यदि देय राशियां निर्धारित

54 बिलासपुर, जबलपुर, मंदसौर, राजधानी परियोजना, भोपाल तथा विदिशा

समय में भुगतान नहीं की जाती है, तो बकाया राशियां भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाती हैं। इसके अलावा पट्टा धारी, पट्टा–निरस्तीकरण सहित दाण्डिक कार्यवाही का भी भागी होगा।

11 नजूल कार्यालयों [55] के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000 एवं मई 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 102 प्रकरणों में प्रब्याजि, भू–भाटक एवं ब्याज के 20.04 करोड़ रूपये वसूल नहीं हुए । पट्टा धारी ने आवंटन के बाद से या तो कोई राशि जमा नहीं की अथवा बाद में भुगतान करना बंद कर दिया। विभाग द्वारा त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण सहित कोई कार्यवाही नहीं की गई, यद्यपि देय राशियां 2 से 32 वर्ष पुरानी थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर (सितंबर 2000 एवं मई 2001) संबंधित प्रभारी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वसूली की जावेगी। मामले में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

प्रकरण आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल एवं जून 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

5.4 नजूल भू-खण्डों के पट्टों का नवीनीकरण न किया जाना

(क) *स्थाई पट्टे*

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959, में नगरीय क्षेत्र में पट्टे पर धारित नजूल भू–खण्ड पर देय किराया, पट्टे के नवीनीकरण के लिए नियत समय पर पुनरीक्षित करने का प्रावधान है। पुनरीक्षित भू–भाटक पुनरीक्षण के ठीक पहले लागू दरों के छः गुने से अधिक नहीं होगा बशर्ते भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसके लिए पुनरीक्षण के पूर्व किया जाता था। पुनरीक्षित निर्धारण जिस वर्ष में किया गया है, उसके अगले वित्तीय वर्ष से लागू होता है।

(i) नजूल कार्यालय नरसिंहपुर एवं तहसील बुरहानपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 1999 तथा जनवरी 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 2826 स्थायी पट्टे नवीनीकरण योग्य थे (अप्रैल 1994 एवं अप्रैल 1996 के मध्य), परंतु पट्टों की अवधि समाप्त होनेके बाद उनका नवीनीकरण नहीं किया गया और किराया पुनरीक्षित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1994–95 से 1999–2000 तक की अवधि में 31.84 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 1999 तथा मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (अक्टूबर 2001)।

(ii) विलासपुर, दुर्ग और इंदौर के नजूल कार्यालयों में 33 स्थायी पट्टों, जिनका 1990–91 से 2000–2001 के दौरान पुनरीक्षण होना था, का पट्टा अवधि समाप्त होने पर न तो नवीनीकरण किया

55 बालाघाट, बिलासपुर, देवास, धार, दुर्ग, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, राजधानी परियोजना, भोपाल, रायपुर एवं विदिशा

गया और न उनके किराए का पुनरीक्षण किया गया, इसके परिणामस्वरूप 11.25 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) अस्थाई पट्टे

राजस्व मैन्युअल खंड–II (राजस्व पुस्तक परिपत्र) में प्रावधान है कि नजूल भू–खण्डों के अस्थायी पट्टों की अवधि समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

नजूल कार्यालय रतलाम एवं तहसील बड़वानी (खरगोन) के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 1999 तथा मार्च 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि अस्थायी पट्टों के 58 प्रकरण 1993–94 एवं 1994–95 के मध्य नवीनीकरण योग्य थे, परंतु उनका नवीनीकरण नहीं किया गया और पट्टेदारों का, भू–भाटक एवं प्रब्याजि का भुगतान किये बिना भूमि पर अधिपत्य जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप प्रब्याजि तथा भू–भाटक के 12.93 लाख रूपये के राजस्व राशि की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999 तथा मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)

5.5 व्यपवर्तन लगान तथा पब्याजि का अनिर्धारण/कम निर्धारण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार जब किसी एक उद्देश्य हेतु निर्धारित भूमि का किसी अन्य उद्देश्य हेतु, व्यपवर्तन किया जाता है, तो उस भूमि पर देय भू–राजस्व का जिस उद्देश्य हेतु भूमि व्यपवर्तित की गई है उसके अनुसार तथा जिस दिनांक से व्यपवर्तित की गई है, उस दिनांक से शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रचलित दरों पर पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर प्रब्याजि भी आरोपणीय है।

(क) (i) तहसील बीना (सागर) एवं जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 40 प्रकरणों में व्यवसायिक/औद्योगिक उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गई 181.407 हेक्टेयर कृषि भूमि उपयोग की जा रही थी। परंतु राजस्व पुनर्निर्धारण हेतु कोई अंतिम कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 1994–95 से 1999–2000 तक की अवधि में 78.81 लाख रूपये व्यपवर्तन लगान एवं 2.24 लाख रूपये प्रब्याजि का अनिर्धारण हुआ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2000 एवं फरवरी 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील वीना (सागर) के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 1998 एवं मार्च 2001) में प्रकट हुआ कि 800.96 हेक्टेयर भूमि व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित (1989–90 तथा 1999–2000 के मध्य) की गई। यद्यपि इन प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान 48.18 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रभार्य था, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारण के दौरान 40 रूपये से 160 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की रियायती दरों , जो कि 1964 में पहले ही निरस्त कर दी गयी थी, को

लागू किया गया (सितंबर 1990 तथा जुलाई 2000 के मध्य)। इसके परिणामस्वरूप 1989–90 से 2000–2001 के मध्य की अवधि में 1.80 करोड़ रूपये व्यपवर्तन लगान का कम निर्धारण हुआ।

(ख) जिलाध्यक्ष रतलाम में अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ (मई 1999) कि मैसर्स इफको लेबोरेटरीज लिमिटेड, सेजवाता (रतलाम) द्वारा धारित 12,72,827 वर्ग फीट भूमि का पुनर्निर्धारण (अगस्त 1996) पुनरीक्षित दरों (19 सितंबर 1995) के अनुसार 11 लाख रूपये के स्थान पर पुनरीक्षित दरों से पूर्व की दरों पर 1.64 लाख रूपये किया गया। इसके परिणामस्वरूप 9.36 लाख रूपये का कम निर्धारण हुआ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1999 तथा जून 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

5.6 व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रावधान है कि प्रत्येक भूमि स्वामी तथा शासकीय पट्टेधारी पर, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूमि धारण करता हो, प्रत्येक भू–खण्ड के लिए निर्धारित भू–राजस्व या लगान राशि पर प्रति रूपया 50 पैसे की दर से प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए पंचायत उपकर आरोपणीय है। उपकर, भू–राजस्व या लगान के अतिरिक्त आरोपणीय है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन व्यपवर्तित लगान, भू–राजस्व की परिभाषा में शामिल है, अतः व्यपवर्तित लगान पर भी पंचायत उपकर आरोपणीय है।

(i) 4 तहसीलों [56] में अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 1998 तथा अप्रैल 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 1992–93 तथा 1999–2000 के मध्य के राजस्व वर्षों के लिए 37 प्रकरणों में ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित भूमि पर 17.26 लाख रूपये की राशि के व्यपवर्तन लगान पर 8.63 लाख रूपये की राशि के पंचायत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया।

(ii) तहसील बीना में अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2001)में प्रकट हुआ कि 2.33 करोड़ रूपये के कम निर्धारित/अनिर्धारित व्यपवर्तित लगान पर पंचायत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रूपये के पंचायत उपकर का आरोपण नहीं हुआ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1999 तथा अप्रैल 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

5.7 व्यपवर्तन लगान, पब्याजि की मांग सृजित न करना

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी भूमि पर पुनर्निर्धारित लगान की मांग तहसील अभिलेखों में शामिल करने के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा।

56 अनूपपुर (शहडोल), निवाड़ी (टीकमगढ़), उज्जैन एवं इंदौर

12 तहसीलों [57] में अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 1999 तथा दिसंबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 559 प्रकरणों, जो 1996–97 तथा 1999–2000 के मध्य पुनर्निर्धारित किये गये थे, में 1.29 करोड़ रूपये के व्यपवर्तन लगान एवं प्रब्याजि की मांग, मांगपंजी में शामिल नहीं की गई, परिणामस्वरूप मांग सृजित नहीं हुई।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1999 तथा अप्रैल 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

57 गोहद (भिंड), मुरैना, सिवनी, रतलाम, नागोद (सतना), महू (इंदौर), मंदसौर, सेंधवा (खरगोन), रघुराजनगर (सतना) इन्दौर, सीहोर एवं हुजूर भोपाल

6-क मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2000–2001 के दौरान की गई नमूना जांच में 13,307 प्रकरणों में 28.32 करोड़ की राशि के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनिर्धारण और अवनिर्धारण तथा राजस्व की अन्य हानियां प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	9157	17.01
(ii)	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट	1978	5.82
(iii)	सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम वसूल होना	514	3.62
(iv)	विलेखों के गलत वर्गीकरण से हानि	603	1.03
(v)	अन्य	1055	0.84
	योग	**13,307**	**28.32**

वर्ष 2000–2001 में पूर्ववर्ती वर्षों के 43 प्रकरणों में 75.93 लाख़ रूपये की शुल्क एवं फीस का कम निर्धारण विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

7.60 करोड़ रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है :

6.2 सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन

मध्यप्रदेश में यथा प्रयोज्य भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (अधिनियम 1899) के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो कि आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस निश्चित करने का आधार होता है, का हस्तांतरण विलेख में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि विलेख में सम्पत्ति का बाजार मूल्य सही नहीं दर्शाया गया है, अधिनियम उप पंजीयक को सम्पत्ति का बाजार मूल्य विनिश्चित करने हेतु विलेखों को संग्राहक को संदर्भित करने का अधिकार देता है, उप पंजीयक विलेख को प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क के भुगतान के पश्चात पंजीकृत भी कर सकता है। शासन ने (मार्च 1977) मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण हेतु 9 माह का अधिकतम समय निश्चित किया है।

(i) 12 उप पंजीयक कार्यालयों [58] के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि पंजीबद्ध किये गये 100 विलेखों में (जुलाई 1997 से मार्च 2000 के मध्य) संपत्तियों का बाजार मूल्य उसी पटवारी हल्का /वार्ड में उसी तरह की सम्पत्तियों के प्रचलित औसत बाजार मूल्य से कम उल्लिखित किया गया था। उप पंजीयक ने न तो सही/प्रचलित औसत बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की और न ही सम्पत्तियों के बाजार मूल्य एवं उन पर आरोपण योग्य शुल्क निर्धारण करने हेतु प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को सदर्भित किये। इसके परिणाम स्वरूप 73.13 लाख रूपये (मुद्रांक शुल्क 67.47 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 5.66 लाख रूपये) के राजस्व की कम वसूली हुई।

(ii) सम्पत्तियों का बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिये उप पंजीयकों के द्वारा प्रतिवर्ष सम्पत्ति के औसत बाजार मूल्य की सूची (गाईड लाइन) बनाई जाती है। इन गाइड लाइनों के अनुसार वर्ष 1997–98 एवं 1999–2000 के दौरान नगर पालिका के अन्दर अथवा इसके चतुर्सीमा क्षेत्र के कृषि भूमि के टुकड़ों का बाजार मूल्य स्लैब दरों के अनुसार संगणित किया जाना था।

उप पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि पंजीबद्ध किये गये 32 विक्रय विलेखों (अप्रैल 1997 से मार्च 2000 के मध्य) में गलत दर लगाई गई। गलत स्लैब दरों के लगाने से सम्पत्तियों का न्यून मूल्यांकन हुआ एवं इसके फलस्वरूप 10.12 लाख रूपये (मुद्रांक शुल्क 9.42 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 0.70 लाख रूपये) के राजस्व की हानि हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) उप पंजीयक जगदलपुर ने बताया कि प्रकरण वसूली हेतु मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये जावेंगे जबकि उप पंजीयक बिलासपुर एवं दुर्ग ने बताया कि प्रकरण मूल्य निर्धारण समिति के ध्यान में लाये जावेंगे।

(iii) 21 उप पंजीयक कार्यालयों [59] के अभिलेखों की नमूना जांच (जून एवं सितम्बर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि जनवरी 1995 से फरवरी 2000 के मध्य सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु संदर्भित किये गये 3228 विलेखों का निराकरण दिसम्बर 2000 तक नहीं किया गया था। इन विलेखों पर उप पंजीयक के द्वारा प्रस्तावित मूल्य के आधार पर वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि 5.30 करोड़ रूपये संगणित हुई, जो अप्राप्त रही।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

58 बिलासपुर, दुर्ग, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जगदलपुर, खण्डवा, करैरा (शिवपुरी) महू (इन्दौर), पन्ना एवं उज्जैन

59 बालाघाट, बीना (सागर),भिण्ड, डबरा (ग्वालियर), गैरतगंज (रायसेन), होशंगाबाद, करेली (नरसिंहपुर), करैरा (शिवपुरी), कटनी, खण्डवा, कोलारस (शिवपुरी), मेहगांव (भिण्ड), पन्ना, राजनगर (छतरपुर), सीवा, सागर, सरदारपुर (धार), सतना, सिवनी, सोनकच्छ (देवास) एवं उज्जैन

6.3 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासकीय अधिसूचनाओं (सितम्बर 1989) के अनुसार नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये अधिगृहीत की गई भूमि के संबंध में उनके पक्ष में निष्पादित पट्टों/बिक्री विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विलेखों के पंजीयन से एक माह के अन्दर की जानी थी।

उप पंजीयक कार्यालय देवास, खण्डवा एवं कन्नोद (देवास) के अभिलेखों की नमूना जांच (मई एवं अक्टूबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के हित में निष्पादित, अप्रैल 1997 से मार्च 2000 के मध्य पंजीबद्ध किये गये, 318 विक्रय विलेखों पर आरोपणीय 43.77 लाख रूपये की राशि के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई । विभाग ने राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

प्रकरण पंजीयक महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

6.4 गलत दर लागू/गणना करने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम निर्धारण

अधिनियम, 1899 के अनुसार संपत्ति के विक्रय के मुख्तारनामा, बंधक संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण, प्रतिभूति बंधक एवं पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क प्रभारणीय है। पट्टा विलेख पर पंजीयन फीस मुद्रांक शुल्क की 3/4 एवं अन्य विलेखों पर मूल्यानुसार प्रभारणीय है।

13 उप पंजीयक कार्यालयों [60] के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 1999 से जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि मई 1997 एवं नवम्बर 2000 के मध्य पंजीबद्ध हुए 145 विलेखों [61] में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस या तो निर्धारित दर से कम दर से अथवा त्रुटिपूर्ण गणना करके आरोपित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 29.88 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित (जून 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) किये जाने पर संबंधित उप पंजीयकों ने पट्टा (8 विलेख) एवं मुख्तारनामा (127 में से 125 विलेख) विलेखों से संबंधित आपत्ति स्वीकार की। मुख्तारनामा विलेखों से संबंधित 2 विलेखों पर सम्बंधित उप पंजीयकों ने बताया (जून 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि पंजीयन फीस का आरोपण सही दर से किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है

60 बालाघाट, बिलासपुर, धार, दुर्ग, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जगदलपुर, झाबुआ, खाचरोद (उज्जैन) मेहगांव (भिण्ड) एवं सिवनी

61 मुख्तार नामा : 127 , बंधक सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण : 1, प्रतिभूति बंधक: 9 एवं पट्टा विलेख 8 प्रकरण

क्योंकि अधिनियम/नियमों में जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, पंजीयन फीस निर्धारित दरों के अनुसार प्रभारणीय थी।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी एवं मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

6.5 मुद्रांक शुल्क भुगतान से गलत छूट प्रदान किया जाना

अधिनियम 1899 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विलेख की प्रकृति एवं कीमत के अनुसार उस विलेख पर मुद्रांक शुल्क विहित दरों पर देय है। शासन द्वारा जारी (सितम्बर 1978 एवं मार्च 1982) की गई अधिसूचनाओं के अनुसार (i) अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के भूमि स्वामियों एवं पट्टा धारियों (ii) अन्य भूमि स्वामियों एवं पट्टाधारियें [62] , जो 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि के धारक नही हैं, के द्वारा कृषि प्रयोजनों हेतु ऋण के लिये निष्पादित बंधक/गिरवी विलेख मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। ये छूट प्रतिभूति बंधक विलेखों पर लागू नहीं है। विभागीय अनुदेशों (अगस्त 1989) के अनुसार मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये कृषि विशिष्ट प्रयोजन का, जिसके लिये ऋण लिया गया है, विलेख में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

19 उप पंजीयक कार्यालयों [63] के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 363 विलेखों में ऋण का विशिष्ट प्रयोजन या तो उल्लिखित नहीं था या कृषि प्रयोजन नहीं था, 3 बंधक विलेखों में निष्पादक 10 हैक्टर से अधिक भूमि के धारक थे, अन्य 10 प्रकरणों में बंधक विलेख निष्पादक पट्टाधारक नहीं थे और 6 विलेख प्रतिभूति बंधक विलेख थे, जो बंधक विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किये गये थे। मुद्रांक शुल्क से गलत छूट के परिणामस्वरूप 30.50 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क वसूल नहीं हुआ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

6.6 सहकारी गृह निर्माण समितियों के द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व हानि

अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार 15 नवम्बर 1997 से पूर्व सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो कि प्राथमिक गृहनिर्माण सहकारी समिति द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण में विषय वस्तु है, वही माना जावेगा, जो

62 पट्टाधारी – राजस्व पुस्तक परिपत्र धारा 4.3.10 के अंतर्गत पट्टा

63 अम्बाह (मुरैना), बालाघाट, भोपाल, बिलासपुर, देवास, दुर्ग, गैरतगंज (रायसेन), ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जगदलपुर, कन्नोद (देवास), खंडवा, कोलारस (शिवपुरी), मेहगांव (भिण्ड), सिवनी, सिहोरा (जबलपुर), सिरमौर (रीवां) और उज्जैन

विलेख में दर्शाया गया है और इसके पश्चात किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य वह होगा जो यथा स्थिति कलेक्टर या अपीलीय अधिकारी की राय में बाजार में विक्रय किये जाने की दशा में उस सम्पत्ति के लिये प्राप्त होता या प्राप्त हुआ। शासन की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 1980 के अनुसार गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु समितियों के पक्ष मे निष्पादित विलेख मुद्रांक शुल्क भुगतान से मुक्त किये गये थे। ये संस्थायें गृह निर्माण संस्था के रूप में पंजीकृत थी तथा आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित भूमि पर ही गृह निर्माण होना चाहिये।

5 उप पंजीयक कार्यालयों [64] के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में समितियों द्वारा / के पक्ष में निष्पादित, मई 1997 एवं जनवरी 2001 के मध्य पंजीकृत, विलेखों में निम्नानुसार 20.44 लाख रूपये की राजस्व हानि पाई गई :

(i) 12 हस्तांतरण विलेखों में, जिनमें यह उल्लिखित नहीं था कि भूमि गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु क्रय की गई थी, गृह निर्माण के लिये भूमि क्रय मानकर 5.95 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान की गलत छूट दी गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (नवम्बर एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) उप पंजीयकों द्वारा यह बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

(ii) 7 हस्तांतरण विलेखों में, जिनमें भूमि का क्रय गृह निर्माण प्रयोजनों के लिये किया गया था, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान की छूट दी गई थी। बाद में वही भूमि बेच दी गई/ वाणिज्यिक प्रयोजनों /गृह निर्माण से अन्यथा प्रयोजनों में उपयोग की गई। इस प्रकार प्रयोजन में परिवर्तन के कारण छूट दी गई मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि वसूली योग्य थी, तथापि विभाग द्वारा छूट दी गई 7.98 लाख रूपये की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(iii) 110 हस्तान्तरण विलेखों में, जो 15 नवम्बर 1997 के पश्चात निष्पादित किये गये थे, समितियों द्वारा बेचे गये भूखण्डों का मूल्यांकन या तो समीपस्थ क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव से कम पर किया गया या फिर नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि (अपरिवर्तित) के छोटे टुकड़े बेचे गये। इन विलेखों में न तो सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन एवं उस पर देय शुल्क के लिये धारा 47–क के अंतर्गत किसी कार्यवाही की पहल की गई और न ही समितियों द्वारा की गई अनियमितताएं राजस्व अधिकारियों के ध्यान में लाई गई, जिसके परिणामस्वरूप 6.51 लाख रूपये के राजस्व (मुद्रांक शुल्क 5.97 लाख रूपये पंजीयन फीस 0.54 लाख रूपये) की हानि हुई।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी एवं मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

64 बिलासपुर, दुर्ग, ग्वालियर, इन्दौर एवं जगदलपुर

6.7 विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

मध्यप्रदेश में यथा प्रयोज्य अधिनियम, 1899 एवं पंजीयन अधिनियम, 1908, के अनुसार प्रत्येक विलेख, विलेखों की प्रकृति एवं सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर इन अधिनियमों में विहित दरों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के लिये दायी है।

14 उप पंजीयक कार्यालयों [65] में यह पाया गया (जून 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि पंजीबद्ध किये गये 39 विलेख (मई 1996 से मार्च 2000 के मध्य) गलत वर्गीकृत किये गये, यथा विक्रय /बंधक अनुबंध कब्जा सहित को कब्जा रहित, उपहार को व्यवस्थापन/निर्मुक्ति/ मुख्तारनामा, बँटवारा सह उपहार विलेख को पावती विलेख और विनमय और विक्रय विलेख को संशोधन विलेख आदि।

जिसके परिणामस्वरूप 14.35 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मुद्रांक शुल्क 13.13 लाख रूपये तथा पंजीयन फीस 1.22 लाख रूपये) का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(अक्टूबर 2001)।

6.8 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट/माफी

शासकीय अधिसूचनाओं [66] के अनुसार समितियों के द्वारा /के पक्ष में अन्य संस्था /समिति से गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु ऋण लेने हेतु निष्पादित विलेखों पर मुद्रांक शुल्क भुंगतान से छूट दी गई थी। उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा मध्यप्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (बोर्ड), मध्यप्रदेश वित्त निगम (निगम)/बैंक से औद्यौगिक प्रयोजनों हेतु ऋण और अग्रिम प्राप्त करने के लिए निष्पादित कब्जा रहित बंधक बिलेखों पर प्राप्त की गई राशि पर शुल्क घटाकर एक प्रतिशत किया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार बंधक विलेखों में बंधक धनराशि पर एक प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

12 उप पंजीयक कार्यालयों [67]के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, निगम, बैंक या खादी बोर्ड के पक्ष में निष्पादित 123 विलेख, जून 1995 से नवम्बर 2000 के मध्य पंजीकृत हुए थे। जबकि आवास संघ के पक्ष में निष्पादित विलेख सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये थे न कि समितियों को और उन्हें मुद्रांक शुल्क भुगतान से गलत छूट दी गई, निगम, बैंक एवं खादी बोर्ड के पक्ष में निष्पादित ऋण प्राप्ति हेतु

65 भोपाल, बेगमगंज (रायसेन), ग्वालियर, गैरतगंज (रायसेन), इन्दौर, जगदलपुर, खाचरौद (उज्जैन), नरसिंहपुर, ओबेदुल्लागंज (रायसेन), पिपरिया (होशंगाबाद), राजनांदगांव, रीवा, सतना एवं शहडोल

66 मई एवं अक्टूबर 1980 तथा सितम्बर 1983

67 बिलासपुर, भोपाल, देवास, देपालपुर (इन्दौर), धार, होशंगाबाद, जगदलपुर, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, सतना, शिवपुरी एवं सीधी

विलेख या तो औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नहीं थे तथा शुल्क की गलत छूट दी गई थी या शुल्क कम दर पर प्रभारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 7.63 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई। प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ;उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

6-ख मनोरंजन शुल्क

6.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

मनोरंजन शुल्क से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2000–2001 के दौरान की गई नमूना जांच में 585 प्रकरणों में 78.08 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क के अपवंचन, वसूली न होने एवं कम वसूली होने तथा राजस्व की अन्य हानियां प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	वी.सी.आर. एवं वी.सी.पी. स्वामियों द्वारा मनोरंजन शुल्क का जमा न /कम जमा किया जाना	306	25.94
(ii)	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	248	21.65
(iii)	अन्य	31	30.49
	योग	**585**	**78.08**

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग द्वारा 208 प्रकरणों में 20.78 लाख रूपये के शुल्क का कम निर्धारण स्वीकार किया गया।

33 लाख रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

6.10 सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रवेश के लिए प्राप्त भुगतान पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (संशोधित अप्रैल तथा दिसम्बर 1999) में प्रावधान है कि चल चित्र के हाल में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों से, उनको सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर द्वारा यथा अवधारित एक रूपया प्रति टिकट से अनधिक किसी राशि पर शुल्क आरोपित नहीं किया जायगा। इस प्रकार कलेक्टर द्वारा बिना स्वीकृति/ बिना अनुमोदन के शुल्क मुक्त संग्रहण नहीं किया जा सकता।

ग्वालियर और रायपुर जिला आबकारी कार्यालयों के मनोरंजन संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त और नवंबर 2000) में प्रकट हुआ कि 15 सिनेमा मालिकों द्वारा मई 1999 से अक्टूबर 2000 तक की अवधि में चलचित्र हाल में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों से सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु टिकट विक्रय से 40.16 लाख रूपये एकत्रित किये। मालिकों द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट के लिए न तो कलेक्टर को दावा प्रस्तुत किया और न ही कलेक्टर ने शुल्क के भुगतान से छूट के लिए कोई राशि निश्चित की।

इसके परिणामस्वरूप मालिकों द्वारा संग्रहीत राशि पर 18.04 लाख रूपये शुल्क (छत्तीसगढ़ के 12.42 लाख रूपये सम्मिलित) की वसूली नहीं की गई।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी और मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

6.11 मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (अप्रैल एवं दिसंबर 1999 में संशोधित) के अनुसार केबिल–सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला केबिल आपरेटर और होटल/ वासगृह मालिक, विहित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा।

जिला आबकारी कार्यालयों ग्वालियर, इन्दौर एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर और दिसंबर 2000) में प्रकट हुआ कि केबिल–सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 181 केबिल आपरेटरों और 71 (छत्तीसगढ़ के 42 सहित) होटल या वासगृह मालिकों से मई 1999 से अक्टूबर 2000 तक की अवधि हेतु 14.96 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप 14.96 लाख रूपये (छत्तीसगढ़ के 3.52 लाख रूपये सहित) की हानि हुई।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी एवं मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

अध्याय-7 : वन प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान वन प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 425 प्रकरणों में 944.45 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई, जिसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	इमारती काष्ठ का विदोहन तथा निर्वर्तन	1	630.99
(ii)	लेखाओं में कमी/विसंगतियां	75	69.12
(iii)	विक्रय आगारों में भण्डार (स्टॉक) संचयन के कारण हानि	16	29.84
(iv)	दाण्डिक ब्याज और बिक्रय कर की वसूली न करना	5	0.79
(v)	अन्य	328	213.71
	योग	**425**	**944.45**

विभाग ने 2000–2001 से संबंधित 59 प्रकरणों में अंतर्निहित 15.83 करोड़ रूपये की हानि आदि को स्वीकार किया। इनमें से दो प्रकरणों में 0.19 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है।

"इमारती काष्ठ का विदोहन एवं निर्वर्तन" की समीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण, जिनमें 641.88 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित है, को निम्नलिखित कंडिकाओं में दशार्या गया है :

7.2 इमारती काष्ठ का विदोहन तथा निर्वर्तन

7.2.1 प्रस्तावना

राज्य में कुल वन क्षेत्र 1.55 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र (4.43 लाख वर्ग किलो मीटर) का 34.8 प्रतिशत है और देश के कुल वन क्षेत्र (7.65 लाख वर्ग किलोमीटर) का 20 प्रतिशत है। इसमें से 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर इमारती काष्ठ वन का है, जिसमें 7382 लाख घन मीटर वृक्षों का अनुमानित वर्धी स्कंध है। जीवन के अन्य प्रकारों के समान ही वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और परिपक्व हो

जाने के बाद मर जाते हैं। यदि परिपक्व वृक्ष वैज्ञानिक पद्धति से काटे जाये तो उनके स्थान पर नये वृक्ष पैदा होते हैं। इस प्रकार वनों का नियोजित और विवेकपूर्ण दोहन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वन उगाना।

7.2.2 *संगठनात्मक संरचना*

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के प्रमुख हैं एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) हैं, जो प्रत्येक वन वृत्त में 22 वन संरक्षकों तथा क्षेत्रीय, सामान्य एवं उत्पादन मण्डलों के प्रभारी 115 वन मण्डल अधिकारियों के माध्यम से इमारती काष्ठ के विदोहन एवं निर्वर्तन हेतु उत्तरदायी है। वन मण्डल अधिकारी कूपों में वृक्षों के चिन्हांकन एवं पातन तथा विदोहित वनोपज को कूपों से आगारों तक परिवहन और निर्वर्तन कार्य उप वन मण्डल अधिकारियें, वन क्षेत्रपालों, उप वन क्षेत्रपालों/वन पालों तथा वन रक्षकों के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं।

7.2.3 *लेखापरीक्षा का क्षेत्र*

वृक्षों के चिन्हांकन तथा पातन एवं इमारती काष्ठ के संग्रहण, परिवहन और विक्रय की प्रभावी तथा कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिये 115 में से 25 क्षेत्रीय/सामान्य तथा उत्पादन वन मण्डलों के 1995–2000 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2000 से मई 2001 के मध्य) की गई, प्रकाश में आई अनियमिततायें आगामी कंडिकाओं में दी गई हैं :

7.2.4 *विशेषतायें*

(i) कार्य योजना के अनुसार कार्य योग्य कूपों को चिन्हित न करने और चिन्हित वृक्षों का पातन न करने के परिणामस्वरूप 513.40 करोड़ रूपये का राजस्व कम प्राप्त हुआ।

(कंडिका 7.2.6 (क)(ख)

(ii) इमारती काष्ठ की कम पैदावार के परिणामस्वरूप 5.52 करोड़ रूपये का राजस्व कम प्राप्त हुआ।

(कंडिका 7.2.6 (ग))

(iii) 10.01 करोड़ रूपये मूल्य की इमारती काष्ठ के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच नहीं की गई।

(7.2.6 (घ))

(iv) आगारों में इमारती काष्ठ के कम लेखांकन के कारण 5.19 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.2.7)

(v) इमारती काष्ठ के निर्वर्तन में विलम्ब के कारण 76.87 करोड़ रूपये का संभावित राजस्व कम प्राप्त हुआ।

(कंडिका 7.2.8 (क)(i), (ii))

(vi) आगारों में अनिर्वर्तित पड़ी हुई इमारती काष्ठ की गुणवत्ता में कमी के परिणामस्वरूप लकड़ी के मूल्य में 16.10 करोड़ रूपये तक की कमी हुई।

(कंडिका 7.2.8 (ख))

(vii) ऑरेंज एरिया के सर्वेक्षण और सीमांकन में विलम्ब के परिणामस्वरूप 145 करोड़ रूपये वार्षिक की आवर्ती हानि हुई।

(कंडिका 7.2.9)

(viii) इमारती काष्ठ की कमी के कारण 4.15 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.2.10)

7.2.5 राजस्व की प्रवृति

वर्ष	इमारती काष्ठ का उत्पादन		इमारती काष्ठ का निर्वर्तन[68]	इमारती काष्ठ से प्राप्त राजस्व	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन		लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
	(लाख घन मीटर में)			(करोड़ रूपये में)	
1995–96	4.73	5.17	5.54	330.00	373.78
1996–97	4.15	4.89	6.05	373.68	489.54
1997–98	4.23	6.75	6.19	372.06	386.53
1998–99	4.34	4.89	5.92	414.06	353.23
1999–2000	2.61	1.59	अनुपलब्ध	362.25	218.39

(i) वर्ष 1996–97 की तुलना में वर्ष 1997–98 में इमारती काष्ठ का वास्तविक उत्पादन 38 प्रतिशत तथा निर्वर्तन 2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि राजस्व प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी तरह वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 की तुलना में वर्ष 1998–99 में निर्वर्तन में 2 एवं 4 प्रतिशत की कमी आई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 28 एवं 9 प्रतिशत की गिरावट आई। राजस्व की कमी के कारणों की विभाग द्वारा जांच नहीं की गई।

(ii) 1998–99 एवं 1999–2000 में राजस्व की वास्तविक वसूली निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम थी और 1996–97 के पश्चात अधोमुखी प्रवृति दिखाई दी। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण अभिलेखबद्ध नहीं पाए गए।

68 इसमें विगत वर्ष की अवशेष मात्रा, जिसका निर्वर्तन इस वर्ष हुआ है, सम्मिलित है।

7.2.6 इमारती काष्ठ का विदोहन

(क) पातन योग्य कूप पातन हेतु चिन्हित नहीं किये गये

वन मण्डल की कार्ययोजना के अनुसार कूपों में पातन योग्य वृक्षों का पातन हेतु चयन एवं चिन्हांकन संबंधित क्षेत्रीय/ सामान्य वन मण्डलों के परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा 1 वर्ष पूर्व किया जाता है और आगामी वर्ष में विदोहन हेतु उत्पादन मण्डल को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। यदि बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण कार्य संभव न हो तो कार्ययोजना में बिचलन वन महानिरीक्षक से अनुमादित कराना चाहिये। कूपों का दोहन न केवल राजस्व प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण है, अपितु वनों के पुनरोत्पादन और स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करानेके लिये भी महत्वपूर्ण है।

6 वन मण्डलों [69] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1995–2000 के दौरान 1653 कार्ययोग्य कूपों के विरूद्ध केवल 610 कूप पातन हेतु चिन्हित किये गये थे और केवल 603 कूपों में ही कार्य हुआ था। 1050 कूपों को अलाभदायक मानकर कार्य न करने से शासन को 469.18 करोड़ रूपये मूल्य की 43437 घनमीटर इमारती काष्ठ के अनुमानित उत्पादन से वंचित होना पड़ा और वनों का पुनरोत्पादन भी अत्यंत प्रभावित हुआ, उनके अलाभकारी होने के समर्थन में कुछ भी अभिलेखबद्ध नहीं पाया गया। अपलेखन की संस्वीकृति भी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई। एक प्रकरण (दक्षिण बैतूल मण्डल) में अपलेखन के प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस निर्देश के साथ अमान्य (अक्टूबर 2000) कर दिया कि कम पैदावार वाले कूपों में भी वनसंवर्धन के दृष्टिकोण से कार्य किया जाना चाहिए था।

(ख) कूप/वृक्ष चिन्हित किये परंतु पातित नहीं किये गये

(i) 8 वन मण्डलों [70] में 985 कूपों में 22.65 लाख वृक्ष वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान चिन्हांकन मानदण्डों के अनुसार पातन हेतु चिन्हित किये गये थे, जिसके विरूद्ध केवल 20.17 लाख वृक्षों का ही पातन किया गया। शेष 2.48 लाख वृक्षों का पातन न किये जाने के परिणामस्वरूप 40.40 करोड़ रूपये के राजस्व की कमी हुई।

चिन्हित वृक्षों के पातन न करने का कारण वृक्षों का पहाड़ी खड़े ढालू क्षेत्रों में होना, जहां दोहन अत्यधिक खर्चीला था और फलदार वृक्षों को भी चिन्हित किया जाना बताया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उत्तर के समर्थन में अभिलेखों में कुछ भी अंकित नहीं पाया गया। तथापि वन मण्डल अधिकारी खण्डवा ने उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त यह भी सूचित किया कि चिन्हित वृक्षों की अवैध कटाई (1805 वृक्ष) एवं क्षेत्र (जिसमें 9266 वृक्ष थे) में अतिक्रमण के कारण पातन कार्य नहीं किया गया, जबकि वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर ने वृक्षों के पातन न किये जाने का करण वृक्षों का पुनर्वर्गीकरण बताया, जिसके परिणामस्वरूप पातन हेतु चिन्हित वृक्षों की संख्या बड़ी मात्रा में घट गई। तथापि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

69 बैतूल (दक्षिण) बिलासपुर, होशंगाबाद, कवर्धा, रायगढ़ तथा रायपुर (पूर्व)

70 उत्पादन– हरदा, होशंगाबाद,-खण्डवा तथा महानदी (रायपुर)
सामान्य – बिलासपुर, कवर्धा, नरसिंहपुर तथा महासमुंद

(ii) उत्पादन वन मण्डल, होशंगाबाद तथा उत्तर बालाघाट में, क्षेत्रीय वन मण्डलों द्वारा चिन्हित 8 कूपों में, जिनमें 3756.269 घनमीटर इमारती काष्ठ तथा 2024 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अनुमानित था, कार्य नहीं कराया गया, क्योंकि ये अलाभकारी माने गये थे। कूप अपलेखित नहीं कराये गये। इससे चिन्हांकन पर निरर्थक व्यय के अतिरिक्त, शासन को 3.82 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

वन मण्डल अधिकारी, उत्तर बालाघाट ने बताया (फरवरी 2001) कि कूपों का विदोहन तकनीकी कारणों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होने के कारण नहीं किया गया। वन मण्डल अधिकारी, होशंगाबाद ने सूचित किया कि एक कूप पुनः चिन्हांकन हेतु क्षेत्रीय वन मण्डल को वापस कर दिया गया था, जो फिर से प्राप्त नहीं हुआ । ये अमितव्ययी थे तथा संवेदनशील क्षेत्र में थे, आदि जो कारण है इनका निवारण विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था तथा चिन्हित कूपों के विदोहन हेतु शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए थी। चिन्हित कूपों में कार्य न किया जाना खराब योजना एवं सामान्य व उत्पादन मण्डल में आपसी सामंजस्य की कमी की ओर इंगित करता है।

(ग) *इमारती काष्ठ के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि*

विभागीय प्रक्रिया के अनुसार पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से प्राप्त की जाने वाली इमारती काष्ठ के लट्ठे, बल्ली तथा जलाऊ लकड़ी की अनुमानित मात्रा, कूपों को चिन्हित करते समय पृथक से, चिन्हांकन पंजी में अंकित की जानी चाहिये। चिन्हांकन तथा पातन का कार्य तकनीकी अर्हताप्राप्त अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाताहै। विभागीय अनुदेशों (जनवरी 1984) के अनुसार इमारती काष्ठ/जलाऊ लकड़ी के अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत तक अंतर मान्य है। यदि उपरोक्त प्रतिशत से अधिक अंतर होता है, तो कारणों की जॉच की जानी चाहिए और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अवगत कराया जाना चाहिये।

10 वन मण्डलों [71] के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 1995–2000 के दौरान 177 कूपों से पातन हेतु चिन्हित 8.35 लाख वृक्षों की तुलना में 8.38 लाख वृक्षों के पातन से 53334 घनमीटर इमारती काष्ठ तथा 47745 जलाऊ चट्टों के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध 40703 घनमीटर इमारती काष्ठ तथा 53719 जलाऊ चट्टे प्राप्त हुए। 10 प्रतिशत संभावित अंतर को मान्य करने के उपरांत 7298 घनमीटर इमारती काष्ठ की कमी हुई और 3240 जलाऊ चट्टों की वृद्धि हुई। बढ़े हुये जलाऊ चट्टों के मूल्य को समायोजित करने के पश्चात 5.52 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि सन्निहित है। विभाग ने इमारती काष्ठ में कमी तथा जलाऊ चट्टों की वृद्धि के कारणों की जांच नहीं की।

71 उत्पादन – बैतूल (उत्तर), देवास, होशंगाबाद, खण्डवा, महानदी (रायपुर) राजनांदगांव और सरगुजा (उत्तर)
सामान्य – बिलासपुर, कवर्धा तथा महासमुन्द

(घ) *इमारती काष्ठ के उत्पादन में अन्यायोचित कमी*

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने मत व्यक्त किया (जनवरी 1984) कि जलाऊ लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से इमारती काष्ठ को जलाऊ लकड़ी में परिवर्तित किया जाता है, उन्होंने इमारती काष्ठ के अधिकतम पैदावार के निर्देश दिये।

(i) वन मण्डल, महासमुन्द एवं महानदी (रायपुर) के 205 कूपों में 1995–2000 के दौरान 81381 घनमीटर इमारती काष्ठ और 216757 घनमीटर जलाऊ लकड़ी का उत्पादन हुआ। इमारती काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी में मिश्रित प्रजातियों हेतु मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए जलाऊ लकड़ी का अधिकतम उत्पादन 198759 घन मीटर संगणित हुआ, जिसके विरूद्ध वास्तविक उत्पादन 216757 घन मीटर था। इस प्रकार 17998 घनमीटर जलाऊ लकड़ी का अधिक उत्पादन, इमारती काष्ठ का जलाऊ लकड़ी में परिवर्तन का सूचक है, जिसमें जलाऊ लकड़ी के अधिक उत्पादन के मूल्य के समायोजन पश्चात 9.56 करोड़ रूपये की राजस्व हानि निहित है। विभाग ने इमारती काष्ठ के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच नहीं की।

(ii) होशंगाबाद, उत्पादन वन मण्डल में 1995–98 के दौरान मिश्रित जातियों के वृक्षों से इमारती काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी के अनुमानित उत्पादन 17433 एवं 18078 घनमीटर के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन क्रमशः 15201 एवं 35215 घनमीटर हुआ। इमारती काष्ठ का उत्पादन अनुमानित उपज का केवल 87 प्रतिशत था, जबकि जलाऊ लकड़ी का उत्पादन 195 प्रतिशत था। मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए जलाऊ लकड़ी का अधिकतम उत्पादन 50416 घनमीटर के कुल उत्पादन में से, 33611 घनमीटर होना चाहिए था। इस प्रकार इमारती काष्ठ के जलाऊ लकड़ी में परिवर्तन से इमारती काष्ठ के उत्पादन में 1604 घनमीटर की कमी रही, जिसमें जलाऊ लकड़ी के मूल्य को समायोजित करने के उपरांत 44.78 लाख रूपये की राजस्व हानि सन्निहित है। प्रकरण में जांच हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

विभाग ने इमारती काष्ठ की कम पैदावार होने के एक या अधिक कारण बताये कि क्षेत्रीय मण्डलों द्वारा अनुमानित पैदावार की संगणना खड़े वृक्षों हेतु लागू फार्मफेक्टर से की जाती है। अनुमानित पैदावार की संगणना में वृक्षों को सुदृढ़ एवं अर्द्ध सुदृढ़ माना जाता है, जबकि पातन पर ये पोले निकलते हैं । फार्म फैक्टर में वृक्षों की अनुकूलतम ऊंचाई लागू होती है, जबकि स्थल पर वृक्ष कम उंचाई के पाए जाते हैं। फार्म फेक्टर पुराना है तथा इसे संशोधित नहीं किया गया है। इमारती काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के वास्तवितक उत्पादन हेतु निर्धारित अनुपात में अंतर तथा मान्य अंतर की प्रतिशतता के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मानने योग्य नहीं है।

7.2.7 *आगारों में इमारती काष्ठ का लेखांकन*

(i) *आगारों में इमारती काष्ठ के पुनर्मापन में अंतर*

लट्ठों एवं बल्लियों का वर्गीकरण मोटाई के आधार पर किया जाता है। 45 सेंटीमीटर (सागौन) से अधिक तथा 60 सेंटीमीटर (अन्य प्रजाति) से अधिक मोटे लट्ठों को इमारती लट्ठों के रूप में तथा जो उक्त मोटाई से कम हों को बल्लियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इमारती लट्ठों का आयतन के

आधार पर, जबकि बल्लियों का संख्या के आधार पर विक्रय किया जाता है। मुख्य वन संरक्षक ने अनुदेश जारी किये (अगस्त 1984, नवम्बर 1989 एवं फरवरी 1990) कि इमारती काष्ठ की माप हेतु क्वार्टर गर्थ फार्मूला के अंतर्गत कूपों में, परंतु आगारों में नहीं, मापन के समय गोलाई में 2 से 3 सेंटीमीटर तक की तथा लम्बाई में 9.9 सेंटीमीटर तक की सूखत एवं सिकुड़न की छूट मान्य की जावेगी। आगारों की माप कूपों में अभिलेखित माप से कम नहीं रहेगी। अतः कूपों में इमारती लट्ठे को एक बार लट्ठे के रूप में वर्गीकृत होने के बाद आगारों में बल्ली के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

उत्पादन /सामान्य वन मण्डलों के आगार अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि इमारती काष्ठागारों में पुनर्मापन के पश्चात 4979 घनमीटर इमारती काष्ठ का लेखांकन नहीं किया जा सका, क्योंकि यह 1995–2000 के दौरान कम पाई गई। इसके परिणामस्वरूप 5.09 करोड़ रूपये की निम्नानुसार हानि हुई:

क्र. सं.	विवरण	मण्डलों की संख्या	कूपों की संख्या	कूपों से भेजे गए लट्ठे		आगारो में लेखाबद्ध किये गए लट्ठे		अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)		मूल्य (करोड (रूपये में)
				लट्ठे (संख्या)	घनमीटर	लट्ठे (संख्या)	घनमीटर	लट्ठे (संख्या)	घनमीटर	
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.
1.	इमारती लट्ठों का बल्लियों के रूप में वर्गीकरण	11[72]	465	1103870	69746	1055743	67108	(–) 48127	(–) 2638	2.65
2.	इमारती लट्ठों के परिमाण में कमी	8[73]	195	719682	27380	719682	26777	–	(–)603	0.61

72 उत्पादन – भानुप्रतापपुर, हरदा, होशंगाबाद, खण्डवा, महानदी, (रायपुर) एवं मण्डला (पश्चिम)
सामान्य – बिलासपुर, इन्दौर, कवर्धा, महासमुन्द एवं नरसिंहपुर

73 उत्पादन – भानुप्रतापपुर, हरदा, होशंगाबाद, खण्डवा एवं मण्डला (पश्चिम)
सामान्य – बिलासपुर, इन्दौर एवं नरसिंहपुर

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.
3.	लट्ठों की संख्या में वृद्धि परन्तु परिमाण में कमी	09[74]	180	621718	40716	628048	39574	(+)6330	(–)1142 (–)596[75]	1.23 0.60
	योग			**2445270**	**137842**	**2403473**	**133459**	**(-) 41797**	**(-)4979**	**5.09**

वन मण्डल अधिकारी, खण्डवा एवं पश्चिम मण्डला जांच के उपरांत वसूली करने हेतु सहमत हुए। अन्य वन मण्डल अधिकारियों ने आगारो में पुनर्मापन में इमारती काष्ठ की कमी का कारण कूपों में अकुशल श्रमिकों द्वारा माप लिया जाना तथा कूपों की सतह का असमतल होना बताया। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि तकनीकी दृष्टि से योग्य कर्मचारियों द्वारा माप ली जाती है। तथापि कूपों में माप के अभिलेखन के समय गोलाई एवं लम्बाई में ग्राह्य छूट दी जाती है एवं आगारों में नहीं। मुख्य वन संरक्षक ने भी पुष्टि की है (नवम्बर 1989) कि कूपों मे अभिलिखित इमारती लट्ठों का परिमाण आगारों में पुनर्मापन में नहीं घटेगा।

(ii) महानदी (उत्पादन) मण्डल, रायपुर के धमतरी एवं नगरी आगारों की दैनिक प्राप्ति पंजियों तथा वर्ष 1998–2000 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 34723.734 घनमीटर माप के इमारती काष्ठ के 441708 लट्ठे तथा 244341 बल्लियॉं आगारों में प्राप्त की गयी, जिसके विरूद्ध आगारों में पुनर्मापन के उपरांत 34062.704 घनमीटर माप के इमारती काष्ठ के केवल 398351 लट्ठे तथा 287911 बल्लियॉं /डेंगरियॉं/खूँटों का ही लेखांकन किया गया तथा नीलामी के लिये प्रस्तावित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 661.03 घनमीटर माप की इमारती काष्ठ के 43357 लट्ठों का कम लेखांकन तथा 43570 बल्लियों, डेगरियों एवं खूटों का अधिक लेखांकन हुआ, जिसमें अधिक पाई गई बल्लियॉं, डेंगरियॉं एवं खूँटों की कीमत का समायोजन करने के पश्चात 10.10 लाख रूपये की हानि सन्निहित है।

(iii) वन मण्डल (सामान्य), बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जाचं में प्रकट हुआ कि 1997–99 के दौरान छिद्रक साल वृक्षों के पातन से प्राप्त इमारती काष्ठ के 10499.455 घनमीटर लट्ठे, 187.605 घनमीटर बल्लियां तथा 1672.874 घनमीटर आर.टी.एल. को कोटा एवं पीपरतराई आगारों को परिवहन किये जाने पर कूपों में कोई शेष नहीं रहा। इनमें से अगस्त 1998 एवं नवम्बर 2000 के मध्य केवल 5461.581 घनमीटर इमारती लट्ठों एवं 5 घनमीटर (182 नग) बल्लियों को नीलाम में रखा गया। 5037.874 घनमीटर इमारती काष्ठ 182.605 घनमीटर बल्लियों तथा 1672.874 घनमीटर आर.टी.एल

74 उत्पादन–भानुप्रतापपुर, हरदा, होशंगाबाद एवं महानदी (रायपुर)
सामान्य– बिलासपुर, इन्दौर, कवर्धा महासमुन्द एवं नरसिंहपुर

75 बढ़े हुये 6330 लट्ठों की अनुपातिक पैदावार

की अंतर मात्रा का या तो आगारों के अभिलेखों में लेखांकन नहीं किया गया या नीलामी हेतु इन्हें प्रस्तावित नहीं किया गया। आगारों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

7.2.8 *इमारती काष्ठ का निर्वर्तन विलम्ब से/ न किये जाने से सारभूत राजस्व हानि*

(क) इमारती काष्ठ के विक्रय में विलम्ब

वन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मौसम के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव के कारण कटी हुई इमारती काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का उपयोगी जीवन काल 5 वर्ष का रहता है। कूपों से आगारों तक इमारती काष्ठ की ढुलाई हेतु निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों एवं निबंधनों में यह समाविष्ट था कि ढुलाई ठेकेदार अप्रैल माह की समाप्ति तक सम्पूर्ण मात्रा की ढुलाई करने हेतु बाध्य है और इस प्रकार पातन की गई एवं आगारों तक ढुलाई की गई सम्पूर्ण मात्रा उसी वन वर्ष में, वर्षा आरंभ होने से पूर्व, नीलामी हेतु प्रस्तावित कर दी जानी चाहिये। लाटों हेतु नीलामी में प्राप्त बोलियों को, बोली स्वीकार योग्य है या नहीं, इस पर ध्यान दिये बिना, बोली पत्रकों में अंकित किया जाना चाहिए। शासन ने अनुभव किया कि पर्याप्त बोलियों के अभाव में तथा इमारती काष्ठ व्यापारियों द्वारा गुटबंदी (कारटेल) किये जाने के कारण विगत वर्षों में किए गए नीलामों में इमारती काष्ठ का समुचित मात्रा में निर्वर्तन नहीं हो पा रहा था तथा उन्होंने 1998–99 में द्वितीय श्रेणी की सागौन इमारती काष्ठ का नीलामी के बजाय निविदा आमंत्रण द्वारा विक्रय करना निश्चित किया (दिसम्बर 1998)।

(i) वन मण्डलों में बोली प्रपत्रों के संदर्भ में नीलामी के परिणामों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि लाटों की वे बोलियां ही बोली पत्रकों में अंकित की गई थीं, जो या तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी अथवा उनके द्वारा स्वीकृति हेतु अनुशंसित की गई थी, जबकि अन्य प्रकरणों में कोई बोली अंकित नहीं की गयी थी तथा लगातार नीलामी हेतु रखे गये ऐसे लाटों हेतु कोई बोली प्राप्त न होने के कारणों की छानबीन करने हेतु कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई । यह भी देखा गया कि कोरबा (बिलासपुर) और रालामंडल (इंदौर) आगारों में प्रतिदिन 300 से 3400 लाटों की नीलामी की गई थी, लॉट से लॉट पर खड़े होकर नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं था।

(ii) 9 वन मण्डलों [76] में 339495 घनमीटर इमारती काष्ठ का नीलाम द्वारा 287.04 करोड़ रूपये अवरोध मूल्य के विरूद्ध 210.17 करोड़ रूपये मे विक्रय किया गया (अगस्त 1995 और फरवरी 2001 के मध्य), परिणामस्वरूप इमारती काष्ठ की नीलामी हेतु प्रस्ताव रखे जाने में विलम्ब तथा इसके निर्वर्तन हेतु निविदायें आमंत्रित न किये जाने के कारण 76.87 करोड़ रूपये की सारभूत राजस्व हानि हुई।

76 उत्पादन– भानुप्रतापपुर, हरदा, होशंगाबाद, खण्डवा एवं महानदी (रायपुर)
सामान्य – बिलासपुर, कवर्धा, इन्दौर एवं महासमुन्द

यह भी देखा गया कि समस्त प्रकरणों में जहां किसी नीलामी विशेष में लाटों का निर्वर्तन नहीं किया गया था, बोली प्रपत्रों में कोई बोली अंकित नही की गयी थी, विभाग ने इन विशेष लाटों हेतु 4 से 16 नीलामों में लगातार बोली प्राप्त न होने के कारणों की छानबीन नहीं की।

(ख) *इमारती काष्ठ का ह्रास*

(1) 10 वन मण्डलों [77] में 1995–2000 के दौरान आगारों में प्राप्त किए गये 23.56 करोड़ रूपये मूल्य के 42639 घनमीटर इमारती काष्ठ लट्ठे तथा 343661 बल्लियां/डेंगरियां/बाड़ के खम्भे 3 से 5 वर्षों से अधिक समय तक अनिर्वर्तित पड़े थे क्योंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। विहित उपयोगी जीवन काल अवधि के आधार पर ह्रास के कारण इमारती काष्ठ के मूल्य में 13.03 करोड़ रूपये की कमी निम्नानुसार संगणित हुई :

आगारों में प्राप्ति का वर्ष	*मात्रा*		*मूल्य (करोड़ रूपये में)*	*ह्रास की प्रतिशतता*	*संभावित हानि की राशि (करोड़ रूपये में)*
	इमारती काष्ठ (घनमीटर)	*बल्ली (संख्या)*			
1995–96	2262	–	2.24	100	2.24
1996–97	2862	56686	2.94	80	2.35
1997–98	6794	111986	5.41	60	3.25
1998–99	30721	174989	12.97	40	5.19
योग	**42639**	**343661**	**23.56**		**13.03**

(ii) वन मण्डल (सामान्य), बिलासपुर, महासमुन्द, एवं पूर्व सीधी तथा (उत्पादन) महानदी (रायपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2000 के अंत में अनिर्वर्तित रही 19.66 लाख रूपये मूल्य की 357 घनमीटर इमारती लकड़ी एवं 3559 बल्लियों एवं डेगरियों का पूर्णतः ह्रास हो गया था तथा अविक्रय योग्य हो गई थी। परन्तु कारणों की छानबीन तथा हानि प्रतिवेदन शासन एवं महालेखाकार को प्रतिवेदित करनेहेतु कार्यवाही नहीं की गई।

वन मण्डल अधिकारियों ने इमारती काष्ठ का अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय तथा अनिर्वर्तन का कारण क्रेताओं द्वारा गुटबंदी, इसका ह्रास होना, बर्मा तथा इण्डोनेशिया से आयात आदि होना बताया । उन्होंने यह भी पुष्टि की कि केवल स्वीकार की गई बोली ही बोली प्रपत्रों में अंकित की गई है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं शासन के अन्य विभागों में इमारती काष्ठ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन को उनकी मांग की संभावनाओं का पता लगाकर आवश्यकताओं के लिए बाजार में जाने के बजाय सीधे इमारती काष्ठ के आगारों से संपर्क करना था। इससे इमारती काष्ठ आदि का त्वरित निर्वर्तन एवं विभागों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित होता ।

77 बैतूल (दक्षिण), बिलासपुर, भानुप्रतापपुर, हरदा, होशंगाबाद, महासमुन्द, मण्डला (पूर्व एवं पश्चिम), महानदी (रायपुर)एवं नरसिंहपुर

(iii) 1995–2000 के मध्य 14 वन मण्डलों [78] में अभिग्रहीत की गई 5.67 करोड़ रूपये मूल्य की 15469.867 घन मीटर इमारती काष्ठ निर्वर्तन हेतु विक्रय आगारों को परिवहन नहीं की गई। नियम पुस्तक के अनुसार इमारती काष्ठ का उपयोगी जीवन काल 5 वर्ष मानते हुए ह्रास के कारण 2.87 करोड़ रूपये की संभावित राजस्व हानि नीचे दर्शाये अनुसार संगणित हुई :

अभिग्रहण का वर्ष	अभिग्रहण की गई किन्तु विक्रय आगारों को न भेजी गई इमारती काष्ठ (घनमीटर में)	मूल्य (करोड़ रूपये में)	ह्रास की प्रतिशतता	संभावित राजस्व हानि की राशि (करोड़ रूपये में)
1995–96	859.036	1.26	100	1.26
1996–97	549.271	0.22	80	0.18
1997–98	4283.230	0.85	60	0.51
1998–99	5223.118	1.30	40	0.52
1999–2000	4555.212	2.04	20	0.40
योग	**15469.867**	**5.67**		**2.87**

7.2.9 वन प्रबंधन : तत्कालीन राज्यों के वनों के सर्वेक्षण एवं सीमांकन में विलम्ब

जून/सितम्बर 1955, जुलाई तथा अगस्त 1958 की अधिसूचना के अधीन बिलासपुर और बैतूल जिलों में तत्कालीन राज्यों/जमीदारों की वन भूमि का मध्यप्रदेश में संविलयन किया गया तथा प्रबंधन हेतु उसे वन विभाग को हस्तांतरित किया गया । 1965 तक सर्वेक्षित एवं सीमांकित क्षेत्र वन प्रबंधन में सम्मिलित किया गया था तथा शेष असीमांकित क्षेत्र को नक्शे में नारंगी रंग में दर्शाया गया था और उसे नारंगी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया, जो अभी भी वन विभाग के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं है।

8 वन मंडलों [79] से संबंधित 280585 हेक्टेयर क्षेत्र में से 244501 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वेक्षण (1996 एवं 2000 के मध्य) में 80107 हैक्टेयर क्षेत्र (सर्वेक्षित क्षेत्र का 14 एवं 60 प्रतिशत के मध्य) वन प्रबंधन के उपयुक्त पाया गया था किन्तु सीमांकन नहीं किया गया था। विदोहन न किये जाने के कारण शासन प्रतिवर्ष 47.51 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त अक्टूबर से दिसम्बर 2000 के दौरान 244501 हैक्टेयर में से 48964 हैक्टेयर (20 प्रतिशत) का अन्तिम सर्वेक्षण किया जा चुका था। 9182 हैक्टेयर क्षेत्र (बैतूल वृत्त के अंतिम सर्वेक्षित क्षेत्र का 27 प्रतिशत) का अतिक्रमण कर

78 क्षेत्रीय/सामान्य मण्डल– बैतूल (दक्षिण), बिलासपुर, धार, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कोरबा, महासमुन्द, नरसिंहपुर, रायगढ़, तथा शहडोल (दक्षिण) तथा सरगुजा (पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण)

79 बिलासपुर वृत्त– बिलासपुर, बिल्मसपुर (उत्तर), जांजगीर, जशपुर नगर, और कोरबा
बैतूल वृत्त– बैतूल (उत्तर , दक्षिण व पश्चिम)

लिया गया था तथा 164394 हैक्टेयर का शेष क्षेत्र, जो वन प्रबंधन के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया, राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जाना था, जो कि हस्तांतरित नहीं किया गया । इस प्रकार विभाग की लापरवाही से 164394 हेक्टेयर पर अवैध कटाई, अतिक्रमण हुआ तथा प्रतिवर्ष 97.49 करोड़ रूपये मूल्य की 80774 घनमीटर इमारती काष्ठ की संभावित हानि हुई। कुल नारंगी क्षेत्र का 36084 हैक्टेयर (13 प्रतिशत) क्षेत्र नारंगी क्षेत्र घोषित किये जाने के 40 वर्ष बाद भी असर्वेक्षित एवं असीमांकित पड़ा हुआ है।

7.2.10 *इमारती काष्ठ की कमी के कारण राजस्व की हानि*

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के प्रावधानों के अनुसार हानियों के प्राथमिक प्रतिवेदन विभाग प्रमुख तथा महालेखाकार को शीघ्रता पूर्वक प्रस्तुत किये जाने चाहिये और प्रकरणों का निराकरण हानि का पता लगने की तिथि से 6 माह के अंदर कर दिया जाना चाहिये।

(i) 5 आगारों [80] के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी तथा अप्रैल 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि वर्ष 1995–2000 के भौतिक सत्यापन के दौरान 3.29 करोड़ रूपये मूल्य की 1328 घनमीटर इमारती काष्ठ तथा 104.534 घनमीटर बल्लियॉं/डेंगरी/आर.टी.एल कम पाए गए। 3 आगारों में इमारती लट्ठों के परिमाण में कमी तथा बल्लियों की संख्या में अधिकता पाई गई (टाकू में वर्ष 1995–96 और 1997–98 में, गरियाबंद में 1995–96 और 1999–2000 में तथा नगरी में 1999–2000 में) जबकि 1 आगार में (टिमरनी में 1996–97)इमारती लट्ठों के परिमाण में वृद्धि और बल्लियों की संख्या में कमी थी, जो अंकित वर्गीकरण में परिवर्तन का परिचायक है, जिससे 3.29 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई। हानि के कारणों की जांच / नियमन हेतु तथा हानियों को महालेखाकार / शासन को प्रतिवेदित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ii) महानदी (रायपुर), नरसिंहपुर तथा पूर्व सीधी, वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 1996 तथा अप्रैल 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि कूप पूर्णता प्रतिवेदनों के अनुसार 30 कूपों से आगारों को 9311.152 घनमीटर इमारती काष्ठ लट्ठे तथा 74145 बल्लियां/डेंगरियॉं भेजी जाना दर्शाई गई थी और कूपों में कोई शेष नहीं था, जबकि आगारों में चालानवार प्राप्ति पंजी के अनुसार केवल 8068.427 घनमीटर इमारती काष्ठ लट्ठे और 62602 बल्लियां/डेंगरियां कूपों से निर्गमित होना और आगारों में प्राप्त होना पाई गई। इसके परिणामस्वरूप 86.16 लाख रूपये मूल्य की 1242.725 घनमीटर इमारती काष्ठ और 11543 बल्लियां/डेंगरियॉं की आगे दर्शाये अनुसार कमी पाई गई :

80 भानुप्रतापपुर, टाकू (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा) गरियाबंद तथा नगरी (महानदी–रायपुर)

मंडल	वर्ष	कूपों की संख्या	कूप पूर्णता प्रतिवेदनों के अनुसार कूपों से प्रेषण		आगारों की चालानवार प्राप्ति पंजी के अनुसार प्रेषण		कूपों में कमी		मूल्य (लाख रुपये में)
			इमारती काष्ठ (घनमीटर)	बल्ली/ डेंगरी (संख्या)	इमारती काष्ठ (घनमीटर)	बल्लियाँ (संख्या)	इमारती काष्ठ (घनमीटर)	बल्लियाँ (संख्या)	
नरसिंहपुर	1995–96	6	1055.481	19551	981.202	17278	74.279	2273	17.13
पूर्वी सीधी	1994–96	4	1759.503	–	1603.521	–	155.982	–	15.60
महानदी	1998–99	7	1849.935	5940	1707.391	5394	142.544	546	–
(रायपुर)	1999–2000	13	4646.233	48654	3776.313	39930	869.920	8724	53.43
योग		**30**	**9311.152**	**74145**	**8068.427**	**62602**	**1242.725**	**11543**	**86.16**

विभाग ने इन कमियों की जांच नहीं की।

वन मंडल अधिकारी, सीधी तथा नरसिंहपुर कमी की जांच हेतु सहमत हुए (दिसंबर 1996 एवं फरवरी 1997)। वनमंडल अधिकारी, नरसिंहपुर ने आगे बताया (मार्च 2001) कि पातन एवं संग्रहण पर हुए 12,103 रूपये के व्यय की चूकर्ताओं से वसूली कर ली गई है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इमारती काष्ठ के पातन और संग्रहण को उप वन मंडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया था, अतः लकड़ी के मूल्य की अपेक्षा पातन एवं संग्रहण प्रभारों की वसूली करना नियमानुकूल नहीं था।

7.2.11 *आंतरिक नियंत्रण का अभाव*

(क) इमारती काष्ठ का लेखा संधारित न करना

इमारती काष्ठ का लेखा विभागीय लेखाओं में एक अति महत्वपूर्ण लेखा होता है, जो वृक्ष पातन से प्राप्त पैदावार, परिवहन करने तथा कूपों में शेष रही लकड़ी के साथ ही अवधि विशेष के दौरान भंडार–आगारों में प्राप्ति, निर्वर्तन एवं अविक्रीत पड़ी हुई लकड़ी की अद्यतन तथा सही स्थिति प्रदर्शित करता है। अतः इमारती काष्ठ का लेखा अद्यतन एवं सही रखा जाना चाहिए। तथापि यह पाया गया कि नमूना जांच किएगए 25 वन मंडलों में से 23 में 1 से 20 वर्ष तक का लेखा बकाया था।

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा मुख्य वनसंरक्षक (बजट एवं वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संचालक लेखा के पर्यवेक्षण में गठित की गई थी। समय समय पर जारी अनुदेशों तथा निर्धारित संहितागत प्रक्रिया पर अमल सुनिश्चित करना तथा निष्पादय/ निष्पादित कार्यों पर आंतरिक नियंत्रण वन संरक्षकोंके माध्यम से रखा जाता है। तथापि यह देखा गया कि कार्य हेतु नियत , चिन्हित किए गये कूपों के कार्य, वृक्षों का चिन्हांकन, पातन, सामग्री पातित, जब्त की गई, परिवहन न की गई, निर्वर्तित सामग्री के आंकड़े /सांख्यिकी तथा भौतिक सत्यापन आदि के परिणामोंको आवधिक प्रतिवेदनों एवं विवरणियों के माध्यम से संबंधित वन संरक्षकों और विभाग प्रमुख को प्रतिवेदित किया गया था, फिर भी

विभाग ने अनियमितताओं का पता नहीं लगाया। इस तरह की अनियमितताओं से बचने हेतु विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

7.3 अवैध कटाई के कारण राजस्व हानि

वैध प्राधिकार के बिना वन क्षेत्र से वनोपज का पातन/निष्कासन वनोपज को जब्त किये जाने के अतिरिक्त अर्थ दंड सहित एक दण्डनीय अपराध है। वनों को अवैध कटाई से बचाने के लिये वनों को बीट गार्डों /वन रक्षकों के प्रभार में बीटों में बाँटा जाता है, जो वनों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। विभाग ने वन अधिकारियों को वन संरक्षण हेतु उन्हें दी गई अधिक शक्तियों के कार्यान्वयन के संबंध में अनुदेश जारी किये थे (मार्च 1983 एवं फरवरी 1988) । यह भी निर्देशित किया गया था कि परिक्षेत्र सहायक अपने क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक बीट का महीने में एक बार, परिक्षेत्र अधिकारी तीन माह में एक बार, उप वन मण्डलाधिकारी छः माह में एक बार तथा वन मण्डलाधिकारी वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। यदि कोई अधिकारी उपरोक्तानुसार किसी बीट का निरीक्षण करने में असफल रहता है तथा उस बीट में अवैध कटाई होती है तो वन रक्षक के साथ साथ संबधित अधिकारी को भी अवैध कटाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

वन मण्डल (क्षेत्रीय) बुरहानपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2000) में प्रकट हुआ कि जनवरी से दिसम्बर 1999 के दौरान विभिन्न गोलाई के 52484 वृक्षों की अवैध कटाई होना पाया गया था। विभाग द्वारा 1649 प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन [81] दर्ज किये गये तथा 88.92 लाख रूपये मूल्य की 1335 घनमीटर इमारती काष्ठ एवं 3495 जलाऊ लकड़ी के चट्टे जब्त किये गये। पैदावार के आकलन हेतु वन मण्डल में लागू न्यूनतम फार्म फैक्टर (आकृति गुणांक) के अनुसार 52484 वृक्षों से 525.05 लाख रूपये मूल्य की 7348 घनमीटर इमारती काष्ठ एवं 17844 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप 4.36 करोड़ रूपये की हानि हुई। यद्यपि अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगाए गये थे फिर भी विभाग अवैध कटाई रोकने में असफल रहा। विभाग द्वारा अवैध कटाई की पुनरावृत्ति से बचने के लिए न तो कोई सुधारात्मक उपाय किये गये और न ही इतनी बड़ी हानि के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर (जनवरी 2000), वन मण्डलाधिकारी, बुरहानपुर ने बताया (फरवरी 2000 एवं अप्रैल 2001) कि संवेदनशील क्षेत्र में वृक्ष क्षयशील तथा पतले थे, जहां मुख्यतः कृषि उद्देश्यों के लिए अवैध कटाई की गई थी तथा अवैध कटाई रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 10 वर्ष पूर्व बनाए गये फार्म फैक्टर के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा हानि की संगणना किया जाना स्वीकार्य नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वन मण्डलाधिकारी इस तथ्य की जानकारी होने के

81 पी.ओ.आर. – प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन

बावजूद कि क्षेत्र संवेदनशील था, अवैध कटाई के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने में असफल रहे। चूंकि काटे गये वृक्षों का गोलाईवार विवरण उपलब्ध नहीं था, अतः लेखापरीक्षा में उत्पादन का आकलन न्यूनतम फार्म फैक्टर के आधार पर किया गया।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000 तथा मार्च 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

7.4 पुष्पित बांस भिर्रों का विदोहन न करने के कारण राजस्व हानि

बांस प्रबंधन संबंधी नियमों एवं विभागीय अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि बांस में प्राकृतिक पुष्पन 30 से 40 वर्षों के बीच दो या तीन अवस्थाओं में होता है तथा बांस भिर्रों के शुष्कता तथा पातित सामग्री की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से बचाव हेतु उनके पूर्ण पातन एवं प्राप्त सामग्री के निर्वर्तन हेतु योजना तैयार कर तुरंत क्रियान्वित की जानी चाहिए।

वन मण्डल, (सामान्य), जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त 1999) कि अक्टूबर 1993 एवं जनवरी 1994 के दौरान दरभा तथा कांगेर परिक्षेत्रों के 11435 हैक्टेयर क्षेत्र में सामूहिक पुष्पन हुआ था। विभाग द्वारा तैयार की गई विदोहन योजना में बॉस का अनुमानित उत्पादन 8453 नोशनल टन [82](6472 नोशनल टन वाणिज्यिक तथा 1981 नोशनल टन औद्योगिक) था। सम्पूर्ण बांस का विदोहन वर्ष 1994–95 के दौरान पूर्ण किया जाना था, लेकिन इसे वर्ष 1994–95 में प्रारंभ कर वर्ष 1996–97 तक जारी रखा गया। परिणामस्वरूप अधिकांश बांस सूख गये। 8453 नोशनल टन बांस के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध वास्तव में केवल 3812 नोशनल टन (691 नोशनल टन वाणिज्यिक तथा 3121 नोशनल टन औद्योगिक) बांस प्राप्त हुआ। 4641 नोशनल टन बांस की कमी के परिणामस्वरूप 1.55 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 1999) वन मण्डलाधिकारी ने बताया (अगस्त 1999) कि निधियों की कमी के कारण विदोहन योजना के अनुसार कार्य नहीं कराया जा सका। यह भी बताया (अप्रैल 2001) कि एक कूप का क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण विदोहन कार्य पर प्राक्कलित व्यय प्रत्याशित राजस्व से अधिक था। क्षेत्र की सफाई न किये जाने की स्थिति में बांस की आगे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2000 और फरवरी 2001) ;उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (अक्टूबर 2001)

82 नोशनल टन –2400 रनिंग मीटर बांस

7.5 वनोपज में ह्रास के कारण राजस्व हानि

वन विभाग की नियम पुस्तक के अनुसार मौसम के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव के कारण कटी इमारती काष्ठ तथा बांस का उपयोगी जीवन काल क्रमश : 5 और 2 वर्ष का है। विभागीय अनुदेशों में तदनुसार प्रावधान है कि पातित वनोपज का उसके शीघ्र निर्वर्तन हेतु तत्काल विक्रय आगारों को परिवहन किया जाना चाहिए। मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन एवं लघुवनोपज) ने भी अनुदेश जारी किए थे (फरवरी, मार्च 1993 एवं फरवरी 1994) कि निस्तार/ उपभोक्ता आगारों में अनिवर्तित पड़ी वनोपज को ह्रास से बचाने के लिए व उसका शीघ्र निर्वर्तन करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष निस्तार काल की समाप्ति पर अर्थात 30 जून तक, निकटस्थ वाणिज्यिक विक्रय आगार को भेजा जाना चाहिए।

(क) आगारों में वनोपज का ह्रास

राजनांदगांव (क्षेत्रीय) के 23 निस्तार और उपभोक्ता आगारों तथा वन मण्डल (सामान्य), दक्षिण पन्ना के 22 आगारों की विक्रय पंजियों एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों की संवीक्षा मे यह पता चला (दिसम्बर 1999 और सितम्बर 2000 के मध्य) कि 19.82 लाख रूपये मूल्य की 10544 बल्लियां, 158489 बांस तथा 80 क्विंटल जलाऊ लकड़ी लम्बे समय से अनिर्वर्तित पड़ी हुई थी।वनोपज को नीलामी द्वारा निर्वर्तित करने के लिए न तो विक्रय आगारों को भेजा गया और न ही इसे निस्तार/ उपभोक्ता आगारों पर समय पर नीलामी हेतु रखा गया। परिणामस्वरूप गुणवत्ता में ह्रास के कारण वनोपज बिक्री के अयोग्य हो गया। विभाग द्वारा न तो प्रकरण की जांच की गई और न ही हानि शासन तथा महालेखाकार को प्रतिवेदित की गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1999) वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव ने बताया (दिसम्बर 1999) कि अविक्रीत वनोपज 1984–85 से 1992–93 तक की अवधि की थी और नवम्बर 1993 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य नीलामी द्वारा इसकी बिक्री हेतु प्रयास किये गये, लेकिन इसका निर्वर्तन नहीं किया जा सका। इसके अपलेखन हेतु कार्यवाही की जायेगी। वन मंडलाधिकारी (सामान्य), दक्षिण पन्ना ने स्वीकार किया (सितम्बर 2000) कि वर्ष 1993 में अन्य मण्डलों से प्राप्त बांस क्षयशील अवस्था में थे। बल्लियां आड़ी टेढ़ी होने के कारण विक्रय नहीं की जा सकीं। विभागीय अनुदेशों का अनुपालन न करने तथा वनोपज के अनिर्वर्तित रहने के कारण शासन 19.82 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा।

(ख) वनोपज के विक्रय में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), सुकमा के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला (सितम्बर 1999) कि 1994–95 और 1995–96 के मध्य पातित 143.76 लाख रूपये मूल्य का 2478.808 नोशनल टन बांस 1995–96 तथा 1997–98 के मध्य आगारों को परिवहित किया गया। इन बांसों को अक्टूबर 1997 तथा जून 1999 के मध्य नीलाम में रखने पर मात्र 76.11 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति हो सकी। बांसों के परिवहन/ निर्वर्तन में विलम्ब के कारण शासन 67.65 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2000 तथा फरवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)

7.6 वनोपज में कमी

मध्यप्रदेश वन वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कूप/ आगार के स्कंध का प्रति वर्ष सितम्बर के अंत में भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। कोई विसंगति/ कमी पाए जाने पर उसकी तत्काल जांच कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड 1 में यह प्रावधान है कि सभी कमियों/ हानियों को तत्काल शासन तथा महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए।

(i) पश्चिम मण्डला (क्षेत्रीय) और सीहोर (उत्पादन) वन मंडलों के 25 आगारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पता चला (दिसम्बर 1998 और अगस्त 2000) कि 1996–97 तथा 1997–98 के मध्य किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान 9.31 लाख रूपये मूल्य की 98 घन मीटर इमारती काष्ठ, 2432 बल्लियां ,16453 व्यापारिक बांसों तथा 134 जलाऊ चटटों की कमी पाई गई ।तथापि कमी की जांच करने, उत्तरदायित्व निर्धारण करने और शासन / महालेखाकार को हानि के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की दिशा में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी पश्चिम मंडला (क्षेत्रीय) तथा सीहोर (उत्पादन) प्रकरण की जांच कराने पर सहमत हुए (दिसम्बर 1998 तथा अगस्त 2000)

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को सूचित किया गया (मार्च 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ (संघ) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (अक्टूबर 1999) कि 1992–2000 की अवधि के दौरान विभिन्न इकाइयों में 206722.11 टन साल बीज संग्रहीत किया गया था, जिसमें से 201632.24 टन बीज की आपूर्ति उद्योगों को की गई थी। 31 दिसम्बर 2000 को संगणित 5089.87 टन के विरूद्ध वास्तविक शेष केवल 384.50 टन था। इसके परिणामस्वरूप 4705.37 टन साल बीज की कमी के कारण 1.49 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई। लेकिन कमी की जांच करने / उत्तरदायित्व का निर्धारण करने तथा हानि प्रकरण शासन/ महालेखाकार को प्रतिवेदित करने की दिशा में संघ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)

7.7 अनुबंध के निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने से राजस्व हानि

19 जून 1992 को वन विभाग द्वारा कत्था तथा कच के विनिर्माण हेतु 12 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिवर्ष 150000 खैर वृक्षों की आपूर्ति करने हेतु मैसर्स सातलकत्था एवं केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सारंगपुर (कम्पनी) के साथ एक अनुबंध किया गया था। अनुबंध में दर

कम करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। दिसम्बर 1998 से शासन द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

(i) वन मण्डल, (सामान्य), गुना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (जुलाई 2000) कि कम्पनी ने 1994–95 तक अनुबंधित दरों पर खैर वृक्ष स्वीकार किए। लेकिन शासन ने संविदा शर्तों में संशोधन किए बगैर वर्ष 1995–96 से 1998–99 के लिए दरें पुनरीक्षित/ कम कर दी। वर्ष 1995–96 से 1998–99 में घटी दरों पर 114542 वृक्षों की आपूर्ति की गई। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 20.58 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई :

वर्ष	*अनुबंधित दर*	*घटी हुई दर*	*भेदक दर*	*प्रदाय किये गये वृक्षों की कुल संख्या*	*राजस्व हानि (लाख रुपये में)*
	रूपये प्रति वृक्ष				
1995–96	118.59	107.81	10.78	56735	6.12
1996–97	130.45	107.81	22.64	20608	4.67
1997–98	143.50	118.59	24.91	16168	4.03
1998–99 (दिसम्बर 1998 तक)	157.85	130.45	27.40	21031	5.76
योग				**114542**	**20.58**

(ii) अनुबंध की शर्त 8 के अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी खैर वृक्षों का परिदान लेने के लिए कंपनी बाध्य थी। वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान 87455 खैर वृक्ष उपलब्ध कराए गए, लेकिन कम्पनी द्वारा 49444 वृक्ष स्वीकार किये गये तथा 38011 वृक्ष अवशेष रहे, इनमें से 12.49 लाख रूपये मूल्य (अनुबंधित दरों [83] के अनुसार) के 9424 वृक्ष सार्वजनिक नीलामी (मई 1999 तथा जनवरी 2001 के मध्य) के माध्यम से निर्वर्तित किए गए, जिससे 7.46 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप 5.03 लाख रूपेये की राजस्व हानि हुई। शेष रहे 37.73 लाख रूपये मूल्य के 28587 वृक्ष अभी तक अनिर्वर्तित पड़े हुए हैं। यदि कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट सभी वृक्षों का परिदान लिया गया होता, तो विभाग को 42.76 लाख रूपये की राजस्व प्राप्ति हो सकती थी।

(iii) अनुबंध की शर्त 5 के अनुसार अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में मुख्य वन संरक्षक (उद्योग) को सम्पूर्ण बैंक गारंटी या उसके किसी भाग के रद्द करने/ जब्त करने का अधिकार था। तथापि वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 से संबंधित 30 लाख रूपये की बैंक गारण्टी को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2000 तथा फरवरी 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2001)।

[83] 130.45 रूपये प्रति वृक्ष (1996–97) तथा 143.50 रूपये प्रति वृक्ष (1997–98)

7.8 बड़े आकार के बांस प्रदाय के कारण राजस्व हानि

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 1994) के अनुसार बसोड़ों [84] को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5.5 मीटर लम्बाई तक के बांस प्रदाय किए जाने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें 5.5 मीटर से अधिक लम्बे बांसों की आपूर्ति नहींकी जानी चाहिए ।

वन मण्डल (सामान्य), रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (अप्रैल 2000) कि अनुदेशों के विपरीत वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान 7.30 मीटर लम्बे, 2.93 लाख बांस 26.40 रूपये से 30 रूपये प्रति बांस की बाजार दर सेकाफी कम 5 रूपये से 6.50 रूपये प्रति बांस की रियायती दरों पर बसोड़ों को प्रदाय किए गए। इस के परिणामस्वरूप 24.89 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2000) वन मंडलाधिकारी ने बताया कि बांसों की आपूर्ति वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दरों पर की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 1994) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 5.50 मीटर से अधिक लंबाई के बांस बसोड़ों को प्रदाय किये गये थे।बड़ी साइज के बांसों की आपूर्ति के कारणों का अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं था।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2000 तथा मार्च 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)

7.9 वनोपज का अनुचित उपयोग

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों के आधार पर वनोपज को विभागीय कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी वनोपज के मूल्य को संबंधित कार्य के नामे डालकर राजस्व प्राप्तियों में जमा दर्शाया जाना अपेक्षित है।

वन मडलों (सामान्य) भोपाल, दक्षिण सरगुजा एवं उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (जून 1999 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य) कि 1994–95 से 1999–2000 के दौरान 8.93 लाख रूपये मूल्य (जिसमें छत्तीसगढ़ के 4.87 लाख रूपये भी सम्मिलित है) की 11966 बल्लियां, 19744 बांस तथा 75.5 क्विंटल जलाऊ लकड़ी, राजस्व प्राप्तियों में मूल्य जमा किए बगैर, विभागीय कार्यों में उपयोग के लिए निर्गमित की गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जून 1999 तथा अक्टूबर 2000 के मध्य) वन मंडलाधिकारी, भोपाल तथा उज्जैन विभागीय रूप से उपयोग में लाए गए वनोपज के मूल्य को जमा करने पर सहमत हो गए (जून 1999 तथा अक्टूबर 2000) । वन मंडलाधिकारी (समान्य), दक्षिण सरगुजा ने वनोपज को विभागीय कार्यों में उपयोग में लाए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2000) बताया कि अगस्त 1998 में 237 बल्लियों का मूल्य कोषालय में जमा करा दिया गया है।

84 बसोड़ – बसोड़ वे दस्तकार होते हैं, जो कुटीर उद्योग में अपने वास्तविक उपयोग के लिये रियायती दरों पर बॉस प्राप्त करते हैं।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

7.10 आरक्षित माल न उठाने के कारण राजस्व हानि

खैर वृक्षों की आपूर्ति हेतु अनुबंधों के अनुसार उद्योग द्वारा न उठाए गए माल के निर्वर्तन में यदि कोई हानि होती है, तो हानि की वसूली संबंधित उद्योग से की जानी है।

वन मंडल मुरैना तथा श्योपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2001) में पता चला कि चार उद्योगों[85] हेतु आरक्षित वर्ष 1994–95 से 1997–98 के दौरान पातित 64284 खैर वृक्षों को उनके द्वारा नहीं उठाया गया। इन्हें दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2000 के मध्य खुली नीलामी में बिक्री किया गया तथा उद्योगों को आपूर्ति दर से 2.22 करोड़ रूपये मूल्य के विरूद्ध 1.22 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आरक्षित खैर वृक्षों को न उठाये जाने के परिणामस्वरूप 1 करोड़ रूपए की राजस्व हानि हुई, जिसकी वसूली उद्योगों से नहीं की गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, श्योपुर ने बताया (फरवरी 2001) कि वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वन मंडलाधिकारी, मुरैना ने बताया (फरवरी 2001) कि वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वसूली के संबंध में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

85 मै. एम.पी.कत्था वर्क्स रीवा, मै. सन्मति फारेस्ट इण्डस्ट्रीज, मै. सातल कत्था एण्ड केमिकल, सारंगपुर एवं मै. सुजाता फारेस्ट प्रोडक्टस, सीधी

अध्याय-8 : खनन प्राप्तियां

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 1103 प्रकरणों में 194.56 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश , अनिवार्य किराये का अनिर्धारण / कम निर्धारण , संविदा राशि, राज्यांश , खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न करना तथा राज्यांश के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	राज्यांश एवं अनिवार्य किराये का अनिर्धारण	341	140.52
(ii)	मध्यप्रदेश में कोयला खदानोंकी कार्य पद्धति	1	31.67
(iii)	खनिज क्षेत्र विकास उपकर तथा अन्य राजस्व की वसूली न / कम करना	472	16.53
(iv)	राज्यांश के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण/ अनारोपण	163	1.60
(v)	अन्य	126	4.24
	योग	**1103**	**194.56**

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग ने 838 प्रकरणों में 38.41 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया। 29 प्रकरणों में 18.57 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी है।

14.40 करोड़ रूपये की राशि के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं–

8.2 मध्यप्रदेश में कोयला खदानों की कार्य पद्धति

मध्यप्रदेश, देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में दूसरे स्थान पर है। देश के कुल वार्षिक उत्पादन 28.62 मिलियन टन में से 8.77 मिलियन टन कोयले (30.64 प्रतिशत) का राज्य में उत्पादन होता है। राज्य के सभी कोयला क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड ने पट्टे पर अधिग्रहीत कर लिये हैं, जो कोयला संग्रहण क्षेत्र (उपार्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (अधिनियम, 1957) एवं खनिज रियायत नियम 1960 (नियम, 1960) के अंतर्गत कार्यरत है।

कोयला खदानों की कार्य पद्धति में प्रकाश में आयी अनियमितताओं के दृष्टांतों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

(i) *राज्यांश की वसूली न/ कम करना*

अधिनियम, 1957 एवं नियम 1960 और मुख्य खनिजों के उत्खनन पट्टे में सन्निहित शर्तों के अनुसार पट्टाधारी प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक उत्खनित एवं पट्टाक्षेत्र से हटाये गये खनिज की मात्रा पर अधिनियम की द्वितीय सूची में वर्णित दरों पर राज्यांश के भुगतान हेतु दायी है। यदि पट्टाधारी राज्यांश के भुगतान में विफल रहता है तो शासन उसके पट्टे को निरस्त कर जमानत राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से राजसात कर सकेगा।

(क) कोरबा, रायगढ़ एवं शहडोल के खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त एवं नवंबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) द्वारा जून 1995 से सितंबर 2000 तक की अवधि के दौरान पट्टाक्षेत्र से 207.62 लाख टन कोयला उत्खनन कर हटाया गया था। पट्टाधारी ने भुगतान योग्य राज्यांश राशि 12415.15 लाख रूपये के विरूद्ध 12379.83 लाख रूपये का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 35.32 लाख रूपये का राज्यांश कम वसूल हुआ। विभाग द्वारा पट्टा शर्तों के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

(ख) बैतूल, सरगुजा (अंबिकापुर) के खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2000 से मई 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि दो पट्टाधरियों [86] द्वारा 0.76 लाख टन विभिन्न श्रेणियों का कोयला कोलरी कार्य/ औद्योगिक कार्य हेतु जनवरी 1998 से मार्च 2001 के मध्य 18 कोलरियों में राज्यांश भुगतान किये बिना उपयोग किया जाना दर्शाया गया, जो कि अनुमत्य नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप 79.01 लाख रूपये का राज्यांश कम प्राप्त हुआ।

इस ओर लेखापरीक्षा में इंगित करने पर खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (मई 2001) कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं (जुलाई 2000), वसूली का आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) *अनिवार्य किराये का अनारोपण*

मुख्य खनिजों से संबंधित पट्टाविलेख की शर्त क्रमांक 1 एवं 2 तथा नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार पट्टा में सम्मिलित सभी क्षेत्रों हेतु, पहले वर्ष को छोड़कर, सभी वर्षों के लिये तीसरी अनुसूची में वर्णित दरों पर उन प्रकरणों में, जिनके राज्यांश का भुगतान नहीं किया गया, पट्टाधारी अनिवार्य किराये का भुगतान करेगा।

कोरबा एवं रायगढ़ जिलों में मई 1973 से मई 2003 तक की अवधि हेतु कोयले उत्खनन हेतु खनिज पट्टा धारी एस.ई.सी.एल. (एक पट्टाधारी), ने जनवरी 1995 से दिसंबर 2000 की अवधि में खनिज उत्खनन नहीं किया तथा अनिवार्य किराये का भुगतान नहीं किया। विभाग ने बकाया अनिवार्य किराये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नही की। जिसके परिणाम स्वरूप 22.81 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

86 मै. वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड एवं साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड

(iii) विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

मुख्य खनिजों के उत्खनन पट्टाविलेख की शर्तों तथा नियम , 1960 के प्रावधानों के अनुसार शासन को देय राज्यांश, किराया, फीस तथा अन्य राशियां, जिनका भुगतान शासन द्वारा भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से साठवें दिन की समाप्ति तक नहीं किया गया है, पट्टाधारी भुगतान दिनांक को 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी है।

खनिज कार्यालय, छिंदवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2001) में प्रकट हुआ कि एक पट्टाधारी ने माह अगस्त 1997 की देय राज्यांश राशि 17.77 लाख रूपये के भुगतान में 60 दिन की अनुग्रह अवधि व्यतीत होने के बाद 14 माह का विलंब किया। उस पर 5.92 लाख रूपये ब्याज की राशि आरोपणीय थी, जो आरोपित नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 5.92 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(iv) गलत राज्यांश दरों को लागू करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत प्रत्येक पट्टाविलेख पर मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है। अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार शासन अथवा उसकी ओर से दिये गये खनिज पट्टों पर, उनके निष्पादन के दिनांक को राज्यांश की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, तो इस संबंध में जिलाध्यक्ष द्वारा मुद्रांक शुल्क के उद्देश्य से प्राक्कलित राज्यांश राशि ही पर्याप्त मानी जावेगी। म.प्र. शासन खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (15 मार्च 1993) के अनुसार नये खनिज पट्टों के अनुबंध निष्पादन प्रकरण में खनन योजना (माइनिंग प्लान) अथवा पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों में घोषित खनिज की प्रत्याशित उत्खनन मात्रा के आधार पर संगणित राज्यांश, जो भी अधिक हो, उस पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क की संगणना की जावेगी। राज्यांश राशि की गणना निर्धारित दरों पर की जाती है। इसके अलावा पंजीयन अधनियम, 1908 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस भी आरोपणीय है।

खनिज कार्यालय, नरसिंहपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2000) में प्रकट हुआ कि पट्टाधारी [87] द्वारा आवेदन पत्र में घोषित कोयले की उत्खनन योग्य प्रत्याशित मात्रा तथा खनन योजना (माइनिंग प्लान) में दर्शाई गई मात्रा समान होने पर भी औसत दर 72 रूपये प्रति टन की दर से 93.60 लाख रूपये के स्थान पर 45 रूपये प्रति टन की दर से 58.50 लाख रूपये के राज्यांश की संगणना खनि पट्टा निष्पादन के समय की गई। राज्यांश के गलत प्राक्कलन के कारण 23.04 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मुद्रांक शुल्क 13.16 लाख रूपये और पंजीयन फीस 9.88 लाख रूपये) का कम भुगतान हुआ । कम भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा पट्टाधारी के विरूद्ध किसी कार्यवाही की पहल नहीं की गई।

प्रकरण शासन एवं संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रतिवेदित किया गया (जून 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

87 मै. बी.एल.ए. इण्डस्ट्रीज, मुम्बई

8.3 राज्यांश की वसूली न/कम करना

अधिनियम, 1957 तथा नियम, 1960 एवं म.प्र. गौण खनिज नियमावली तथा पट्टाविलेखों में वर्णित शर्तो के अनुसार पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र से माह में हटाये गये खनिज की मात्रा पर निर्धारित दिनांक तक राज्यांश का भुगतान करने हेतु बाध्य है। पट्टा क्षेत्र से खनिज के उत्खनन एवं हटाये जाने पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से नियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा प्रत्येक माह खनिज कार्यालय को खनिज के उत्खनन तथा हटाई गई मात्रा का उल्लेख करते हुये राज्यांश के भुगतान के चालानों के साथ नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इसमें विफल रहने पर शासन पट्टा समाप्त कर सकेगा और पूरी अथवा आंशिक प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगा। राज्यांश के विलंब से भुगतान करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी आरोपणीय है।

(क) रीवा जिले में सीमेण्ट उत्पादन हेतु चूना पत्थर उत्खनन के दो पट्टाधारियों [88] द्वारा अक्टूबर 1999से अप्रैल 2000 के मध्य पट्टा क्षेत्र से 34.03 लाख टन चूना पत्थर उत्खनन कर हटाया गया । देय राज्यांश राशि 1088.93 लाख रूपये के विरूद्ध पट्टाधारी ने अक्टूबर 1999 में 47.83 लाख रूपये का भुगतान किया था तथा नवंबर 1999 से राज्यांश का भुगतान किए बिना खदानों पर कार्य चालू रखा। यद्यपि पट्टाधारियों द्वारा नियमित रूप से विहित विवरणियां प्रस्तुत की गई थी फिर भी विभाग ने बकाया राशियों की वसूली हेतु अथवा पट्टा समाप्त करने हेतु किसी कार्यवाही की पहल नहीं की। जिसके परिणरामस्वरूप 10.41 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी आरोपणीय था।

इस ओर इंगित किये जाने पर (जून 2000) खनिज अधिकारी ने बताया (जून 2000)कि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण शासन तथा संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2000 एवं जनवरी 2001के मध्य), संचालक ने सूचित किया (जून 2001) कि राज्यांश 10.41 करोड़ रूपये के साथ 1.42 करोड़ रूपये ब्याज की भी वसूली की जा चुकी है।

(ख) चार जिलों [89]में 22 पट्टाधारियों ने 3.89 लाख टन चूना पत्थर तथा 1.01 लाख घन मीटर फर्शी पत्थर जिस पर 115.26 लाख रूपये का राज्यांश भुगतान योग्य था, उत्खनित किया गया तथा पट्टा क्षेत्र से हटाया गया (जनवरी 1996 से अगस्त 2000 के मध्य)। इसके विरूद्ध पट्टाधारियों द्वारा 81.58 लाख रूपये मात्र का भुगतान किया गया। विभाग ने बकाया राशि की वसूली अथवा पट्टा समाप्त करने और प्रतिभूति राशि राजसात करने की कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप 33.68 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

88 मै. जे.पी. रीवा सीमेंट एवं मैं जे.पी. वेला सीमेण्ट

89 कटनी, नीमच, पन्ना और सतना

इस ओर इंगित किये जाने पर (जून और सितंबर 2000 के मध्य) खनिज अधिकारी नीमच एवं सतना ने बताया (जून एवं सितंबर 2000)कि वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है, खनिज अधिकारी पन्ना ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(ग) बिलासपुर जिले में 3 पट्टाधारियों ने पट्टा क्षेत्र से जुलाई 1995 से अगस्त 2000 के दौरान 0.98 लाख टन खनिज उत्खनन कर हटाया। पट्टाधारियों ने भुगतान योग्य 26.43 लाख रूपये राशि के राज्यांश के विरूद्ध 16.68 लाख रूपये राशि का भुगतान किया । विभाग ने पट्टाधारियों के विरूद्ध बकाया राशि की वसूली अथवा पट्टा समाप्ति हेतु किसी कार्यवाही की पहल नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप 9.75 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (नवंबर 2000) खनिज अधिकारी ने बताया कि (नवंबर 2000) जांच के पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण शासन तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2001)।

8.4 राज्यांश के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियम 1960 के अनुसार पट्टारधारी माह की बीस तारीख तक राज्यांश का भुगतान करने हेतु बाध्य है, विफल रहने की स्थिति में उसे निर्धारित तिथि के 60 वे दिवस से, जब तक राज्यांश भुगतान न कर दिया जाये, 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के भुगतान हेतु दायी होगा।

4 जिलों [90]में 6 पट्टाधारियों ने (अप्रैल 1993 एवं अक्टूबर 1999 के मध्य) 9.74 करोड़ रूपये के राज्यांश के भुगतान में 60 दिवस की अनुग्रह अवधि के पश्चात 1 से 64 माह विलंब किया। फिर भी विभाग ने राज्यांश के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रूपये राजस्व का अनारोपण हुआ/वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मार्च एवं नवंबर 2000 के मध्य) खनिज अधिकारियों ने बताया कि जांच पश्चात वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण शासन और संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया(अप्रैल 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) , उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001) ।

8.5 अनिवार्य किराये का भुगतान न/कम करना

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अनुसार पट्टाधारी को नियमों की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष अनिवार्य किराए का भुगतान वर्ष के प्रथम माह की

90 बिलासपुर, छतरपुर, झाबुआ एवं रीवा

20 तारीख को या इससे पूर्व अग्रिम रूप से करना है। अनिवार्य किराये की बकाया राशि पर ब्याज भी वसूली योग्य है।

(i) छतरपुर एवं नीमच जिलों में 17 उत्खनि पट्टे नवंबर 1993 एवं जुलाई 2017 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिए स्वीकृत किये गये थे। पट्टेधारियों द्वारा मार्च 1998 से दिसंबर 2000 तक देय अनिवार्य किराये की राशि 11.62 लाख रूपये के विरूद्ध केवल 1.46 लाख रूपये का भुगतान किया गया। विभाग ने पट्टाधरियों के विरूद्ध अनिवार्य किराए की बकाया राशि के साथ साथ ब्याज की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 10.16 लाख रूपये की राशि के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मार्च एवं सितंबर 2000 के मध्य) खनिज अधिकारियों ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण शासन एवं संचालक, भैमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया(अप्रैल 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) कोरिया जिले में 4 उत्खनि पट्टे अक्टूबर 1993 एवं फरवरी 2004 के मध्य विभिन्न अवधि के लिए स्वीकृत किये गये थे। पट्टाधारियों ने अप्रैल 1996 से दिसंबर 2000 तक की अवधि हेतु 7.24 लाख रूपये के अनिवार्य किराये का भुगतान नहीं किया। विभाग ने अनुबंध के तहत पट्टाधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 7.24 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (दिसंबर 2000) में खनिज अधिकारी कोरिया ने बताया कि पट्टाधारियों को कारण बताओ सूचनाएं जारी की जा रही है।

प्रकरण शासन एवं संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

8.6 *राज्यांश का भुगतान किए बिना खनिज का हटाया जाना*

नियमों, 1960 एवं पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र से हटाई गई खनिज की मात्रा के संबंध में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर राज्यांश का भुगतान निर्धारित दिनांक तक करने हेतु दायी होता है।

कटनी जिले में पट्टाधारी (बोकारो स्टील प्लांट) द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी (फार्म एल) में खान में माह सितंबर 1998 के अंत में चूना पत्थर का अंतिम स्कंध 25043 टन दर्शाया गया था, जबकि माह अक्टूबर 1998 की विवरणी में प्रारंभिक शेष निरंक दर्शाया गया था। इस प्रकार 25043 टन खनिज राज्यांश के भुगतान के साक्ष्य के बिना हटाया गया। विभाग ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप 8.01 लाख रूपये राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2000) खनिज अधिकारी कटनी ने बताया (जनवरी 2001) कि 8.01 लाख रूपये की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया जा चुका है (दिसंबर 2000)।

प्रकरण शासन तथा संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2001)।

8.7 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम भुगतान

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार जिस खनिज पट्टे के प्रकरण में पट्टा निष्पादन दिनांक को भुगतान योग्य राज्यांश सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो वहां मुद्रांक शुल्क के उद्देश्य हेतु जिलाध्यक्ष द्वारा राज्यांश का आकलन किया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग ने भी स्पष्ट किया (15 मार्च 1993) कि नये उत्खनि पट्टों के विषय में पट्टा करार निष्पादन में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क की संगणना उत्खनि पट्टा स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र में घोषित संभावित उत्खनन योग्य मात्रा अथवा माइनिंग प्लान में दर्शायी गयी मात्रा, जो भी अधिक हो, पर संगणित राज्यांश के आधार पर की जावेगी। इसके अलावा पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क की राशि के तीन चौथाई दर से पंजीयन फीस भी आरोपणीय है।

(i) जबलपुर जिले में 6 उत्खनि पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिए मार्च 1999 एवं फरवरी 2000 के मध्य स्वीकृत किये गये थे। पट्टाधारियों ने पट्टा निष्पादन के समय माइनिंग प्लान में दर्शायी गई मात्रा के आधार पर संगणित राज्यांश के बजाय उत्खनन योग्य अनुमानित औसत मात्रा पर संगणित राज्यांश पर देय 5.85 लाख रूपये के स्थान पर 53000 रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का भुगतान किया था। विभागीय निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप 5.32 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम भुगतान हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर (जुलाई 2000) खनिज अधिकारी ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण शासन एवं संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000 एवं जनवरी 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

(ii) अंबिकापुर जिले में एक पट्टाधारी (मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित) ने 3 पट्टाविलेख (सितंबर 1999) निष्पादित किये तथा माइनिंग प्लान में वर्णित उत्खनन योग्य खनिज की औसत मात्रा (54028.6 टन) के आधार पर संगणित 9.19 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का भुगतान किया, जबकि उत्खनन योग्य अनुमानित औसत मात्रा (पट्टे के आवेदन पत्र के अनुसार) 2 लाख टन थी, जिस पर 32.27 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस (18.44 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क तथा 13.83 लाख रूपये पंजीयन फीस) भुगतान योग्य थी, भुगतान में कमी के परिणामस्वरूप 23.08 लाख रूपये का राजस्व कम प्राप्त हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर (नवंबर 2000), खनिज अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया (नवंबर 2000) कि शासन से निर्देश प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण शासन तथा संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

अध्याय 9 : अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

9 (क) लोक निर्माण प्राप्तियाँ

9.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान लोक निर्माण प्राप्तियों एवं वापसियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 858 प्रकरणों में 3.46 करोड़ रूपये राशि की कम वसूली एवं राजस्व हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	शासकीय भवनों एवं आवासों के संबंध में लायसेंस फीस की वसूली न करना/कम करना	233	1.66
(ii)	पथकर की कम वसूली	15	0.56
(iii)	डामर ड्रमों /सीमेंट के बोरों का निर्वर्तन न किया जाना	12	0.19
(iv)	तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	84	0.06
(v)	अन्य	514	0.99
	योग	**858**	**3.46**

68.54 लाख रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:

9.2 हानियों की वसूली में विफलता

पुलों पर पथकर संग्रहण हेतु पट्टा नीलामी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार वह व्यक्ति, जिसकी बोली स्वीकृत की जाती है, निर्धारित समयावधि में एक निर्धारित प्रपत्र पर पट्टा अनुबंध निष्पादित करेगा एवं अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा कराएगा। पट्टाधारी द्वारा पट्टा विलेखों में उल्लिखित तिथियों पर पट्टा धन की किश्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। विफलता के प्रकरण में, सक्षम प्राधिकारी उसके अधिकार को समाप्त कर सकता है एवं विभागीय तौर पर पथकर संग्रहण अथवा पट्टे की पुनर्नीलामी हेतु आदेश कर सकता है । विभागीय संग्रहण अथवा पुनर्नीलामी के कारण, यदि कोई हानि होती है, तो

चूक कर्ता इसके भुगतान हेतु दायी होगा। हानि की राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूली योग्य होगी।

(क) *पट्टा विलेख निष्पादन न होने के कारण हानि*

लोक निर्माण संभाग– II , अंबिकापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में (अगस्त 2000) प्रकट हुआ कि वर्ष 1998–99 के दौरान एक पुल पर पथकर संग्रहण हेतु पट्टे की नीलामी 26.60 लाख रूपये में की गई (31 दिसंबर 1997)। उच्चतम बोली कर्ता पट्टा विलेख निष्पादन करने में विफल रहा। पट्टे की 17.11 लाख रूपये में पुनर्नीलामी की गई (31 मार्च 1998)एवं संपूर्ण राशि की वसूली हुई। इस प्रकार शासन को 9.49 लाख रूपये की हानि हुई । मूल बोलीकर्ता से हानि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ख) *पट्टाधारी के विरूद्ध कार्यवाही न करने से हानि*

लोक निर्माण (भवन एवं पथ) समान्य – II अंबिकापुर में 2 पुलों पर पथकर संग्रहण (1995–96 एवं 1999–2000 के मध्य) हेतु 19.62 लाख रूपये के 3 पट्टे निष्पादित किये गये । सफल बोलीकर्ताओं द्वारा 19.62 लाख रूपये की कुल देय धनराशि के विरूद्ध 6.72 लाख रूपये अवशेष रखते हुये, वास्तव में 12.90 लाख रूपये की राशि का ही भुगतान किया गया। दो प्रकरणों में पट्टाधारियों ने भुगतान में चूक होने पर भी पथकर संग्रहण करना जारी रखा एवं एक प्रकरण में पथकर (0.40 लाख रूपये) विभागीय तौर पर संग्रहीत किया गया, 6.32 लाख रूपये की हानि के अलावा 1.87 लाख रूपये ब्याज भी वसूली योग्य था। इस धन राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2000), कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त 2000) कि हानि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

9.3 *निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से लायसेंस फीस की कम वसूली*

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग की नियम पुस्तक में प्रावधान है कि जब कोई लोक भवन निजी व्यक्ति, कंपनी, क्लब, संगठन अथवा स्थानीय निकाय को किराये पर दिया जाता है, तब लायसेंस फीस जिलाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित, उस स्थान में प्रचलित दर पर या मूलभूत नियम 45–ख के अधीन संगणित लायसेंस फीस, जो भी उच्चतर हो, वसूल की जावेगी।

लोक निर्माण संभाग, होशंगाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर एवं नवंबर 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि केन्द्रीय शासन की संस्थाओं (2) एवं अन्य संस्थाओं (3) को किराये पर दिये गये पंचमढ़ी स्थित 5 लोक भवनों एवं होशंगाबाद व सुहागपुर स्थित दो भाण्डागारों के संबंध में लायसेंस फीस की वसूली उच्चतर दरों से नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1996 से मार्च 2000 की अवधि हेतु 29.46 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया(अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

9.4 लायसेंस फीस की वसूली न होना

राज्य शासन ने अनुसूचित क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों में शासकीय आवास पर अधिपत्य रखने वाले कर्मचारियों से लायसेंस फीस की वसूली हेतु, तीन वर्गों में विभाजित किया (जनवरी एवं सितंबर 1986)। वर्ग– III के लिए शासन द्वारा निर्धारित दरों में 2.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी, जबकि वर्ग I एवं II में वर्गीकृत क्षेत्रों में कोई भी लायसेंस फीस वसूल नहीं की जानी थी (सितंबर 1987)। विकास खंडों के अनुसार वर्गीकरण मार्च 1996 में संशोधित किया गया था।

लोक निर्माण संभाग–II अंबिकापुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2000) में प्रकट हुआ कि शासकीय आवास सुविधा प्राप्त 5 विकास खंडों के कर्मचारियों से , इस तथ्य के होते हुये भी कि 2 विकास खंड (अंबिकापुर एवं सूरजपुर) किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं थे एवं 3 विकास खंड (बतौली, लखनपुर एवं सीतापुर) वर्ग III में सम्मिलित थे, लायसेस फीस की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1996 से मार्च 2000 की समयावधि में 10.46 लाख रूपये की लायसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2000), कार्यपालन यंत्री ने बताया कि प्रश्नाधीन विकास खंड छूट प्राप्त वर्गों में सम्मिलित थे। उत्तर मार्च 1996 के शासनादेश के अनुरूप नहीं था।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

9.5 तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण

लोक निर्माण विभाग, द्वारा पर्यवेक्षित कार्यों के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदारों द्वारा (i) 5 लाख रूपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु एक स्नातक यंत्री एवं(ii) 2 लाख से 5 लाख रूपये के बीच की लागत के कार्यो हेतु एक डिप्लोमाधारक उपयंत्री की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ठेकेदारों द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मचारियों का पूर्ण विवरण, यह प्रमाणित करते हुये कि तकनीकी कर्मचारी मात्र उनके अधीन नियोजित हैं, प्रस्तुत करना होगा। त्रुटिकर्ता ठेकेदार प्रत्येक माह की त्रुटि के लिये स्नातक यंत्री एवं डिप्लोमा धारक उप यंत्रियों के संबंध में क्रमशः 1000 रूपये एवं 500 रूपये की शास्ति के भुगतान के दायी हैं।

5 लोक निर्माण (भवन एवं पथ) संभागों [91] के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 1999 एवं जुलाई 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 5 लाख रूपये से अधिक की लागत के 58 कार्य एवं 2 लाख से 5 लाख रूपयों के बीच की लागत के 81 कार्य या तो मई 1995 से मार्च 2000 के मध्य पूर्ण हुए अथवा प्रगति पर थे, लेकिन इनमें वांछित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति कभी भी नहीं की गई । 5.78 लाख रूपये (4.07 लाख रूपये मध्यप्रदेश के संबंध में एवं 1.71 लाख रूपये छत्तीसगढ़ के संबंध में) की शास्ति आरापेणीय थी, लेकिन आरोपित नहीं की गई।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

9.6 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की कम वसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (अधिनियम 1899) के प्रावधानों और पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी स्पष्टीकरण (अक्टूबर 1995) के अनुसार पुलों पर पथकर संग्रहण हेतु पट्टों में सन्निहित कुल प्रतिफल के 7.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है।

पांच [92] लोक निर्माण (भवन एवं पथ) संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 1999 एवं अगस्त 2000 के मध्य) में प्रकट हुआ कि वर्ष 1996–97 के दौरान पथकर संग्रहण हेतु 148.98 लाख रूपयों के (14.29 लाख रूपये के छत्तीसगढ़ के 3 प्रकरण सम्मिलित) 11 पट्टा विलेख निष्पादित किये गये । आरोपणीय मुद्रांक शुल्क 11.17 लाख रूपये के विरूद्ध, मात्र 6.01 लाख रूपये की राशि आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप 5.16 लाख रूपये की (0.50 लाख रूपये छत्तीसगढ़ के सम्मिलित) कम वसूली हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री लहार ने बताया (अक्टूबर 1999) कि 1.70 लाख रूपये ठेकेदार द्वारा जमा किये जा चुके हैं, यद्यपि समर्थन में कोई भी प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपालन यंत्री, मुरैना एवं रायपुर ने बताया कि (जुलाई 1999 एवं अगस्त 2000) कि पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के स्पष्टीकरण आदेश (अक्टूबर 1995) लोक निर्माण विभाग द्वारा सितंबर 1996 अर्थात पट्टा विलेखों के निष्पादन के उपरांत प्रसारित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ये केवल स्पष्टीकरणात्मक आदेश थे। विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जाना अपेक्षित था।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1999 एवं मार्च 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

91 छत्तीसगढ़– रायपुर– II

म.प्र.– बालाघाट – II , रायसेन, चंबल आयकटश्योपुर एवं शहडोल

92 म.प्र–बालाघाट– II , गुना–I , लहार (भिण्ड) एवं मुरैना

छत्तीसगढ़–रायपुर– I

9-(ख) सिंचाई प्राप्तियाँ

9.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000--2001 के दौरान जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में 695 प्रकरणों में 133.22 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानियां प्रकट हुई , जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण	1	101.76
(ii)	जल दरों तथा सिंचाई उपकर का अनारोपण	46	16.23
(iii)	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	75	7.79
(iv)	गलत निर्धारण के कारण जल प्रभारों का कम आरोपण	21	4.68
(v)	तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	77	0.10
(vi)	अन्य	475	2.66
	योग	**695**	**133.22**

101.76 करोड़ रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

9.8 सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण

कृषकों को जल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से शासन द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों पर वृहद व मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण किया जाता है। इन परियोजनाओं से सिंचाई प्रयोजनों हेतु प्रदाय किए गए जल के लिए, वास्तविक रूप से सिंचित भू तल के आधार पर जल संसाधन विभाग द्वारा जल प्रभारों का आरोपण किया जाता है। जल दरों का

आरोपण मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (अधिनियम) एवं मध्यप्रदेश सिंचाई नियम 1974, (नियम), समय समय पर यथा संशोधित, के अनुसार विनियमित किया जाता है। लेखापरीक्षा में सिचाई प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण में पायी गई अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

(i) *समुन्नति अंशदान का अनारोपण*

अधिनियम में, नई नहर चालू होने के 3 वर्ष बाद, उससे लाभान्वित स्थायी भू–धारकों पर शासन द्वारा निर्धारित दर से समुन्नति अंशदान के आरोपण का प्रावधान है।

(क) 17 जल संसाधन संभागों [93] के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2000 और फरवरी 2001 के मध्य) में पाया गया कि यद्यपि योजनाएं वर्ष 1988–95 के दौरान पूर्ण हो गई थी, 5.69 करोड़ रूपये का समुन्नति अंशदान आरोपित नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर 11 जल संसाधन सभागों [94] के कार्यपालन यंत्री मांग सृजित करने की कार्यवाही करने हेतु सहमत हुए। छुई खदान, देवास व नरवर के कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (दिसंबर 1999 और अक्टूबर 2000 के मध्य) कि शासन की अधिसूचना प्रतीक्षित थी। कार्यपालन यंत्री नसरूल्लागंज ने बताया (सितंबर 2000) कि परियोजना निर्माणाधीन थी, इसलिए समुन्नति अंशदान आरोपणीय नहीं था; उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 8000 हेक्टेयर भूमि वर्ष 1991–92 से सिंचित हो रही थी। कार्यपालन यंत्री, धार ने बताया (नवंबर 2000) कि उद्वहन सिंचाई योजनाओं पर समुन्नति अंशदान आरोपणीय नहीं था। अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह उत्तर भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है।

(ख) मुख्य अभियंता , नर्मदा ताप्ती कछार इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000) में प्रकट हुआ कि जल संसाधन संभाग खण्डवा के अंतर्गत भगवंत सागर के सैंच्य क्षेत्र पर आरोपणीय समुन्नति अंशदान 52लाख रूपये के विरूद्ध मात्र 26 लाख रूपये ही आरोपित किए गए थे, जिसमें से विभाग द्वारा मात्र 11 लाख रूपये की वसूली की जा सकी थी, परिणामस्वरूप 41 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकीं।

93 अकलतरा, बड़वानी , भिण्ड, छुई खदान, देवास, धार, गांधीसागर बांध, इन्दौर, कसरावद, मण्डला, नरसिंहगढ़, नरवर, नसरूल्लागंज, रायपुर, सीहोर, श्योपुरकलां तथा शिवपुरी

94 अकलतरा, बड़वानी , भिण्ड, गांधीसागर बांध, इन्दौर, कसरावद, मण्डला, नरसिंहगढ़,, रायपुर, श्योपुरकलां तथा शिवपुरी

(ii) ***दाण्डिक दर/ सही दर लागू न करना***

अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं से कृषि भिन्न प्रयोजनों यथा, औद्योगिक उपयोग, स्थानीय निकायों को पेयजल आदि हेतु जल प्रदाय किया जा सकता है, बशर्ते जल संसाधन विभाग और उपयोग करने वाली एजेन्सी के मध्य करार निष्पादित किया गया हो। नियमों में यह भी प्रावधान है कि जल के अनधिकृत आहरण के लिए जल दर सामान्य दर का तीन गुना प्रभारित किया जायेगा।

1 मई 1998 से जल दरें इस शर्त के साथ संशोधित की गई थी कि उपयोग करने वाली एजेन्सी से नया करार निष्पादित कराया जावेगा ।

(क) 7 जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 8 हितग्राही करार निष्पादित किए बिना जल का अनधिकृत आहरण कर रहे थे तथा दाण्डिक दर के स्थान पर सामान्य दर से भुगतान कर रहे थे, परिणामस्वरूप निम्नानुसार 88.32 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई :

क्र. सं.	*संभाग का नाम*	*उपयोग करने वाली एजेन्सी का नाम*	*अवधि, जिसके लिए करार निष्पादित नहीं किया गया*	*आरोपणीय अंतर की राशि (करोड़ रुपये में)*
1	2	3	4	5
1.	गोपीकृष्ण सागर संभाग, गुना	(i)नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गुना	(i) सितंबर 1990 से 16 जून 1993	10.61
			(ii) मई 1998 से जून 1999	
		(ii) गैस आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, गुना	(i) दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992	1.43
			(ii) मई 1998 से जून 1999	
2.	जल संसाधन संभाग खरगोन	नगरपालिका खरगोन	1995 से 1999	0.36
3.	कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज, (सीहोर)	नगर निगम, भोपाल	जूलाई 1988 से जून 2000	2.69

1	2	3	4	5
4.	गांधी सागर बांध संभाग, मंदसौर	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल	मई 1998 से जुलाई 2000	19.85
5.	जल संसाधन संभाग, गोहद (भिण्ड)	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर	मई 1997 से जून 1999	0.39
6.	तान्दुला जल संसाधान संभाग, दुर्ग	भिलाई इस्पात संयंत्र	मई 1998 से दिसंबर 2000	51.43
7.	जल संसाधन संभाग रायपुर	मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड	मई 1996 से जुलाई 2000	1.56 [95]
	योग			**88.32**

विभाग ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1999 व फरवरी 2001 के मध्य) कार्य पालन यंत्री, गुना ने बताया (दिसंबर 1999) कि कार्य अपूर्ण होने के कारण बांध में उपलब्ध जल की मात्रा सुनिश्चित होने योग्य नहीं थी अतः करार निष्पादित नहीं कराया गया तथा सामान्य दर प्रभारित की गई। उत्तर मान्य किये जाने योग्य नहीं था, क्योंकि नियमों में इस सम्बंध में किसी भी छूट का प्रावधान नहीं है। कार्यपालन यंत्री खरगोन ने बताया (अक्टूबर 2000) कि शासन के अप्रैल 2000 के आदेशानुसार शास्ति से छूट प्रदान की गई थी । उत्तर मान्य किए जाने योग्य नहीं है , क्योंकि उपरोक्त आदेश सिंचाई भिन्न प्रयोजन हेतु जल के अनधिकृत आहरण पर लागू नहीं थे। कार्यपालन यंत्री, गांधी सागर ने बताया कि उच्चाधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। कार्यपालन यंत्री गोहद ने बताया (अक्टूबर 1999) कि करार निष्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी प्रकरणों में आगे की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2001)।

95 उपभोक्ता ने विभाग द्वारा निर्धारित 1.08 करोड़ रूपये के विरूद्ध मात्र 18 लाख रूपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त जल प्रभारों के कम आरोपण के परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(ख) औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल प्रदाय के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) व गैस आथरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (गैल) गुना तथा जल संसाधन विभाग के मध्य समय–समय पर निष्पादित करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कंपनी कम से कम कराराधीन कुल मात्रा के 90 प्रतिशत जल प्रभारों का भुगतान करेगी और जल के अधिक आहरण के प्रकरण में 50 प्रतिशत अतिरिक्त दर लागू होगी।

कम्पनियों द्वारा 57 में से 55 प्रकरणों में कराराधीन मात्रा से 90 प्रतिशत से कम जल का आहरण किया गया (जनवरी 1993 और मार्च 1999 के मध्य) तथा 2 प्रकरणों में अधिक मात्रा में जल का आहरण किया गया था । तथापि विभाग ने कुल कराराधीन जल की मात्रा के कम से कम 90 प्रतिशत के स्थान पर वास्तविक आहरित जल की मात्रा के देयक जारी किए । अधिक आहरित जल की मात्रा के लिए सामान्य दर के डेढ़ गुने के स्थान पर सामान्य दर प्रभारित की गई। करार की शर्तों को लागू न करने के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर (दिसंबर 1999) कार्यपालन यंत्री ने आश्वासन दिया (दिसंबर 1999) कि कम वसूली के प्रकरणों में पुनरीक्षित देयक जारी किए जायेंगे। विभाग द्वारा आगे की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2001)।

(ग) शासन ने जल संसाधन संभाग भोपाल में, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लि.(म.प्र.ल.उ.नि.) (वर्तमान में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (औ. के .वि.नि.) के माध्यम से हथाई खेड़ा जलाशय से प्रदाय हेतु प्रतिवर्ष 175 मि.घ.फु. [96] जल आरक्षित किया था (जनवरी 1964) तथा स्पष्ट किया था (नवंबर 1985) कि म.प्र.ल.उ.नि. द्वारा कम से कम जल प्रभारों की न्यूनतम गारंटीकृत राशि, जो सिंचाई हेतु जल दर अथवा औद्योगिक प्रयोजन के तुल्य जल दर, जो अधिक हो, का भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि निम्न दर पर जल प्रभार, जो सिंचाई प्रयोजन हेतु लागू थे, आरोपित किए गये। इसके फलस्वरूप अप्रैल 1992 व जून 1999 के मध्य 1.15 करोड़ रूपये के राजस्व का कम आरोपण/ वसूली हुई ।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1999) कार्यपालन यंत्री ने बताया (अक्टूबर 1999)कि विस्तृत परीक्षण के पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

(घ) जल संसाधन संभाग, भोपाल में औ.के.वि.नि. मण्डीदीप को दाहोद जलाशय से औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रतिदिन 3 मिलियन गैलन (175 मि.घ.फु. प्रति वर्ष) जल प्रदाय करने हेतु 1 जनवरी 1986 को करार निष्पादित किया गया था, जिसमें जल दर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय थी। मध्यप्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दाहोद जलाशय की संग्रहण क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदाय किए गए 50 लाख रूपये की राशि के यंत्रों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई तथा उद्योग विभाग एवं औ.के.वि.नि. के

96 मिलियन घन फुट

अधिकारियों ने जल दर निर्धारण के बारे में चर्चा की और यह निर्णय लिया गया (1985) कि मण्डीदीप के औद्योगिक क्षेत्र को प्रदाय जल के लिए औद्योगिक जल दर प्रभारित करना उचित नहीं होगा तथा सिंचाई विभाग को उचित जल दर निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया। तथापि विभाग द्वारा कोई जल दर निर्धारित नहीं की गई(अक्टूबर 2001)।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1999) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि दाहोद जलाशय से जल प्रदाय हेतु जल प्रभार निचले दर से इसलिए आरोपित किए जा रहे है, क्योंकि नहर आंशिक रूप से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा वित्त पोषित की गई थी। अधिनियम में कोई संशोधन न होने से उत्तर मान्य नहीं है तथा व्यय हर हालत में केन्द्र/राज्य की समेकित निधि से किया गया है।

(iii) *डूब भूमि पर दाण्डिक दर का कम आरोपण*

शासन द्वारा अक्टूबर 1969 में जारी अधिसूचना के अनुसार शासन की पट्टे पर न दी गई डूब भूमि पर अनधिकृत खेती अथवा नीलामी के पूर्व अवैध कब्जे पर दाण्डिक दर, जो उस क्षेत्र में खुली नीलामी द्वारा निर्धारित दर का दुगना होगी, आरोपित होगी। अनधिकृत खेती अथवा कब्जा उसी व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, तो उपरोक्त दर का तीन गुना दाण्डिक दर, भू–राजस्व बकाया की भांति वसूल की जावेगी।

गांधी सागर बांध संभाग में बांध की 92614.37 एकड़ डूब भूमि कुछ कृषकों द्वारा वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान अनधिकृत अधिपत्य में रखी गई एवं खेती की गई, जिनपर तिगुनी दर के स्थान पर दुगनी दर से दाण्डिक दर प्रभारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 55.48 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई। 1986 से 2000 तक की अवधि के लिए मार्च 2000 तक 4.13 करोड़ रूपये वसूली हेतु लंबित थे, लेकिन विभाग ने इसे भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

(iv) *बिलिंग फार्मूला पुनरीक्षित न किए जाने से राजस्व हानि*

शासन द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल के उपयोग की जल दरों में अप्रैल 1991 से वृद्धि की गई थी। गोपीकृष्ण सागर संभाग गुना के अभिलेखोंकी नमूना जांच (दिसंबर 1999) में प्रकट हुआ कि अप्रैल 1991 से नवबर 1991 तक की अवधि के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) को 0.80 सी.डी. पर 38 लाख रूपये का बक़ाया देयक जनवरी 1992 में प्रस्तुत किया गया था। एन.एफ.एल. ने फरवरी 1992 में 24 लाख रूपये का भुगतान किया तथा 0.62 सी.डी. के फार्मूले पर जल की मात्रा के पुनर्गणना हेतु अभ्यापत्ति की। इस संदर्भ में, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना ने 0.70 सी.डी. के फार्मूले की स्वीकृति दी (मई 1992) लेकिन 7 वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद भी संभाग ने तदनुसार देयक पुनरीक्षित नहीं किए। अतः विभाग 7 लाख रूपये के वैध राजस्व की प्राप्ति से वंचित रहा।

इस ओर इंगित किए जाने (दिसंबर 1999) पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2001) कि 7.11 लाख रूपये की मांग सृजित कर दी गई है (सितंबर 2000)।

उपरोक्त प्रकरण प्रमुख अभियंता तथा शासन को प्रतिवेदित किये गए (जून 2001) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

भोपाल

(बैनजामिन लकड़ा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), द्वितीय
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

©

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2001

प्रकाशन : वर्ष 02/-